



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 जुलाई, 2023

सप्तदश विधान सभा

नवम सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 13 जुलाई, 2023 ई०

22 आषाढ़, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : सुनिये, पहले आप इन लोगों को अपने आसन पर जाने के लिए कहिये । नेता प्रतिपक्ष, पहले इन लोगों को आसन पर जाने के लिए कहिये न ।

(व्यवधान जारी)

इन लोगों को आसन पर जाने के लिए बोलिये । ये सिस्टम है कि नहीं है । अगर आप खड़े हो गये हैं तो अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइये, मैं तो कह रहा हूँ कि बैठा दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

आप इन लोगों की तख्ती को ले लीजिये । मार्शल, तख्ती ले लीजिये, तख्ती लीजिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, जनता ने आपको इसीलिए जिताकर विधान सभा का सदस्य बनाया है कि जनता के सवालों को आप लोग सदन में न उठायेंगे और न उठाने देंगे ? यह जनतंत्र पर कुठाराघात है । आपके नेता खड़े हुए हैं आप अल्पसूचित प्रश्न चलने दीजिये । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

बैठाइये न, हम तो कह रहे हैं । आपके नेता खड़े हैं आप अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, विरोध प्रकट करने का यह क्या तरीका है ? वेल में बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी, रिपोर्टर कार्यवाही में इन लोगों की बात को नहीं लिखेंगे और मीडिया के भाई जो आप देख रहे हैं यह बाहर नहीं जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

नहीं जाइयेगा ? आपके नेता खड़े हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । सरावगी जी, दरभंगा की जनता ने आपको इसीलिए भेजा हुआ है कि उनकी समस्याओं को न उठाइयेगा, न उठाने दीजियेगा ? अपने स्थान पर जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से वापस अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आसन पक्ष-प्रतिपक्ष का संरक्षक होता है और आसन के निर्देश का हम पालन भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है, लेकिन आसन के माध्यम से कल जो घटना घटित हुई कि आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर कोई निर्णय ले या ट्रेजरी बेंच का दबाव रहे, यह दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार में जो बैठे हैं 10 लाख नौकरी का पहली कलम से, पहले कैबिनेट में...

(व्यवधान)

महोदय, समान वेतन, समान काम का क्या हुआ...

अध्यक्ष : आप अपनी बात को समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्यगण, आप जगह छोड़िये, हटिये । इनको बाहर निकालिये । वेल से हटाइये, ले जाइये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार को मार्शल आउट किया गया)

(व्यवधान जारी)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप अपने स्तर से प्रस्ताव दीजिये । हम ऐसा सदन में नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो लोग आसन के प्रति या सदन के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, अपमान करते हैं उस पर आसन सक्षम है । सरकार चाहती है कि आप उचित निर्णय लें...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नीचे उतर जायें, आप स्थान ग्रहण करें । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । आपके नेता बोल रहे थे आप लोगों ने बीच में हंगामा शुरू कर दिया...

(व्यवधान जारी)

आप कुर्सी से नीचे उतर जाइये । आसन इस तरह से असंसदीय आचरण करने की इजाजत कभी नहीं देगा । अगर आप लोग चाहते हैं कि सदन चले, तो कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिये...

(व्यवधान जारी)

आप नीचे आइये । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-15 (श्री विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : (क) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप बैठिये, नीचे तो उतरिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : 14वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों द्वारा मुख्यतः तीन कार्यों को पूर्ण किया जाना अनिवार्य कर दिया है :

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पुराने सदस्य होकर ये क्या कर रहे हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : (1) लैंड सीडिंग,

(2) बैंक खाता का आधार एवं एन0पी0सी0आई0 सीडिंग,

(3) E-KYC सत्यापन ।

राज्य के कुल 15.17 लाख किसानों...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर जाइये, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, 15.17 लाख किसानों का उक्त कार्य आज तक लंबित है। भारत सरकार द्वारा आगामी 14वीं किस्त का भुगतान माह जुलाई, 2023 में किया जाना है। जिन किसानों द्वारा उक्त कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जायेगा वे इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आगामी 14वीं किस्त हेतु E-KYC सत्यापन कार्य को अनिवार्य किया गया था किन्तु दिनांक-23.06.2023 को भारत सरकार के साथ वी0सी0 के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया कि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप बैठिये तो, इन लोगों को भी बुलाइये। आपने बोला, आपको बोलने के लिए मैंने समय दिया था।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : E-KYC सत्यापन की अनिवार्यता को आगामी 14वीं किस्त हेतु शिथिल कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि E-KYC सत्यापन का कार्य सितम्बर, 2023 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करा लिया जाय।

(ख) स्वीकारात्मक।

(ग) स्वीकारात्मक है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यही आचरण है, यही शालीनता है? इसीलिए जनता आपको भेजी है?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : E-KYC सत्यापन का कार्य किसानों द्वारा स्वयं किया जाना है जो कि लगातार प्रगति पर है तथा विभाग द्वारा इस कार्य में किसानों की यथासंभव मदद के लिए निरंतर निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :

(व्यवधान जारी)

(1) मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों के साथ वी0सी0 के माध्यम से बैठक कर पंचायतवार/प्रखंडवार कैंप का आयोजन कर E-KYC सत्यापन कराने का निदेश दिया गया है।

(2) दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों द्वारा E-KYC सत्यापन कराने हेतु विज्ञापन का भी प्रकाशन किया गया है।

(व्यवधान जारी)

(3) विभाग द्वारा एस0एम0एस0 के माध्यम से सभी संबंधित किसानों को लंबित E-KYC सत्यापन कार्य कराने हेतु सूचित किया गया है।

(4) साथ ही, कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर E-KYC सत्यापन कराने से संबंधित सूचना लगातार प्रदर्शित की जा रही है।

महोदय, उत्तर बहुत लंबा है, उत्तर दिया गया है । अगर कुछ पूछना है तो माननीय सदस्य पूछें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण, जो माननीय सदस्यगण सवाल पूछे हैं ऑनलाईन जवाब उनके पास चला गया है, वे सप्लीमेंट्री पूछें । आप पूरे उत्तर को न पढ़ें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (माननीय मंत्री का शेष लिखित उत्तर): (5) राज्य में अब तक कुल 82.24 लाख लाभुकों का लैंड सीडिंग यस है जिसमें से कुल 75.69 लाख लाभुकों का बैंक खाता आधार एवं एन0पी0सी0आई0 से लिंक है इनमें से कुल 67.07 लाख किसानों ने ही अपना E-KYC सत्यापन पूर्ण करवाया है । अतः राज्य के कुल 15.17 लाख किसानों ने अभी तक E-KYC सत्यापन नहीं कराया है ।

राज्य के किसानों द्वारा अपना E-KYC सत्यापन, बैंक खाते का आधार, एन0पी0सी0आई0 सीडिंग एवं लैंड सीडिंग अपडेट कराने का कार्य निम्न प्रकार से कराया जा सकता है :

1. पी0एम0-किसान के पोर्टल से किसान E-KYC सत्यापन का कार्य अपने आधार लिंक मोबाईल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से करा सकते हैं ।

2. किसान E-KYC सत्यापन का कार्य सी0एस0सी0/वसुधा केन्द्र के माध्यम बायोमैट्रिक तरीके से करा सकते हैं ।

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक-19.05.2023 को आयोजित बैठक में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये गये Mobile Face Authentication App For E-KYC "PM-KISAN GOI" APP को Google Play Store पर उपलब्ध करा दिया गया है । इस ऐप के माध्यम से लाभुक किसान द्वारा स्वयं या कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मी के माध्यम से योजनान्तर्गत लंबित E-KYC सत्यापन के कार्य को सहजता के साथ निष्पादित किया जा सकता है । इस ऐप के माध्यम से अब तक कुल 77,598 किसानों का E-KYC सत्यापन पूर्ण कराया जा चुका है ।

4. किसानों द्वारा बैंक खाते को आधार एवं एन0पी0सी0आई0 से लिंक कराने में अगर कोई समस्या आ रही हो तो सुलभ रूप से अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक (आई0पी0पी0एस0) के माध्यम से नया (DBT Enabled) बैंक खाता खुलवा सकते हैं ।

5. किसान भू-लेख अंकल (Land Seeding) कराने के लिए अपने संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर पुनः अपने अभिलेख को अपडेट करा सकते हैं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ लेकिन खासकर किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है । भारत सरकार जिस तरीके से किसानों की अनदेखी कर रही है ।

(क्रमशः)

टर्न-2/मुकुल/13.07.2023

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि ये भारत सरकार में इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवायें और इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने की व्यवस्था करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । संक्षेप में बतायें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हम संक्षेप में ही बता रहे हैं कि भारत सरकार का किसान के प्रति जो भी योजना आती है उसमें किसानों के लिए इतने प्रकार के नियम-कानून बना दिये जाते हैं । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि बिहार में अगर कोई जमीन का खाता, खसरा दादा, परदादा के नाम से है वह अभी तक चलता आ रहा है । अब भारत सरकार का कहना है कि आप हमको म्यूटेशन दीजिए, एल0पी0सी0 दीजिए । महोदय, उसमें किसानों को इतनी समस्या उत्पन्न हो गयी है कि वे उसके आलोक में आवेदन नहीं दे पा रहे हैं इसीलिए महोदय इतने किसानों का मामला लंबित है । हम तो भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर वे किसानों के हितैषी हैं तो अपने नियम-कानून में अगर संशोधन करते हैं तो हमारे बिहार के सभी किसान एक्टिव हैं, जितना इनको ऑनलाइन करना होगा वे सब कर लेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-16 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पूछा गया ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-17 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्त में कार्यरत सुधामित्रों की संख्या लगभग 300 थी । इनमें से अधिकांश सुधामित्र वर्ष 2019 के पूर्व से ही रू0 12,000 के समेकित मानदेय पर कार्यरत थे, जिसे 01.01.2019 से बढ़ाकर रू0 15,500 किया गया को पुनः 01.04.2022 के प्रभाव से बढ़ाकर रू0 19,500 किया गया । इसके अतिरिक्त इन्हें क्रियाकलापों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि रू 2000 मोबाइल व्यय मद में रू 300 फिक्स्ड यात्रा भत्ता रू0 2100 प्रति माह दिया जाता है ।

सुधामित्र की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं वरण कॉम्पेड के द्वारा की गयी है, जो संविदा आधारित है । सुधामित्र के मानदेय में प्रतिवर्ष उनके कार्य प्रदर्शन के अनुरूप अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि उनको 19,500 वेतन मिलता है, जबकि उनको 300 रुपये भाड़ा में खर्च करना है और 2,100 रुपया प्रति माह मोबाइल में और जो प्रति किलोमीटर है उन सबको जोड़कर 19,500 रुपया दिया जाता है । इनको जो अतिरिक्त देना है वह इसी में समाहित किया गया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे अलग से इनको व्यय करने के लिए राशि प्रदान करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 19,500 रुपया हम उनको देते हैं, साथ-साथ में 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, प्रश्नकर्ता ने स्पष्ट जो पूछा है उतना का ही जवाब दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम उतना का ही जवाब दे रहे हैं । हमलोग 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देते हैं, 300 रुपया मोबाइल के लिए देते हैं और 2,100 रुपया प्रति माह हम उसको देते हैं । महोदय, आप देखेंगे कि मानदेय जो है, हमारे पास उसका विवरण है, मानदेय 15,500 रुपया, यात्रा भत्ता 1,500 रुपया, क्रियाकलाप प्रदर्शन के आधार पर

प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया, मोबाइल खर्च के लिए अलग से 300 रुपया और भविष्य निधि आदि की जनगणना हेतु मूल वेतन जो है 13,248 रुपया प्रति माह हमलोग देते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जून, 2023 में सरकार द्वारा महंगाई में 4.81 परसेंट की वृद्धि हुई है तो सरकार सुधामित्रों के मानदेय में कब तक वृद्धि करना चाहती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार जब-जब इनलोगों की डिमांड आयी है, चूँकि ये गांव में भ्रमण करते हैं, दूध की क्वालिटी को चेक करना इस तरह के बहुत सारे इनके काम हैं, उसके आधार पर आलरेडी सरकार ने 19,500 रुपया । पहले इनका वर्ष 2019 में इनको 12,000 रुपया प्रति माह मिलता था उसके बाद 01.01.2019 में इसको बढ़ाकर 15,500 रुपया किया गया । दिनांक- 01.04.2022 में 19,500 रुपया किया गया तो लगातार हमलोग इनके लिए महंगाई को देखते हुए सब कुछ किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है बहुत अच्छा । सरकार महंगाई को देखते हुए इनके लिए समयानुसार कार्रवाई कर रही है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ..

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : (क) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

ओपन स्पेस जोन में स्थित एन0एच0 एवं एस0एच0 के किनारे पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट स्थापित करने की अनुमति पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त आवेदनों के आलोक में भूमि उपयोगिता से संबंधित वस्तुस्थिति की जानकारी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है । जिला पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त अद्यतन कुल-183 आवेदनों के विरुद्ध कुल-165 प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा जा चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र । आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोग अपने-अपने जगह पर बैठे रहिये । मार्शल, उनके कागज को ले लीजिए । मार्शल, माननीय सदस्य कुमार शैलेन्द्र का जो कार्यक्रम देखने को मिला है वह असंसदीय, अशोभनीय है इसलिए इनको सदन से बाहर कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र को मार्शल आउट किया गया)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग ऐसा कीजिएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा । आपको ऐसा आचरण करने की इजाजत आसन कभी नहीं देगा । मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा । माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र।

(व्यवधान जारी)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ ।

अध्यक्ष : आपलोग बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : एन0एच और एस0एच0 के किनारे आम तौर पर....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इनको बाहर लेकर जाइये । सुनिये, आपलोग ऐसा आचरण कीजिएगा ? चलिए, बाहर जाइये, बाहर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एन0एच0 और स्टेट हाइवे के किनारे आम तौर पर कृषि योग्य भूमि रहती है । उस भूमि के गैर सरकारी कार्य हेतु समरिवर्तन का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर होता है, हमारा प्रश्न इसका नहीं है । हमारा प्रश्न स्पष्ट है कि एन0एच0 के किनारे पेट्रोल पम्प खोलने के आवेदन पर या आपत्ति दर्ज कर उसे लौटाया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मार्शल, उनको पकड़िए और कुर्सी से दूर कीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मास्टर प्लान के अंतर्गत है, यह महानगर प्लान की उस अधिसूचना में अंकित है जिसमें मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट चाहता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये लोग लगातार इस सदन का अपमान कर रहे हैं, सदन की मर्यादा का हनन कर रहे हैं । ये कुर्सीयां चलाना, टेबल पलटना और सुरक्षाकर्मी से उलझना यह कोई संसदीय आचरण नहीं है । महोदय, नियमावली में प्रावधान है, आप सक्षम कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं । सरकार चाहती है कि सदन व्यवस्थित चले, इसके लिए आप जो भी कदम उचित समझें, वह उठाएं और सदन चलाने में सरकार आपके साथ है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप कुर्सी उठाएंगे, कागज को फाड़ेंगे, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सदन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा । इनको सदन के वेल में नहीं खड़ा किया जाय, इनको वेल से निकाल बाहर किया जाय ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपलोग जाइये, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको सदन में रहने का और काम करने का कोई हक नहीं है । इन्होंने इस तरह का जो आचरण किया है उसके लिए मैंने मार्शल को उनको सदन से बाहर करने के लिए आदेश दिया है जो बिल्कुल नियम के तहत है ।

माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब है, उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, यह संविधान विरोधी है, देश विरोधी है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । इसलिए देश विरोधी और संविधान विरोधी आचरण करने की वजह से ये लोग सदन को छोड़कर अपने-आप बाहर चले गये । माननीय सदस्य, सत्यदेव राम आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

टर्न-3/यानपति/13.07.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में पहले दिन से जो विपक्ष का रवैया दीख रहा है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हताशा में हैं, निराशा में हैं, बेचैन हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्हें स्पष्ट दीख रहा है कि इनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। और महोदय, आपके सामने नियमावली रखी रहती है, आप सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की प्रतियां उपलब्ध कराते हैं इसके पीछे भी तो कुछ मकसद होता है कि गंभीर से गंभीर विषय को सदन में उठाने के लिए भी अपनी जो प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है और उसके तहत मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार हर समय तैयार रहती है और हम तो, जब विपक्ष कोई सवाल पूछते हैं, किसी जनहित के मुद्दे को उठाते हैं तो सरकार तो उसको सहयोग मानती है क्योंकि सरकार को अपनी नीतियों को, अपने जो काम हैं उसको जनता के सामने रखने के लिए सदन के माध्यम से, आसन के माध्यम से सब को बताते हैं। लेकिन आसन स्वयं इस बात का चश्मदीद होता है कि कुर्सियां चलाते हैं, कुर्सियां फेंकते हैं, कल भी क्या था महोदय, उपमुख्यमंत्री माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और उधर से कुर्सियां चल रही थीं, यह संसदीय प्रणाली है क्या? यह कोई संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का आचरण हो सकता है क्या? यह बिल्कुल ही तानाशाही रवैये का परिचायक है और महोदय, हमारी बात सुनिये और ये सिर्फ अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ हमारी बात सुनिये ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ हमारी ही बात सुनिये बाकी किसी की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी। ये बोलते हैं, इनके सदस्य वापस चले जाते हैं, आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बात समाप्त होती है फिर सारे सदस्य वेल में चले आते हैं। क्या सदन, बराबर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष भी कि सदन अगर विपक्ष के या आसन विपक्ष के अधिकारों का संरक्षक है तो क्या सरकार के अधिकारों का संरक्षक नहीं है, सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो सरकार तैयार नहीं है जवाब देने के लिए और मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार उपमुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर किसी भी जनहित के मुद्दे का हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है लेकिन विधिवत उठाएं तो। यह पूरे सदन की मर्यादा का हनन करके यह इस तरीके से स्पष्ट दीखता है कि अब इनको प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में या प्रजातांत्रिक मूल्यों में इनका भरोसा खत्म हो गया है या इनको अहसास हो गया है कि अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हम चले तो हम खत्म हो जाएंगे इसलिए, अब समझिए कि मार्शल

जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनसे उलझते हैं । ये टेबल पलटते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं और महोदय आपको जरूर संज्ञान में होगा, सदन के अंदर भी किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह आपराधिक आचरण माना गया है । सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि सदन में आपको प्रोटेस्ट करने का, आपत्ति उठाने का अधिकार है लेकिन सरकारी संपत्ति को, अब यहां कोई आग लगा दे, कुर्सियां तोड़ दे, मेजें तोड़ दे, तो यह कोई संसदीय आचरण नहीं होता है । यह माना जाता है कि आपने डैमेज टु गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो ऐक्ट है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो कानून है उसके तहत यह आपराधिक कृत्य माना गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा तो इस तरह का आचरण सदन में होना यह सर्वथा अनुचित है । सरकार और सदन को निश्चित रूप से ऐसे आचरण की निंदा करनी चाहिए और आपको भी उसपर उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए ।

अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपने जो कहा बिल्कुल नियमावली के तहत आपने कहा है और मैं समझता हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों सरकार के अंग हैं और नेता विरोधी दल ही जब वेल में दौड़कर चले जाएं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है । जब माननीय सदस्य सदन की सदस्यता की शपथ लेते हैं तो इन्हें प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली और एक संविधान की भी किताब दी जाती है । मैं समझता हूं कि उसको पढ़ना चाहिए लेकिन ये हंगामा करने के अलावा उसको पढ़कर के उसकी बारीकी को समझने में ये लोग अपने स्तर से प्रयास नहीं करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि घर का मालिक ही इस तरह से आचरण करेगा तो फिर नीचे के परिवार का क्या होगा । इसलिए संसदीय प्रणाली में इनलोगों को, जैसा मैंने देखा इनलोगों को, कोई संसदीय व्यवस्था में इनलोगों का विश्वास नहीं है और सिर्फ माइलेज लेने के लिए ये इस तरह का आचरण करते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन नियम, प्रक्रिया से चलेगा और चलता है, हम चलाएंगे और जो भी गलत काम करेगा, आचरण जिसका गलत होगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार मैं करूंगा । और कल जो कार्रवाई हुई है उसका मैंने वीडियो देखा है और उसकी मैं जांच करवा रहा हूं और जिसने कुर्सी को तोड़ा है, उठाया है उसके ऊपर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई मैं करूंगा यह मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं । अब भाई वीरेन्द्र अपना पूरक पूछें ।

श्री भाई वीरेन्द्र: जो सरकार की तरफ से जवाब आया है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप शांति बनाए रखें ।

श्री भाई वीरेन्द्र: उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य खड़े हैं, होने दीजिए, यह पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र: हाईवे के किनारे आम तौर पर कृषि योग्य भूमि रहती है उस भूमि के गैरसरकारी कार्य हेतु संपरिवर्तन का कार्य अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर होता है । प्रश्न इसका नहीं है, प्रश्न स्पष्ट है कि एन0एच0 के किनारे पेट्रोल पंप खोलने के आवेदन पर यह आपत्ति दर्ज कर उसे लौटाया जा रहा है, यह पटना मास्टर प्लान के अंतर्गत है । लौटाया इसलिए जाता है कि मास्टर प्लान के अंतर्गत है इसलिए यहां पेट्रोल पंप एस0एच0 या एन0एच0 पर नहीं खोलने दिया जाएगा ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछें । समय का सदुपयोग किया जाय ।

श्री भाई वीरेन्द्र: यह चैप्टर-3 में अंकित है जो मैंने स्पष्ट किया है ।

अध्यक्ष: आपके प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है माननीय सदस्य ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, पेट्रोल पंप खोलने का जो आवेदन दिया जाता है उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है जबकि नियम सरकार का है कि एन0एच0, एस0एच0 पर देना है और यह कहकर कि मास्टर प्लान में है हम नहीं दे पाएंगे इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी बताएं ।

टर्न-4/अंजली/13.07.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में हमने स्पष्ट कहा है कि एस.एच. के किनारे पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट स्थापित करने की अनुमति पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त आवेदन के आलोक में भूमि उपयोगिता से संबंधित वस्तुस्थिति की जानकारी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है । महोदय, जिला पदाधिकारी कार्यालय में इस तरह के लगभग 183 आवेदन आये, इसकी जांच हुई, जांच के विरुद्ध उसमें से 165 प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा जा चुका है । चूंकि शहर का मामला है, माननीय सदस्य कह रहे हैं । महोदय, शहर के अंदर बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहां पर कॉमर्शियल होता है, रेसिडेंशियल होता है, जहां पर आबादी बहुत होती है और वहां पर पेट्रोल पंप बनेगा कि नहीं बनेगा, गैस के गोदाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह जिलाधिकारी को पावर होता है, वे डिसाइड करते हैं और जो आवेदन जिलाधिकारी के यहां जाता है, उसकी जांच होती है और जांच के आलोक में अगर वह सही पाया जाता है कि यहां पर पेट्रोल पंप बनाने से किसी आबादी को नुकसान नहीं होगी तो उसको एन0ओ0सी0 दिया जाता है । अगर माननीय सदस्य को

अलग से कुछ जानकारी लेनी है तो माननीय सदस्य हमारे विभाग में आकर बैठ करके बात करेंगे, जो निष्कर्ष निकालना होगा, कुछ समझना होगा तो हम निश्चित ही उनको बतायेंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : जी पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं इसमें जो मास्टर प्लान, 2031, पटना महानगर के लिए बना हुआ है । यह मास्टर प्लान बनने से पहले कई सारे लोगों ने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन दिया हुआ था और उन्होंने पेट्रोल पंप का निर्माण भी कर लिया है ।

अध्यक्ष : आप रिपीट मत कीजिए, जो वह कह चुके हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : नहीं-नहीं महोदय । मैं यह कह रहा हूँ कि वह जो निर्माण कर चुके हैं प्लान बनने के पहले उनको अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ? उनको तो अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, जो पेट्रोल पंप बन गया, उसको अनुमति मिली होगी तभी न बना महोदय, फिर किस बात की वह अनुमति मांग रहे हैं । पेट्रोल पंप बना ही लिये, वे चला ही रहे हैं तो कौन-सी अनुमति चाहिए । बिना अनुमति के तो पेट्रोल पंप बना नहीं होगा महोदय ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या कहना है आपको ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : उसका समय खत्म हो गया । सुनिये ।

सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से बात रखी, सरकार और मुख्यमंत्री तत्परता के साथ सदन में बैठे हुये हैं, माननीय सदस्य चाहे सत्तापक्ष के हों, विपक्ष के हों वे जनता के सवाल पर अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए । सरकार तत्पर है और मुख्यमंत्री तत्पर हैं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : लेकिन महोदय, जिस तरह का आचरण पिछले दो दिनों से देखने को मिल रहा है.....

अध्यक्ष : आप जो बात कहना चाहते हैं वह बात, संसदीय कार्य मंत्री जी नसीहत दे चुके हैं।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, हम निंदा प्रस्ताव पेश करते हैं। जिस तरह से पिछले दो दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथियों के द्वारा जो अमर्यादित आचरण किया जा रहा है इसके लिए हम सदन के माध्यम से...

अध्यक्ष : आप सुनिये। आप निंदा प्रस्ताव पढ़ना चाहते हैं। वह आपकी अपनी सोच और समझदारी है। अच्छी बात है, आप पढ़ दीजिए लेकिन समय ज्यादा नहीं लीजिएगा।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, भाजपा के माननीय विधायकों द्वारा सदन में कुर्सी उठाकर आसन की ओर लगातार दिखाया जा रहा है और इस अशोभनीय आचरण पर हम निंदा प्रस्ताव लाने की सूचना देते हैं। भाजपा के विधायक साथी वेल में पहुंचकर आसन की तरफ कुर्सी दिखाते हैं और सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, आसन की तरफ कुर्सी फेंकने की कोशिश करते हैं और लगातार दूसरे दिन भी वेल में पहुंचकर इस तरह का अपमान कुर्सी उठाकर किया जा रहा है। सदन नियम से चलता है परंतु भाजपा के विधायकों द्वारा नियम का अनादर किया जा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से भाजपा विधायकों के इस अशोभनीय आचरण के लिए उनके खिलाफ वीडियो फुटेज देखकर उन सभी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग करता हूं। जिन लोगों ने हाथ में कुर्सी उठाकर आसन की तरफ अपमानजनक व्यवहार किया।

अध्यक्ष : आपने निंदा प्रस्ताव पढ़ दिया। मैं समझता हूं कि इन लोगों के जो आचरण हुये हैं, आसन को भी बुरा लगा है, पूरे सदन और सरकार को भी बुरा लगा है। वे अपने आचरण में भविष्य में सुधार लाएं। अगर यही आचरण रहेगा तो नियम प्रक्रिया के तहत आसन से मैंने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव। आपको ऑनलाइन जवाब मिल गया है ?

श्री रामबली सिंह यादव : जी महोदय।

अध्यक्ष : हाँ तो आप प्रश्न पूछिये। माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग जवाब देंगे। आप पूरक पूछिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-294 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र संख्या-217, घोसी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है।

2. नगर पंचायत, काको का गठन विभागीय ज्ञापांक-519 दिनांक- 10.02. 2021 के माध्यम से किया गया है। तदुपरान्त साफ-सफाई के महत्वपूर्ण कार्य को तत्काल विभागीय स्तर से कराया जाने लगा जिसके लिए कचरा संग्रहण एवं परिवहन हेतु

वाहनों का क्रय किया जाना आवश्यक था । जिनका छठे राज्य वित्त/15वीं वित्त मद में उपलब्ध राशि से नियमानुसार क्रय किया गया । कालान्तर में निविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेन्सी से साफ-सफाई कराया जाने लगा । जिसमें निकाय के वाहनों का प्रयोग एजेन्सी द्वारा किया जाता है । वाहनों के प्रयोग के लिए भाड़े के तौर पर निर्धारित राशि एजेन्सी द्वारा नगर निकाय को भुगतान किया जाता है ।

3. उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्टकर दी गई है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उत्तर आया है । मेरा प्रश्न नगर पंचायत काको से जुड़ा हुआ है । नया नगर पंचायत वर्ष 2021 में बना है और 2021 से लेकर के नगर पंचायत का चुनाव अभी हाल में कामकाज शुरू हुआ है, कोई विकास का काम गांव में नहीं हुआ है । गुलामीचक गांव है और कई गांव हैं जहां चलने लायक गांव की गली नहीं है महोदय । मेरा सुझाव था कि नगर पंचायत से पहले नाली, पी0सी0सी0 वगैरह बनाया जाय । गाड़ी खरीद ली गई है और उत्तर दिया गया है कि गाड़ी खरीदने के बाद आउटसोर्सिंग एजेन्सी से सफाई कार्य शुरू हुआ और खरीदी गई गाड़ी को भाड़े पर लगा दिया गया है । महोदय, मेरा पहला पूरक है कि जब गांव में पी0सी0सी0 नहीं है, नाली नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आप भूमिका में न जाइए । आपके प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है उसको पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : जी महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि आउटसोर्सिंग एजेन्सियां ऐसी स्थिति में कौन-सी सफाई कार्य कर रही है जब गांव में पी0सी0सी0 ही नहीं है । महोदय, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे । मेरा दूसरा सवाल है कि वहां के जब कार्यपालक पदाधिकारी को मालूम था कि राज्य भर में सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग एजेन्सियां कराती हैं जिनके पास खुद का वाहन होता है तब गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लाने या खरीदने के पीछे कौन-सा उनका उद्देश्य था ? यह अभी मेरा दो पूरक है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । वे बिल्कुल जितना पूछे हैं उतने का जवाब दे दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इसका अपना अधिकार होता है । कोई ऐसा नगर परिषद है जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी तो वह सफाई का काम कैसे करेगी और सभी नगर पंचायतों और नगर परिषदों के पास अपनी गाड़ी होती है और जो गाड़ी खरीदी गई है वह बिल्कुल ही नियमानुसार है, कहीं से उसमें कोई शिकायत नहीं है, नियम के अनुसार खरीदी गई है । जहां तक इन्होंने प्रश्न किया है आउटसोर्सिंग का, महोदय, गाड़ी के

बावजूद भी नगर पंचायत, नगर परिषद यह तय करती है कि हमारे जो लेबर हैं, हमारे जो स्टाफ हैं वे भी अपनी गाड़ी को यूज करेंगे और आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वे भी साथ में काम करेंगे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नगर परिषद, नगर पंचायत का काफी विस्तार हुआ है महोदय। कई ऐसे ब्लॉक हैं, कई ऐसे नगर परिषद हैं जहां पर 20 वार्ड होते थे वह बढ़कर 55-56 हो गये हैं तो अपना हैंड रखना पड़ेगा नगर पंचायत को। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय भी छठे राज्य वित्त के 15वें वित्त मद में उपलब्ध राशि के नियम अनुसार उन्होंने क्रय किया है। माननीय सदस्य का कहना है कि पहले गली-नाली क्यों नहीं बनी? महोदय, सात निश्चय के तहत बड़े पैमाने पर नगर पंचायत, पंचायत सब को पैसा दिया जा रहा है। गली-नाली हम बना दें और झाड़ू नहीं लगे, कचरा नहीं उठे तो इंसान का जीवन तो नर्क में हो ही जायेगा न महोदय। इसमें अगर माननीय सदस्य को लगता है कि इनके द्वारा पहले नगर पंचायत, नगर परिषद से पहले गली-नाली बन जाय तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो अधिकार दिया ही है। आप नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी आपके यहां है आप उसको पत्र दे दीजिए। आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि पहले तत्काल में यह गली-नाली बना दीजिए तुरंत बन जायेगा। उसमें कहीं से कोई परेशानी है नहीं महोदय।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मैंने...

टर्न-5/सत्येन्द्र/13-07-2023

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्पष्ट सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है।

श्री रामबली सिंह यादव: एक पूरक और पूछने दिया जाय महोदय। पहली बात तो है कि मैंने पहली बैठक में ही सूचना दिया था, उनको बतलाया था कि कहां क्या समस्या है, बार्ड पार्षद लोग भी बताये थे और वह बजाप्ता प्रस्ताव पारित हो गया था महोदय। इसके बाद अभी जो गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लाया गया है महोदय, उसके लिए बैठक रखी गयी उस दिन, जिस दिन जिला में बैठक था डी0एम0 की उपस्थिति में और विधायक को डी0एम0 साहब भी आमंत्रित किये थे कि इस बैठक में आईए और कार्यपालक पदाधिकारी भी आमंत्रित किये तो उनको मालूम था कि वे डी0एम0 के यहां ही बैठक में जायेंगे और इसलिए इस तरह के बैठक कर के यह गाड़ी खरीदी गयी। महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ और मुझे पूरा संदेह है कि इसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई है और इसीलिए इस तरह की रणनीति बनाकर बैठक आयोजित की गयी और मैं चाहता

हूँ और मांग करता हूँ कि क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच कराकर ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, नाली गली के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको उसमें खर्च न कर के मनमाने तरीके से गाड़ी खरीद लेते हैं ..

अध्यक्ष: आप माननीय पुराने सदस्य हैं । बिना आसन के इजाजत के आप खड़े हो गये हैं ऐसा नहीं होना चाहिए । जो दूसरे लोग आचरण कर रहे हैं, वैसा आचरण मैं नहीं आशा करता हूँ आपलोगों से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया है, अगर आवश्यक आवश्यकताएं नाली गली की हैं तो यह लिखित आप उनको दे सकते हैं, अगर नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो तो उसके कार्यपालक पदाधिकारी को साथ ही उन्होंने कहा कि जो खरीदगी हुई है पूरे नियम और प्रक्रिया के तहत हुई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई अन्य बात होनी चाहिए । सरकार भी तो पूरी जांच करवाकर के संतुष्ट होकर के ही माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देती है यहां । माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत और नगर परिषद के बार्ड सदस्य, ये सभी जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं, उनकी अपनी बोर्ड की बैठक होती है और उसके जो चेयरमैन होते हैं, जो बार्ड सदस्य होते हैं, बार्ड काउन्सिलर होते हैं महोदय उनकी बैठक होती है । अगर माननीय सदस्य को इसकी सूचना थी और कलक्टर के यहां उनको जाना था तो प्रावधान है ही कि अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेज देते फिर भी अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि अधिकारी कोई गड़बड़ कर रहा है तो यहां से कोई बचता है क्या महोदय? वे लिखित रूप से देंगे तो हम उसकी जांच करायेंगे और दोषी पाये जायेंगे तो जेल जायेंगे यह लिखकर दे दें उसमें कौन बड़ी बात है महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अगर दो जगह एक ही दिन बैठक है तो इस तरह के प्रावधान जो आपने कहा कि अगर एक जगह जा रहे हैं और एक ही दिन दोनों जगह बैठक हैं तो दूसरी जगह अपनी प्रतिनिधि को भेज दें । इस तरह की व्यवस्था है क्या ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: इसको हम दिखवा लेंगे । चूंकि अभी तक हमलोग भी नहीं जाते हैं महोदय तो हम एक पत्र भेज देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में ये जायेंगे । लेकिन हम उसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: आप उसको दिखवा लीजियेगा । माननीय सदस्य श्री राम विलास कामत ।

(व्यवधान)

अमरजीत जी, माननीय सदस्य अब अन्य प्रश्न पर बोलियेगा । माननीय सदस्य श्री कामत जी खड़े हो गये हैं । रामबली सिंह कम्पीटेंट हैं और सरकार भी बहुत तत्परता के साथ सजग है आप लोगों की समस्या के निदान करने के लिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 295(श्री रामविलास कामत(क्षेत्र सं0-42,पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री ललित कुमार यादव,मंत्री: आंशिक स्वीकारात्मक । सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम पंचायत-दीनापट्टी के वार्ड नं0-02 में कुल 242 घर है जिसमें से 142 घरों में शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष 100 घर मूल योजना से अधिक दूरी पर अवस्थित होने के कारण छूटे हुए टोलों के तहत योजना तैयार कर ली गई है । योजना स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

वार्ड नं0- 03 में कुल 138 घर है जिसमें से 132 घरों में जलापूर्ति की जा रही है।

वार्ड नं0- 04 में कुल 232 घर है, जिसमें से 138 घरों में शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष बचे 94 घर मूल योजना से अधिक दूरी पर अवस्थित होने के कारण छूटे हुए टोलों के तहत योजना तैयार कर ली गई है । योजना स्वीकृत होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

वार्ड नं0-05 में कुल 142 घर है जिसमें से 128 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । सड़क निर्माण के क्रम में पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण 14 घरों में जलापूर्ति बाधित है जिसे एक सप्ताह के अन्दर मरम्मत कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

श्री राम विलास कामत: अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ । उत्तर मुद्रित है सर ।

अध्यक्ष: तो आप पूरक पूछिये ।

श्री राम विलास कामत: अध्यक्ष महोदय, हमने जिन बातों की चर्चा प्रश्न में की है, हम अपने विधान-सभा के एक प्रखंड के एक पंचायत के सिर्फ चार वार्डों का हमने चर्चा किया है और उत्तर भी जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें चारों वार्डों में जलापूर्ति का अलग अलग उत्तर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है उसमें वार्ड नं0-2 जिसमें कुल घर 242 है और अभी उसमें 100 परिवार को जलापूर्ति की जा रही है और बाकी जो 100 से अधिक घर जो बचा हुआ है, वे लोग नल जल योजना के लाभ से बंचित हैं और सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि इसका हम सर्वे करा रहे हैं और उसको भी लाभ जल्द दिया जायेगा लेकिन समय काफी व्यतीत हो गया है और हमने कई बार इन बातों को लेकर वहां के इंजीनियर, पदाधिकारी से भी सम्पर्क किया था लेकिन

अभी तक जलापूर्ति की जो योजना है उसका लाभ जो सभी लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है, वार्ड के आगे लोग उस लाभ से बंचित है। यह एक उदाहरण है महोदय, कमोवेश सभी पंचायतों में, अधिकांश वार्डों में यह समस्या है और यह कहकर के यहां पर जो वंचित परिवार हैं, उनका घर दूर है इसलिए उसको बाद में जल दिया जायेगा, वे लोग उसके लाभ से बंचित हैं और जहां तक पीने का पानी का सवाल है महोदय तो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो बचे हुए परिवार हैं वार्डों में, उनको जल्द से जल्द जलापूर्ति का लाभ मिले, इसका लाभ वे लोग ले सकें। अन्य जो वार्ड है जिसमें दिया गया है, पांच नं० वार्ड में कि सड़क निर्माण के कारण पाईप टूट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया इसलिए उसको पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम एक साल से इस पर नजर रखे हुए हैं और कई बार हमने इसके लिए वहां के इंजीनियर से, पदाधिकारियों से सम्पर्क किया कि भई बनने के बाद भी जलापूर्ति नहीं हो रही है और क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक कीजिये लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है इसलिए हम सरकार से माननीय मंत्री जी आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द छोटे हुए परिवारों जो वार्ड में बचे हुए परिवार हैं, उसको जल्द से जल्द पानी मिले और जो क्षतिग्रस्त है उसको भी शीघ्र दुरुस्त कराये।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री: सरकार का स्पष्ट उत्तर है महोदय वार्ड-2 के संबंध में कि 242 घर में से 142 घर में जलापूर्ति की जा रही है और मूल योजना से अधिक दूर होने के कारण 100 घर के लिए प्राक्कन बना ली गयी है। योजना की स्वीकृत के उपरांत वहां निर्माण कार्य शीघ्र चालू करा दिया जायेगा महोदय। वार्ड 3 में भी 138 घरों में से 132 घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वार्ड-4 में भी 138 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और मूल योजना से 94 घर दूर होने के कारण शीघ्र उसका प्राक्कलन बनाकर योजना की स्वीकृत संबंधी कार्रवाई अंतिम चरण में है और शीघ्र वहां जलापूर्ति की जायेगी। जहां तक महोदय माननीय सदस्य ने कहा है कि 142 घरों की जगह 128 घरों में जलापूर्ति की जा रही है तो वहां सड़क निर्माण के क्रम में पाईप क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण शेष घरों में दिक्कत हुई उसमें भी एक सप्ताह में जवाब दिया गया है कि पानी चालू करा दिया जायेगा।

श्री रामविलास कामत: अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया है चार वार्ड का, एक पंचायत का मामला हमने उठाया है कमोवेश अधिकांश पंचायत के अधिकांश वार्ड में यही समस्या है कि बहुत सारे परिवार अभी तक इस लाभ से वंचित हैं तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो उत्तर...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ?

श्री राम विलास कामत: महोदय सरकार के द्वारा जो यह उत्तर दिया गया है कि योजना की स्वीकृत होने के उपरांत निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा तो स्वीकृति के लिए एक वर्ष बहुत अधिक होता है...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: मंत्री जी से मिलकर के आप कल या परसों, सोमवार को मिलकर के इस पर डिस्कस कर लीजियेगा । चलिये बैठिये ।

श्री राम विलास कामत: धन्यवाद, सर ।

टर्न-6/मधुप/13.07.2023

तारांकित प्रश्न संख्या- 296 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, यह नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित है, पत्रांक-137 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा ।

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास मंत्री जी तैयार हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, उत्तर दे दिया गया है । यदि उनको कोई पूरक पूछना हो तो पूछें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, शेरघाटी के नवनिर्मित वार्ड सं0 6, 7 एवं 8 में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति अवरूद्ध है । नगर परिषद्, शेरघाटी के बोर्ड की आगामी बैठक में पाईपलाईन की मरम्मत, नई योजना का प्रस्ताव रखा जायेगा, तत्पश्चात् बोर्ड से योजना पारित होने की स्थिति में राशि की उपलब्धता के आलोक में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, हमारा पूरक प्रश्न है कि वार्ड नं0 6, 7, 8, 16, 18 और 24 में जल मीनार एवं पाईपलाईन बिछा दिया गया है तो यह कबतक नल-जल योजना चालू की जाएगी ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वहाँ जो चेयरमैन हैं, माननीय सदस्या जानती ही होंगी, उनसे आग्रह करके बोर्ड की बैठक करा ली जाय और जो क्षतिग्रस्त है, बोर्ड की बैठक, वहाँ

चूँकि चेयरमैन बैठते हैं तो बोर्ड की बैठक होगी कि यह-यह वार्ड में हमारा यह क्षतिग्रस्त है और बोर्ड की बैठक में पारित हो जायेगा तो तुरंत उसको बना दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-297 (श्री विनय कुमार चौधरी, क्षेत्र सं0-80, बेनीपुर)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

(लिखित उत्तर)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक । दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखंड के जगन्नाथपुर के वार्ड संख्या 12 में आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति हेतु वर्ष 2012-13 में मिनी जलापूर्ति का निर्माण कराया गया था । उक्त योजना में प्रावधानित कुल 21 अर्द्ध पोस्ट निर्मित कर मार्च, 2013 में जलापूर्ति प्रारंभ की गई थी । उक्त योजना की मरम्मत एवं सम्पोषण की अवधि मार्च, 2018 में समाप्त हो गई । वर्तमान में योजना बंद है । इस पंचायत अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया है । योजना को चालू करने के लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त तीन माह में योजना से जलापूर्ति प्रारंभ करा दी जायेगी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, जवाब मिल गया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नल-जल योजना जो चालू किया है, वह एक आंदोलन है और कुछ जगह छूट गया है जिसमें यह बना हुआ है लेकिन 2013 में बनने के कुछ दिन बाद ही वह नहीं चालू हुआ है तो मंत्री जी संयोग से हमारे ही जिला के हैं और बड़े ही कर्मठ मंत्री हैं, मेरा आग्रह है कि जल्द-से-जल्द जो दो-तीन के बारे में मैं इनका व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान आकृष्ट कराया हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ इनके विभाग की जो योजना नहीं चल रही है, और सब तो चल ही रहा है, संयोगवश है या मेरा दुःसंयोग है कि इसी विभाग के जो पेयजल योजना हैं, वह अव्यवस्थित हैं ।

मेरा आग्रह है कि यह व्यक्तिगत रूप से हमारे लिये, ये सरकार के लिये तो करते ही हैं, हमारे लिये जरा-सा व्यक्तिगत रूप से हमारे क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर जल्द-से-जल्द करवा दें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, दोनों एक ही जिला के हैं इसलिए मिलकर समस्या का निदान शीघ्रतिशीघ्र करा लीजिएगा ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, बहुत सकारात्मक जवाब है ।

अध्यक्ष : आप पर इनको बहुत भरोसा है ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : तीन माह के अंदर प्राक्कलन तैयार करके, कार्य योजना तैयार हो गई है, चालू करा दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 298 (श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0-19, मोतिहारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 299 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र सं0-47,रानीगंज(अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको ऑनलाईन जवाब मिल गया है ?

श्री अचमित ऋषिदेव : जी नहीं ।

अध्यक्ष : नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी, तब तो जवाब पढ़ना पड़ेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : पढ़ देते हैं, महोदय ।

1-स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, रानीगंज एक नवगठित नगर पंचायत है ।

सम्राट अशोक भवन के निर्माण का प्रस्ताव नगर पंचायत, रानीगंज के बोर्ड से पारित नहीं है । बोर्ड से योजना पारित होने की स्थिति में राशि की उपलब्धता के आलोक में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राशि के उपलब्ध हो जाने पर आपके इस योजना का कार्यान्वयन कराने के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा आपको एक तरह से समझिए तो आश्वासन मिल गया। आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-300 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0-225, गुरूआ)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है ?

श्री विनय कुमार : नहीं मिला है, सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से किया गया था। फिर यह प्रश्न ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग से स्थानांतरित होकर आपके विभाग में आया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आज आया नहीं है, महोदय । श्री दिलीप कुमार राय जी का एक प्रश्न था, वह आ गया है । इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : विनय कुमार जी के प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : तो कल ही न जवाब के लिए समय मिलेगा !

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : कल ही दे देंगे, हुजूर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-301 (श्री विजय कुमार मण्डल, क्षेत्र सं0-210, दिनारा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-302 (श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र सं0-25, परिहार)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-303 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195, अगिआँव(अ0जा0))

अध्यक्ष : आपको जवाब मिला है ?

श्री मनोज मंजिल : जी, जवाब मिला है ।

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, भोजपुर (आरा) से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-इटौर, थाना नं0-218, खाता-244, खेसरा-1829 व मौजा-मानसागर, थाना-221 के खाता-182, खेसरा-385, 582 में सुयोग्य श्रेणी के वास विहीन क्रमशः 41 व 09 लाभुकों का सर्वेक्षण के आधार पर बंदोबस्ती का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो को भेजी गयी थी, जिसमें मौजा-मानसागर के प्रस्तावित अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो एवं मौजा-इटौर के प्रस्तावित लाभुकों का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो के स्तर से त्रुटि निराकरण में प्राप्त है । जिसका त्रुटि निराकरण कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियान बसेरा-2 के तहत विभागीय निदेश के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के वास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है ।

2- विभागीय निदेश के आलोक में अभियान बसेरा-2 के तहत वंचित वास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण कर बंदोबस्ती की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : जवाब मिल गया है तो आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : मंत्री महोदय, भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड के गाँव इटौर में 50 सालों से 100 परिवार, मांझी परिवार के अति पिछड़ा समाज के दलित, गरीब समाज के बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर लेकिन उनको पर्चा निर्गत नहीं किया जा रहा है जबकि चरपोखरी सी0ओ0 के माध्यम से वहाँ पर डी0सी0एल0आर0 को, ए0डी0एम0 को भेजा गया है पर्चा निर्गत करने के लिए, 100 में मात्र 41 परिवार को लेकिन अभी तक प्रक्रिया उलझा कर दो साल, तीन साल हो गया, लगातार वे आंदोलन करते रहे हैं, एक और गाँव है मानसागर,

वहाँ भी सरकारी जमीन पर भूमिहीन गरीब बसे हुए हैं, दलित, अति पिछड़े लेकिन उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। 75 साल हो गए आजादी के लेकिन आज भी उनके पास आवासीय जमीन नहीं है और हमारी सरकार दलित, पिछड़ों की, गरीबों की, भूमिहीनों की है, उनको पर्चा नहीं मिले तो बड़ा दुर्भाग्य है, महोदय।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, सरकार ने अपने जवाब में दिया है और उसके तहत बताया गया है कि सुयोग्य श्रेणी के वास रहित क्रमशः 41 और 9 लाभुकों का सर्वेक्षण के आधार पर बंदोवस्ती का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो को भेजी गई थी जिसमें मौजा मानसागर के प्रस्तावित अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो एवं मौजा इटौर के प्रस्तावित लाभुकों का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो के स्तर से त्रुटि निराकरण में प्राप्त हुआ है जिसका त्रुटि निराकरण कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है और इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियान बसेरा-2 के तहत विभागीय निदेश के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ है।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, यह जवाब में है कि अभियान बसेरा-2 के तहत वंचित वासविहीन परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण कर बंदोवस्ती की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। यह निर्धारित समयसीमा क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समय सीमा का निर्धारण।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, अभियान बसेरा-1 जो है, उसके तहत लगभग 21 हजार जो लाभुक बचे हुए हैं जिनको जमीन मिलना था, उसमें से लगभग 5 हजार इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलना था, उसमें लगभग 5-5.5 हजार लोगों के पर्चे भी तैयार हैं एवं उनका वितरण जल्द ही होगा। शेष इस वित्तीय वर्ष में उन पर्चों को दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने जो एक और प्रश्न उसमें उठाया है कि भूमिहीन परिवार के वयस्क लोग जो हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनका परिवार हो गया है, उनके लिए भूमि की व्यवस्था के बारे में। सरकार ने एक ऐप लांच किया है सर्वेक्षण के लिए, बसेरा-2 से संबंधित सर्वेक्षण के लिए एक ऐप लांच किया है और वह ऐप जो है, सभी हलका कर्मचारियों के माध्यम से उसमें अपने-अपने पंचायत, हलके में जो ऐसे भूमिहीन हैं जो वयस्क हो चुके हैं, जिनका परिवार अलग हो चुका है, उसके सर्वे के लिए ऐप लांच किया गया है। जो प्रक्रिया है, उसके पूरे होने के बाद सर्वेक्षण की समीक्षा करने के बाद फिर एक दूसरी सूची तैयार होगी तब नये नौजवान या फिर जो अलग हुए परिवार हैं उनलोगों के लिए भी व्यवस्था का प्रावधान भविष्य में किया जा सकेगा।

टर्न-7/आजाद/13.07.2023

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मेरा यह कहना है, आप नौजवान की बात कह रहे हैं, ये 100 परिवार ऑलरेडी 50 साल से बसे हुए हैं और उनके बाल-बच्चे हैं और मैंने समय सीमा का सवाल किया और इसका समय सीमा क्या है ?

अध्यक्ष : इन्होंने समय सीमा तो आपको दे दिया, अब आप कौन सा समय सीमा चाहते हैं?

श्री मनोज मंजिल : समय सीमा कहां बता रहे हैं महोदय और ये नौजवान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरा परिवार वहां पर बसा हुआ है

अध्यक्ष : प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं, इन्होंने कहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, जो सर्वोक्षित परिवार हैं

श्री मनोज मंजिल : वहां पर 100 परिवार बसे हुए हैं तो 40 परिवार को क्यों, मंत्री महोदय, जो एलीजेबुल हैं, आप सम्मानित मंत्री हैं, 100 परिवार बसे हुए हैं 50 साल से इटौर में, मानसागर में, इसलिए इनको पर्चा दे दिया जाय, वह सरकारी जमीन है, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखित माननीय मंत्री को दीजियेगा, माननीय मंत्री जाँच कराकर के जाँचोपरान्त जो नियमानुसार उपयुक्त होगा, उसपर कार्रवाई करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

तारांकित प्रश्न सं0-304 (श्री अजीत शर्मा,क्षेत्र सं0-156,भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत एकीकृत कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टर योजना को छोड़कर शेष योजनाओं को क्षेत्र आधारित विकास (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) अर्थात भागलपुर नगर निगम के कुल 15 वार्ड (वार्ड सं0-11(P),17(P), 18 से 23, 25 से 29, 31 एवं 38 वार्ड) में क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि एकीकृत कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टर योजना को पैन सिटी अर्थात भागलपुर नगर निगम के सभी वार्डों में क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

उपरोक्त कांडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अजीत शर्मा : उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय, मैं उसपर पूरक पूछना चाहता हूँ ।

भारत सरकार का कोई गाईड लाईन था कि कितने एरिया को चयनित करना है और कितनी धन राशि आवंटित की गई थी, यह मेरा पहला पूरक है, इसका जवाब दे दें । दूसरा है कि क्या भागलपुर नगर निगम या राज्य सरकार के द्वारा पूरे भागलपुर को चयनित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, तीसरा पूरक है कि क्या सरकार को भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने हेतु भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजना चाहती है और भेजना चाहती है तो कब तक ? चूँकि भागलपुर शहर पूरा शहर स्मार्ट सिटी बनना था लेकिन बना नहीं, इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक ही में सबका जवाब दे दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : हुजूर, इस प्रश्न में इनका एक भी पूरक प्रश्न से संबंधित नहीं आया। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वार्ड सं0-11,17,18 से 23, 29, 31, 38 सहित कुल 15 वार्डों में स्मार्ट सिटी की योजना है और हमने कहा है कि चल रहा है और दूसरा इन्होंने पूछा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित कर कार्य कराने का और अन्य कहा कि करेंगे कि नहीं करेंगे ? उनका जो पूरक था, इस प्रश्न में है नहीं, इसके लिए तो वे हमसे अलग से मिलेंगे, हम सब चीज बता देंगे लेकिन मंत्रिमंडल की भी एक शिकायत है महोदय कि पूरी जानकारी दी जानी चाहिए क्योंकि मैं स्वयं भागलपुर जिला का प्रभारी मंत्री हूँ । अगर वे स्वयं वहां पर आकर मिलते तो जिलाधिकारी, नगर निगम सबको बैठा करके इनके पूरे प्रश्न का जवाब मैं वहीं पर भागलपुर में बैठ करके समाप्त कर दिया होता ।

अध्यक्ष : माननीय शर्मा जी, यह तो सोना में सुहागा है । इसलिए आप प्रभारी मंत्री जी से मिलकर के

श्री अजीत शर्मा : बिल्कुल सर, यह जवाब मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि भागलपुर शहर को स्मार्ट बनाना है।

अध्यक्ष : जी । अब प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन ” तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के “राज्य के वित्त” प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन” तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के “राज्य के वित्त” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के “स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन” तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के “राज्य के वित्त” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार स्टेट पावर(हो0) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा-44 के आलोक में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर का वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति ।

श्री भाई वीरेन्द्र, सभापति, प्राक्कलन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सहकारिता विभाग की “बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (तरकारी योजना)” से संबंधित प्राक्कलन समिति का 162वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 213वाँ, 215वाँ, 219वाँ, 220वाँ एवं 221वाँ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 333वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 (1) के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की जल संसाधन विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की शिक्षा विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन सं0-3 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

टर्न-8/शंभु/13.07.23

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 जुलाई, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है । श्री विजय कुमार खेमका, श्री जनक सिंह, श्री अरूण शंकर प्रसाद- आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-173(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्य काल लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, 11 और 12 तारीख का शून्यकाल पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अध्यक्ष : कब का ?

श्री महबूब आलम : महोदय, 11 एवं 12 तारीख का शून्यकाल नहीं पढ़ा गया है व्यवधान पैदा किये जाने के कारण तो हम तमाम सदस्यों की मांग है, आग्रह करते हैं महोदय से ।

अध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है ?

सदस्यगण : हां ।

अध्यक्ष : ठीक है, उसको मान्य किया जायेगा और संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया जायेगा ।

श्री महबूब आलम : धन्यवाद महोदय ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इनकी बात तो आप भी नहीं उठा सकते हैं, सदन तो उठायेगा नहीं ।

अध्यक्ष : ये बड़ा बढ़िया चीज हैं महबूब, इनकी बात को कौन उठा सकता है ।

शून्यकाल

- श्री मनोज मंजिल : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत काली चौक निवासी अर्जुन चौधरी की ताड़ के पेड़ से नीरा (ताड़ी) उतारने के क्रम में गिरने से 12.07.23 को मौत हो गयी । पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने एवं ताड़ से गिरकर मृत्यु होने पर मुआवजे के प्रावधान की मांग करता हूँ ।
- श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई निबंधन कार्यालय के बगल के तथा ऐतिहासिक प्रतिदिन 50 लाख कारोबार का बिधौर घाट में क्रमशः 50 तथा सौ साल से बसे हुए दूकानदारों को प्रशासन ने उजाड़कर दोनों जगहों को कब्रिस्तान बना दिया है । मुआवजा के साथ दूकानदारों को दोबारा बसाने की मांग करता हूँ ।
- श्री महानन्द सिंह : महोदय, पटना मुख्य सोन नहर पर ब्रिटिश काल से अरवल के बैदराबाद, वलिदाद, मेहंदिया एवं बेलसार में बना पुल जर्जर है । पुल टूटने से एस0एच0 एवं अन्य सैकड़ों गांवों से जोड़नेवाली सड़क का आवागमन बाधित हो सकता है । चारों जर्जर पुलों के निर्माण की मांग करता हूँ ।
- श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल हसनपुर, राजस्व ग्राम-भटवन में बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम के तहत भूमिहीन पर्चाधारियों को पर्चा हस्तगत कराया गया था, दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है । अतः मैं उक्त भूमिहीन पर्चाधारियों को दखल-कब्जा दिलाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।
- श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ के निर्माण हेतु पुनरीक्षित राशि 60 करोड़ 98 लाख 24 हजार रूपये मात्र की गयी है, परन्तु अब तक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है । अतएव मैं उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ राशि आवंटन की मांग सरकार से करता हूँ ।
- श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, गया जिला अन्तर्गत प्रखंड फतेहपुर, ग्राम पंचायत दक्षिणी लोधवे का महादलितों का गांव बापूग्राम, सर्वोदयपुरी, खजुरिया तथा अन्य कई गांव, सड़क में 2 कि0मी0 जंगल की जमीन आने से आज तक संपर्कता पथ से वंचित है । इस सड़क के अलावे इन गांवों को और कोई रास्ता नहीं है । उक्त सड़क का निर्माण तत्काल कराने की मांग सदन से करती हूँ ।
- श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, युवाओं को आदतन अपराधी बनने से बचाने के लिए पुलिस द्वारा आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने में उदारता बरतते हुए आदतन अथवा गंभीर अपराध के

आरोपियों को छोड़कर शेष को मुकदमा के बावजूद आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग करता हूँ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बायसी पूर्णिया अन्तर्गत एन0एच0-31 डंगराहा बालूगंज से पुरानागंज जानेवाली सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है जिस कारण राहगीरों को आवागमन में बड़ी कठिनाई हो रही है। अतः मैं उपरोक्त सड़क की मरम्मत कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री संदीप सौरव : महोदय, नियोजित शिक्षकों द्वारा बिना शर्त राज्यकर्मियों की मांग के लिए हुए शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई करने का अलोकतांत्रिक आदेश जारी किया है। शिक्षकों पर कार्रवाई के सभी आदेशों को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूँ। महोदय,

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण किया जाय। शून्यकाल में बहस नहीं होती है।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगुसराय जिलान्तर्गत बखरी प्रखंड के ब्रह्मदेव नगर और सुग्गा के बीच पुल नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाईयां होती है। अतः उक्त दोनों पंचायत के बीच पुल निर्माण कराया जाय।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, प0 चम्पारण जिला अन्तर्गत सिकटा मैनाटांड प्रखंडों में त्रिवेणी नहर और उसकी शाखा नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जिसके चलते त्रिवेणी नहर में 312 आर0डी0 के बाद पानी नहीं होने से धान की रोपाई बाधित है। पानी आपूर्ति व्यवस्था की जाय।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत तिलोरी पंचायत के ग्राम शेखपुर में आजादी के बाद सड़क निर्माण नहीं रहने के कारण ग्रामीण जनता को कठिनाई हो रही है। अतः मैं उक्त ग्राम में शीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान सहकारिता सूत मिल में कार्यरत 199 कामगार एवं तकनीकी कर्मियों की पी0एफ0 लिस्ट से की गयी कटौती, बकाया वेतन का भुगतान एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में समायोजन करने की मांग करता हूँ।

श्री मो0 अनजार नईमी : महोदय, बिहार सरकार द्वारा गठित विभागीय तीन सदस्सीय कमिटी की अनुशंसा को लागू करते हुए किसान सलाहकारों को जनसेवक के पद पर समायोजित किया जाय। मैं तत्काल सम्मानजनक मानदेय एवं सरकारी कर्मियों को प्राप्त होनेवाले सभी सुविधा प्रदान करने एवं राज्य कर्मियों का दर्जा देने की मांग करता हूँ।

टर्न-9/पुलकित/13.07.2023

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड समेत बिहार में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने तथा सक्षम पदाधिकारी से कम के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण पर रोक लगाये जाने की मांग करती हूँ ।

श्री रण विजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड के अमहारा निवासी जमीन कारोबारी सुनील साह को दिनांक 09.07.2023 को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जिसकी कांड संख्या-700/2023 है ।

अतः अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार की सुरक्षा एवं 25 लाख मुआवजा की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दफादार, चौकीदार के आश्रितों को पूर्व की तरह पुनः बहाली करने एवं चौकीदारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु देवमुनि पासवान बनाम बिहार सरकार के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अध्यादेश लाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : आपने जो शून्यकाल लिखा है उससे अलग हटकर आप पढ़ रहे हैं । ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए ।

श्री गोपाल रविदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजघाट नवादा प्रखण्ड (पुनपुन) में सरकारी विद्यालय का अपना भवन बनकर तैयार है लेकिन भवन तैयार होने के बावजूद अभी तक स्कूल प्रशासन को सौंपा नहीं गया है । जिससे बच्चों का नामांकन प्लस-टू में नहीं हो रहा है ।

अतः सदन के माध्यम से तत्काल स्कूल को भवन सौंपने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, तरारी विधानसभा के गोबनडीह से सेदहां होते हुए तरारी तक स्वीकृत सड़क पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी । माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर
(शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, बिहार यूनिवर्सिटी/कॉलेजों में नामांकन के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल द्वारा जारी Ordinance (बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट, 1946) की धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत Regulation 1350/2-2023/687, दिनांक- 15.08.2023 के आलोक में पटना यूनिवर्सिटी में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन में 29,600/- रुपये शुल्क लग रहा है, जबकि त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 600/- रुपये नामांकन में लगता था । नामांकन शुल्क अधिक होने के कारण चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में गरीब छात्र/छात्रा नामांकन नहीं करा पा रहे हैं ।

अतः गरीब छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का नामांकन शुल्क पूर्व की भांति रखने का प्रावधान करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि महामहिम राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-687, दिनांक-15.05.2023 द्वारा तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए 12,280/- रुपये तथा सभी चार वर्षों के लिए फीस 16,290/- रुपये निर्धारित की गयी है । अलग से 600/- रुपये लैब फीस प्रति सेमेस्टर, प्रायोगिक विषयों के लिए 600/- रुपये रजिस्ट्रेशन फीस एवं 600/- रुपये परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर भी निर्धारित किया गया है । अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अर्धसरकारी पत्र संख्या-147 (गोपनीय), दिनांक- 15.06.2023 तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद् बिहार द्वारा भी महामहिम राज्यपाल सचिवालय से संबंधित तथा अन्य के संबंध में पुर्नविचार हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्री शकील अहमद खाँ : सर, यह जो मामला है यह पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल का है । बिहार राज्य गरीब है और देश में भी जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर जगह फीस इग्जॉर्बिटन्ट हो रही है । इस देश का 80 प्रतिशत जो समाज है वह Below the poverty line है और इतनी फीस अगर बिहार जैसे गरीब राज्य में Ordinance के द्वारा लायी जायेगी । सरकार को इन-टोटो में रिजेक्ट करने का प्रस्ताव करना चाहिए कि बिहार एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आईदर इन-टोटो या उसमें जो पक्ष की चीजें हैं उसी के माध्यम से

बिहार बदला जा रहा है, किताबें बदली जा रही है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से फीस बढ़ोत्तरी का जो उपाय है, जिससे कि अल्टीमेटली पांच से दस प्रतिशत ही बच्चे हमारे समाज के पढ़ पायेंगे। हम सब लोगों ने जो हमारा समाज रहा है, हम सब लोगों ने बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में कम फीस में पढ़ाई कर ली, पी0एच0डी0 कर ली, नौकरी पा ली, ये सब इसलिए हो पाया कि गर्वनमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज और स्कूल की फीस उतनी बड़ी नहीं थी। आज अगर ये फीस रही और ये देनी पड़ रही है तो यह समाज और गरीब समाज तो पढ़ ही नहीं पायेगा इसलिए हम समझते हैं कि बिहार सरकार को इस मामले में जो आपने जो आखिरी लाईन लिखी है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अर्धसरकारी पत्र संख्या-147 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद् बिहार द्वारा भी महामहिम राज्यपाल सचिवालय से संबंधित तथा अन्य के संबंध में पुर्नविचार हेतु अनुरोध किया गया है। यह ठीक है अनुरोध किया गया है लेकिन इसको एकदम पॉलिसी समझिये, प्रिंसिपल स्टैण्ड होना चाहिए बिहार सरकार का कि ये हमारे बच्चे नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते यह मेरा कहना है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, जो नियम, परिनियम, अधिनियम है उसके तहत सरकार को जो प्रदत्त शक्ति है। प्रथम दृष्टया महामहिम महोदय को पुर्नविचार के लिए अनुरोध किया गया है तदनुसार सरकार समीक्षा करके नियमानुकूल कार्रवाई करेगी।

श्री शकील अहमद खाँ : तो यह ऑडिनेंस ला सकती है ? ठीक है आपने अनुरोध किया है, जवाब आने दीजिए लेकिन आप इसको एज ए प्रिंसिपल स्टैण्ड बिहार सरकार का, ये जो हमारी सरकार है गरीब-गुरबों की सरकार है। एज ए प्रिंसिपल स्टैण्ड ही लेना चाहिए तभी बिहार के गरीब-गुरबों का कल्याण हो पायेगा। इसको ध्यान में रखा जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कन्क्लूड में जो लिखा है पुनः उसी को दोहरा रहे हैं तो सरकार अपने स्तर से अपना जो कार्य होना चाहिए उसको किया है, फिर देखिये आगे क्या होता है।

श्री शकील अहमद खाँ : ठीक है।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, हम दो लाईन कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष : आपका हस्ताक्षर नहीं है, आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं। आपका हस्ताक्षर नहीं है, नियम के विरुद्ध हो जायेगा।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, तीन साल का ग्रेजुएशन अभी पांच साल में चल रहा है, चार साल का जब ग्रेजुएशन आयेगा तो आठ साल कम से कम लगेगा। महोदय, एक तो यह समस्या इन्फ्रास्ट्रैक्चर की है सरकार ने भले ही कहा है। चार साल के ग्रेजुएशन पर विचार करना चाहिए, सरकार को। लेकिन हमें लगता है कि बिहार सरकार को बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करके अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा।

अध्यक्ष : बैठा जाए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0, श्री महबूब आलम, स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0, श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0 से प्राप्त यह ध्यानाकर्षण है। श्री अजय कुमार आप पढ़ें।

सर्वश्री अजय कुमार, राजवंशी महतो एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए पूर्व में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत सचिव को प्राधिकृत किया गया था, जिससे आमलोगों को सुगमता पूर्वक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो पाता था। वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी लगभग 4 से 5 प्रखंडों के प्रभार में होते हैं, जिससे लोगों को बार-बार प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण उक्त प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य काफी बाधित होता है।

अतः पूर्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत सचिव के माध्यम से भी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

टर्न-10/अभिनीत/13.07.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग जवाब देंगे। योजना एवं विकास विभाग से संबंधित जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के मद्देनजर आकड़ों की गुणवत्ता एवं वैधानिक आवश्यकताओं के आलोक में योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 232, दिनांक- 24.02.2023 द्वारा प्रखंड एवं नगरपालिका के सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है । आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के प्रभारी निजी अस्पताल, प्रसूति या परिचार्या गृह के भारसाधक चिकित्सा पदाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु के लिए अधिसूचक नियुक्त किया गया है । शिक्षा, रोजगार, उत्तराधिकार आदि के लिए विहित प्रपत्र में प्रखंड अथवा नगरपालिका द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जिसके मद्देनजर यह संशोधन किया गया है । व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए एक या अधिक दो प्रखंडों पर एक सांख्यिकी पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है एवं कंप्यूटर उपकरण आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आम जनता को कठिनाई न हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा सवाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं यह लाना चाहा था कि पंचायत में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत की जाती थी उससे लोगों को सहूलियत होती थी । अब एक प्रखंड में 29 पंचायत, जैसे मेरे विभूतिपुर में 29 पंचायत हैं तो 29 रजिस्ट्रार नियुक्त थे सरकार के फ़ैसले के हिसाब से, अब उसके जगह पर एक रजिस्ट्रार सांख्यिकी पदाधिकारी को बना दिया गया । व्यावहारिक कठिनाई कहां है ? व्यावहारिक कठिनाई यहां पर है कि जो पंचायत में जाकर 10 मिनट में कोई काम करा लेता था, अब किसी की दूरी 18 किलोमीटर है और वह आता है, लौट कर चला जाता है उसको सांख्यिकी पदाधिकारी नहीं मिलते हैं । वह लौट कर जाता है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कुछ के एडमिशन नहीं हो पाते, कई तरह की कठिनाई है, इसलिए मेरा सीधा सवाल था इसको सरल बनाने के लिए । सरकार से मैंने अनुरोध किया था, ध्यान में लाने के लिए मैंने लाया था कि इसको पूर्व की भांति पंचायत के अंतर्गत ही, आंगनबाड़ी को छोड़िए, आप पंचायत सचिव या पंचायत स्तर के किसी भी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं । हम यह सवाल रखना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, सरकार का जो उत्तर है, बिल्कुल स्पष्ट किया है सरकार ने और शिक्षा, रोजगार, उत्तराधिकारी आदि के लिए विहित प्रपत्र में प्रखंड अथवा नगरपालिका

द्वारा निर्मित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है । इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह सरकार ने निर्णय लिया है और अधिसूचना निर्गत की है, तो इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, इसलिए ऐसा सरकार ने फैसला लिया है । माननीय सदस्य की चिंता है कि आंगनबाड़ी वाले को दे दिया जाय, पंचायत सचिव को तो उनके पास तो इतने काम हैं, सामाजिक काम हैं कि वे खुद ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं । महोदय, सरकार का यह जो निर्णय है बहुत ही अच्छा है, प्रभावी है और माननीय सदस्य को भी मालूम है कि इनके जो कार्य होंगे बहुत प्रामाणिक ढंग से होंगे जिसकी आवश्यकता सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं दूसरे राज्यों में भी और देश स्तर पर भी इसकी प्रामाणिकता की जरूरत है । यह सरकार ने फैसला लिया है और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस फैसले पर इनको भी इसमें समर्थन करना चाहिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा अनुरोध है कि पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार नियुक्त करने में क्या दिक्कत है ? पंचायत सचिव तो कैपेबल व्यक्ति को आप बनाते हैं जो पंचायत के सभी विभाग के काम का मॉनिटरिंग करते हैं । उसको रजिस्ट्रार नियुक्त करने में क्या दिक्कत है ? पहले आंगनबाड़ी थी ठीक, वह कैपेबल नहीं थी, उससे कई तरह की परेशानी हो रही थी लेकिन पंचायत सचिव को बनाने में क्या दिक्कत है ? मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार, जो प्रखंड लेवल पर आप ले आये हैं उसको पंचायत के स्तर पर रखना चाहेंगे ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से दूसरी बार भी मैंने बताया कि जो प्रामाणिकता होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर पंचायत सचिव अगर कोई सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी प्रमाणित करते हैं, तो इस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं उसको बाहर में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है और सरकार के पास जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं बहुत गंभीरतापूर्वक रख रहा हूँ । चूंकि ग्राउंड पर हम जाते हैं, मंत्री महोदय के पास कोई जन्म प्रमाण पत्र की शिकायत लेकर नहीं आता होगा, हमलोगों के पास रोज आते हैं । अभी एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इस बात का संज्ञान लें कि आपने जिस सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रखंड लेवल पर नियुक्त किया । जैसे उदाहरण के तौर पर ही रोसड़ा के सांख्यिकी पदाधिकारी के जिम्मे आपने विभूतिपुर का प्रभार दिया, रोसड़ा नगर निगम का प्रभार दिया, शिवाजी नगर का प्रभार दिया, विधान का प्रभार दिया, सिंधिया प्रखंड का प्रभार दिया, सिंधिया नगर परिषद् का

प्रभार, सात-सात प्रखंडों के प्रभार में वे हैं और एक दिन उनके लिए तय है । एक दिन सिर्फ उनके लिए तय है, कैसे हो सकता है ? इम्पॉसिबल । यह बहुत अव्यावहारिक निर्णय है, इसलिए अगर सरकार को कोई कठिनाई है तो क्या किसी एक मुलाजिम को नियुक्त कर सकती है पंचायत के अंतर्गत की नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बातों को रख दिया, सरकार के स्तर पर निर्णय होते हैं और उस निर्णय का ही कार्यान्वयन होता है । उसी निर्णय को सदन में माननीय मंत्री ने बतलाने का काम किया परंतु आपने जो अंत में एक व्यक्ति को पांच-सात जगह के बारे में बताया है तो सरकार ने आपने जो कहा उसको सुनने का काम किया है उसको सरकार दिखवायेगी और उस पर समुचित कार्रवाई करेगी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ...

अध्यक्ष : मैंने कहा कि अंतिम वाली बात को सरकार दिखवायेगी और समुचित कार्रवाई करेगी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आसन का संरक्षण हम चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन का पूरा संरक्षण है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूँ कि इससे काफी कठिनाई हो रही है। आप सोच सकते हैं कि 29 पंचायत के जो रजिस्ट्रार थे उसका काम कैसे एक रजिस्ट्रार करेगा ? अगर 29 पंचायत में जो 29 रजिस्ट्रार थे वे नहीं कर पाये, उनको अगर दिक्कत हो रही थी तो एक रजिस्ट्रार कैसे कर पायेगा ? यह असल में मूल सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका सेंटर पंचायत के अंदर रखिए और वहां पर एक रजिस्ट्रार जिस किसी को भी मन हो, योग्य कर्मचारी जो पंचायत स्तर पर है उसको नियुक्त कर दीजिए। इसमें कहां कठिनाई है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हम भावनाओं की धारा में नहीं बहना चाह रहे हैं लेकिन वस्तुगत जो कठिनाई है, आज आये दिन बात-बात में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है । महोदय, पंचायत सरकार एक संवैधानिक सरकार है, हमारी सरकार ने उसको नाम दिया पंचायत सरकार और इससे पहले भी ग्राम पंचायत के सचिव के पास ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार था और कभी कर्मचारी के पास भी था, अंचल कर्मचारी के पास तो महोदय, यह बहुत ही जटिल समस्या है । निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय भी विधायक बनकर ही आये हैं, उनके पास भी यह समस्या जरूर आती होगी तो इस जटिल समस्या के समाधान की तरफ सरकार सकारात्मक रूख अपनाये । महोदय, मैं चाहता हूँ कि पंचायत के सशक्तिकरण के ही तहत पंचायत को ही यह अधिकार दिया जाय और सचिव द्वारा ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा हो।

महोदय, वह तो प्रपत्र है, उसमें सिर्फ भरना है और तो कुछ करना नहीं है । आंगनबाड़ियों को दिक्कत होती थी, आंगनबाड़ी महिलाएं लिखने-पढ़ने में कमजोर थीं । वह तो सर्टिफिकेट वगैरह बना लिया था, ठीक से नहीं आता था । दुबारा, हमलोग तब भी महसूस करते थे कि यह पंचायत के अधीन ही कर दिया जाय महोदय ।

...क्रमशः...

टर्न-11/हेमन्त/13.07.2023

श्री महबूब आलम(क्रमशः) : सही मायने में 29 पंचायत का 29 जगह जो जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र का प्राधिकार था वह एक जगह हो गया और वह एक आदमी पांच प्रखण्ड का कार्य संचालन करता है, महोदय, यह संभव है ही नहीं । तो सरकार सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक नजरिया अख्तियार करे और पंचायत के अंतर्गत ही जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने का प्राधिकार करे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सरकार के द्वारा यह नीतिगत निर्णय है और सरकार के द्वारा कहा गया कि कहीं कोई दूसरा विकल्प विचाराधीन नहीं है । फिर भी मैंने कहा कि अंतिम में आपने जो कहा है, जो माननीय ने ध्यानाकर्षण किया है, सरकार को मैंने कहा है कि सरकार उस पर अपने स्तर से सोच-समझकर, माननीय सदस्य के द्वारा उठायी गयी जो अंतिम लाईन है, उस पर आप विचार करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, आश्वासन तो दिया जाय ।

अध्यक्ष : मैंने तो कहा कि अंतिम में जो बातें हुई हैं, उस पर आप विचार करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका जो दिशा-निर्देश है और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि बड़े ब्लॉक हैं और साथ-साथ प्रखंड में एक सांख्यिकी पदाधिकारी पदस्थापित है । महोदय, उसको दिखवा लेते हैं और जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, एक दलाल पैदा हो जायेगा, गांव-गांव में घूमेगा.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं दिखवा लूंगा । आप संतुष्ट हो जाइये ।

(व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजवंशी महतो : सर, इसमें मेरा भी नाम है ।

अध्यक्ष : हां, आपका तो नाम है ही, मैंने तो पढ़ ही लिया था । लेकिन आप बड़ी देर से बैठे थे ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, हम कहना यह चाहते हैं कि गरीब लोग प्रखंड मुख्यालय कितनी दूर जायेंगे ? बहुत कठिनाई होती है । इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हर एक पंचायत में इसको रखा जाय कि गरीब-गुरबा को दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि जो बातें हुई हैं, उसको हम दिखवा लेंगे । बात खत्म हो गयी ।

माननीय सदस्यगण, आज 129 प्रश्न, अल्पसूचित और तारांकित माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 124 प्रश्न आये और उसमें से 119 का उत्तर आज सदन में आया हुआ है । मतलब 96 प्रतिशत, कहिये कि शत प्रतिशत । सरकार सजग है और आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देने का काम किया है । मैं अपनी तरफ से सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/धिरेन्द्र/13.07.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की माँगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की माँगों की कुल संख्या-40 है, आज उसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की माँग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं माँग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग को लेता हूँ, जिसपर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष माँगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा:

राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी०पी०आई० (एम०एल०)	-	09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी०पी०आई०(एम०)	-	02 मिनट
सी०पी०आई०	-	02 मिनट
ए०आई०एम०आई०एम०	-	<u>01 मिनट</u>
कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5959,57,62,000/- (पाँच हजार नौ सौ उनसठ करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो व्यापक है, जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं।

अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ। इसलिए अब मूल प्रस्ताव पर ही विमर्श होगा। इंडियन नेशनल काँग्रेस से श्री आनंद शंकर सिंह। आपका 14 मिनट का समय निर्धारित है।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज नगर विकास एवं आवास विभाग की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, अपने नेता सी०एल०पी० लीडर शकील अहमद खाँ साहब को।

महोदय, जब हम नगरों की परिकल्पना करते हैं तो हमारे जेहन में जो बातें आती हैं, मैं यह कह सकता हूँ, हम यह सोचते हैं कि ऊँची-ऊँची इमारतें होंगी, बेहतर चौड़ी सड़कें होंगी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा, साफ-सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, पार्कों की व्यवस्था होगी, लाईटिंग की व्यवस्था होगी, आम नागरिकों के लिए सुविधा मुहैया होगी। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि ये सारी बातें, पटना को हमलोगों ने पूर्व में भी देखा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आज अगर सगुना मोड़ से विधान सभा आना हो तो हमलोगों को 10-15 मिनट लगता है और एक समय ऐसा था कि हमलोगों को राजाबाजार क्रॉस करना पड़ जाय तो घंटों-घंटों जाम में रहना पड़ता था, चिरैयाटाँड़ पुल से अगर स्टेशन आना है तो घंटों-घंटों जाम में हमलोगों को रहना पड़ता था। आज की स्थिति यह है कि एम्स से अगर हमको हाजीपुर की तरफ

जाना है, छपरा भी जाना है तो हम फ्लाईऑवर का इस्तेमाल कर चले जाते हैं तो यह सुगमता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमलोगों को मिली है, हमलोगों के जो मंत्री हैं नगर विकास एवं आवास विभाग के आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह हमलोगों को मिली है और यह छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, राज्य की जो योजनाएँ हैं जिसमें स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज जोकि जल-जमाव के कारण जो समस्याएँ अमूमन बरसात के समय में शहरों में होती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए निश्चित रूप से सरकार ने बहुत पहल की है और जिस प्रकार से सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार, दरभंगा एवं फुलवारीशरीफ शहरों में जल-जमाव की समस्या को दूर करने के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की योजना को स्वीकृत किया गया और जिसका कार्यान्वयन बुडको के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 42 नगर निकायों में आउट फॉल ड्रेन की योजना स्वीकृत की गयी, जिसका कार्यान्वयन नगर निकायों के द्वारा कराया जा रहा है।

नागरिक सुविधाओं के लिए सम्राट अशोक भवन का निर्माण। 141 नगर निकायों में अब तक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

जहाँ तक शहर में लाईटिंग की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ कि इसके अंतर्गत ई०ई०एस०एल० और सभी नगर निकायों के बीच में सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और तमाम शहरी निकायों में, मैं समझता हूँ कि लाईटिंग की व्यवस्था अच्छे तरीके से उपलब्ध कराये जाने की परिकल्पना राज्य सरकार के द्वारा की गई है।

शवदाह गृह की जहाँ तक बात हो तो हरेक, मैं समझता हूँ कि नगर निकायों में, उसके अलावा पटना में बाँस घाट, गुलबी घाट, खाजेकलाँ घाट एवं वैशाली के कोनहारा घाट में विद्युत शवदाह गृहों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भागलपुर, मोकामा, पहलेजा घाट एवं मुँगेर में अवस्थित विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

महोदय, एक नागरिक को बस स्टैंड की आवश्यकता होती है, उसकी भी परिकल्पना सरकार ने की है और सबसे ऊपर मैं समझता हूँ कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिस पर सभी दलों के प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह जो अभियान चलाया, जल-जीवन-हरियाली अभियान, मैं समझता हूँ कि यह एक अनुकरणीय अभियान है और इस अभियान के तहत नगर निकायों में जो भी जल संरक्षण का कार्य है, चाहे वे तालाब हो, चाहे वे सोखता हो, प्याउ हो, चापाकल हो एवं

नगर निकायों में पार्कों के मैदान में भी सोखता का निर्माण की परिकल्पना की गई तथा जितने भी सरकारी भवन हैं उनमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कराने की जो सोच सरकार ने रखी है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। महोदय, लेकिन इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि शहरों की जो व्यवस्था है पेयजल संकट वर्तमान समय में बहुत ही विकराल रूप धारण करता चला जा रहा है जिसके फलस्वरूप शहर के आस-पास की जो नदियाँ हैं वे मृतप्राय हो चुकी हैं। कहीं-न-कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उपाय किया जा रहा है लेकिन फिर भी, उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि नदियों को हमलोग कहीं-न-कहीं कचरा डम्प करने का एक स्थान बना दिये हैं जिसके कारण नदियाँ मृतप्राय हो गयी हैं। वैसे नगर निकायों में, वैसे नगर परिषदों में जहाँ इस तरह के कृत्य किये जा रहे हैं निश्चित रूप से उनपर रोक लगायी जानी चाहिए, यह मेरा आग्रह होगा।

मैं औरंगाबाद के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। दो नदियाँ हैं हमारे शहर के आस-पास एक अदरी नदी है, दूसरा बटाने नदी है और कमोबेश ऐसा ही, मैं समझता हूँ कि नगर निकायों के इर्द-गिर्द की जो नदियाँ हैं कमोबेश ऐसी ही स्थिति होगी।

...क्रमशः...

टर्न-13/संगीता/13.07.2023

(क्रमशः)

श्री आनंद शंकर सिंह : ये नदियाँ बरसाती हैं और शहर में आज के दिनों में मैं समझता हूँ कि 600 फीट, 800 फीट जब हम बोरिंग कर रहे हैं तब जाकर पानी की पेयजल की व्यवस्था हो पा रही है। उस परिस्थिति में हमलोगों को कहीं न कहीं छोटे-छोटे चेकडैमों का निर्माण कराके उन बरसाती नदियों में चेकडैमों का निर्माण कराके जल संरक्षण का उपाय करना होगा, जल संचयन का उपाय करना नहीं तो स्थिति ऐसी आ रही है कि गर्मी के समय में शहरों से लोगों को छोड़कर गांव चले जाना होगा, पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत, मैं औरंगाबाद शहर से आता हूँ मैं औरंगाबाद शहर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे सैकड़ों नगर निकाय होंगे जहाँ पर इन किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में इन गंभीर समस्याओं से हम सभी लोग रू-ब-रू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जल-जीवन-हरियाली योजना का क्रियान्वयन किया गया लेकिन नदियों पर, नदियों के ऊपर कहीं विशेष बात हो रही थी तो ऐसा सुनने में

आया कि एन0जी0टी0 उस पर कहीं न कहीं एन0जी0टी0 का विरोध रहता है । महोदय, उन नदियों से बालू का उठाव भी बंद कराया जाय ताकि कम से कम जो जल स्तर है वह मेंटेंन रह सके और भविष्य में जो परेशानियां आने वाली हैं उन परेशानियों का हम कम से कम सामना कर सकें । शहर में जो तालाब हैं, जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है । निश्चित रूप से काबिले तारीफ है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन महोदय, एक ओर मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे भाजपा के सदस्यगण नहीं हैं यहां पर, केंद्र की सत्ता पर जो भाजपा की सरकार बैठी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की थी और उन स्मार्ट सिटियों की क्या स्थिति है और केंद्रांश कितना मिलना था, क्या वस्तुस्थिति है अगर वे रहते तो कम से कम हम लोगों को यह बताते हुए हर्ष होता कि उसमें जान-बूझकर डिले किया जा रहा है, केंद्रांश से जो पैसे आने थे जो फंड आना था उनमें जान-बूझकर डिले किया जा रहा है और स्थिति यह है कि सभी स्मार्ट सिटी, जिनके बारे में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ 4 शहरों को चयनित किया गया था । क्या बिहार में केवल 4 ही शहर हैं ? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ के अलावा शहर नहीं हैं ? गया पौराणिक शहर है हमारा, उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कटिहार है आपका बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए था लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में यहां पर खड़े हैं जिस परिवेश में खड़े हैं मैं समझता हूं कि जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इन स्मार्ट शहरों की जो परिकल्पना की है केंद्र सरकार ने, उनके निवासियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी मैं समझता हूं यह योजना टांग-टांग फीस होकर रह गई है और ये जितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, जितनी भी पीठ ये भाजपा वाले थपथपा लें लेकिन जो परिकल्पना की गई थी उससे इतर ही सबकुछ हो रहा है । महोदय, इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा जिन शहर के करीब के नदियों की, मैं लखनऊ गया था, वहां पर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो वहां पर उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण कराया था । मैं समझता हूं कि वैसे रिवर फ्रंट जहां भी शहरों के अगल-बगल में नदियां हैं रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ एक स्वच्छ जो नदी है वह भी उपलब्ध हो सके और पानी की भी व्यवस्था उसमें हो, जल संचयन की

भी व्यवस्था हो ताकि लोगों को सुविधा हो सके । इसके लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा मंत्री महोदय कि रिवर फ्रंट की परिकल्पना मैं समझता हूँ कि बिहार में जो ऐसे शहर हैं जहां आसपास में नदियां हैं शहरों में वहां पर रिवर फ्रंट की आवश्यकता है । इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा महोदय कि पटना में जो मेट्रो रेल की परियोजना है कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उसके आ जाने से भी जिस प्रकार से तीव्र गति से काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके आ जाने के बाद भी लोगों को काफी सुविधाएं मुहैया होंगी, लोगों को आने-जाने में आवागमन में काफी सुविधाएं उपलब्ध होंगी । एक और है महोदय, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का । ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्था की गई है नगर निकायों के द्वारा, जगह-जगह सुनने में मिलता है कि जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, हमारे यहां तो ऐसा हुआ है कि एक जगह उपलब्ध करायी गई अब वहां पर छात्रावास निर्माण के लिए एन0ओ0सी0 दे दिया गया । आज की स्थिति यह है कि वहां पर छात्रावास का निर्माण हो रहा है और शहर से जो नजदीक जगह है वहां पर कूड़ा-कचरा डंप करने की व्यवस्था कर दी गई जबकि शहर के नजदीक 3 एकड़ जमीन उपलब्ध था, छात्रावास का निर्माण शहर के नजदीक होना चाहिए था जिससे लोगों को सुविधा मिल सके तो शहर से बाहर जहां पर कूड़ा-कचरा डंप होता था वहां पर छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी गई । वहां पर छात्रावास निर्माण हो रहा है और शहर के पास में कूड़ा-कचरा डंप करने का तो ये सब चीजें जो हैं, छोटे-छोटे स्तर पर जो लैकुनाज हैं उनको भी दूर करने का निश्चित रूप से एक गाईडलाईन मिलना चाहिए कि जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का जो भी प्लांट हो वह शहर से थोड़ा दूर हो ताकि आम नागरिकों को उससे दुर्गंध या आम नागरिकों को उससे कोई दिक्कत न हो और छात्रावास के निर्माण की जहां तक बात है या आवासीय कोई परिसर की बात है तो शहर के नजदीक जो जमीन उपलब्ध है उसमें उपलब्ध कराना चाहिए । महोदय, इस ओर एक गाईडलाईन इशू होना चाहिए जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत होगी । महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मामला कटिहार का है । कटिहार जिला में सुनौली और सालमारी बाजार हैं जिनको नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला हुआ है लेकिन उसी जिले में उससे छोटे-छोटे जो शहर हैं उनको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया तो मैं यह आग्रह करूंगा कि सुनौली और सालमारी बाजार को भी नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मंत्री महोदय । हमारे यहां की जो स्थिति है

महोदय, एक करमा रोड से फेसर पथ तक एक रास्ता जाता है, लाईफलाईन है और वह रास्ता काफी जर्जर है । 3 वार्डों में पड़ता है और उसके चक्कर में वह रास्ता जर्जर अवस्था में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो महोदय यह आग्रह होगा कि उस रास्ते का भी निर्माण कराया जाय ताकि लोगों को सहूलियत हो आने-जाने में । एक हमारे यहां औरंगाबाद शहर में गांधी मैदान है कहीं न कहीं उसको भी उपेक्षित करके रखा गया है और वर्तमान परिस्थिति में हालत यह है कि न वह खेलने लायक है, केवल रैलियां होती हैं वहां पर और रैली के बाद उस गांधी मैदान की कोई उपयोगिता नहीं है तो मैं यह चाहूंगा मंत्री महोदय से कि उसका जीर्णोद्धार करायें ताकि आम लोगों के लिए वह खेल के मैदान के रूप में भी विकसित हो सके, स्टेडियम के रूप में विकसित हो सके यह मैं आग्रह करूंगा महोदय । एक और मामला है 149 खगड़िया विधान सभा के खगड़िया शहर के राजेंद्र चौक से बखरी रेलवे ढाला तक सड़क निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 के स्तर से होना है, डी0पी0आर0 भेजा गया है उसको भी दिखवा लिया जायेगा । नगर सुरक्षा बांध खगड़िया शहर के बाईपास सड़क निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग बिना शर्त एन0ओ0सी0 पी0डब्ल्यू0डी0 को दिया जाय यह हमारे खगड़िया के साथी हैं इन्होंने दिया है । 2019 में शिलान्यास वॉटर ड्रेनेज सिस्टम 21 करोड़ हुआ अभी तक कार्य बुडको द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया । महोदय, इसके अलावा पेयजल के संकट की मैंने चर्चा की औरंगाबाद शहर की । महोदय, 2018 में एक टेंडर बुडको द्वारा आया था जिसमें सोन नदी से औरंगाबाद शहर को पेयजल सप्लाई करना था और वह टेंडर 3 बार कौंसिल किया गया और अब तक मैं समझता हूँ कि पुनः मुझे सुनने में आया है कि वह टेंडर अब किया जा चुका है लेकिन काम जल्द से जल्द लगे, 2018 से आज 2023 में हमलोग खड़े हैं, उसपर काम जल्द से जल्द कराकर औरंगाबाद जो भीषण पेयजल संकट से गुजर रहा है झेल रहा है दंश उसका ताकि शहरों के जो वार्ड हैं उनको कम से कम पेयजल सप्लाई हो सके मैं यही कहना चाहूंगा । महोदय, उसमें देरी न हो त्वरित उसपर हो क्योंकि 2 बार पहले ही टेंडर कौंसिल किया जा चुका है, किन कारणों से किया गया यह हमलोगों को पता नहीं है लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी अब तक काम नहीं लगा है तो कहीं न कहीं इसमें हमलोगों को सोचना होगा कहीं न कहीं अपनी कार्यप्रणाली को देखना होगा दुरूस्त करना होगा ताकि वैसे शहर जो पानी की कमी को झेल रहे हैं और जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए महोदय यही मैं कहना चाहूंगा । अंत में

आप सभी तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा ।
धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह ।

टर्न-14/सुरज/13.07.2023

श्री राज कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास एवं आवास विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिये मैं अपने मुख्य सचेतक महोदय का, अपने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ । यह हम सब लोग जानते हैं कि नगर की जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं वह किसी भी राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ होती है । नगरीय विकास, नगर के विकास के साथ-साथ ही राज्य के आर्थिक विकास का भी एक आधार बनता है । एक गतिशील शहरी व्यवस्था जो होती है वह न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का कारण होती है बल्कि एक स्वस्थ मानव संसाधन की अभिवृद्धि का भी वह एक साधन बनती है । इसलिये सरकार ने जो कुछ भी शहरी विकास में किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । यह अलग बात है कि हमारे राज्य में शहरीकरण का जो मापदंड है वह काफी कम है । पूरी आबादी का लगभग 15.4 प्रतिशत ही हमलोग शहरों में निवास करते हैं । वर्ष 2011 में ये लगभग 11 प्रतिशत था, उसे देखा जाय तो हमने उसके आगे काफी प्रगति की है लेकिन और प्रगति की आवश्यकता है । इसमें काफी योजनाओं को शहरीकरण के लिये राज्य सरकार ने क्रियान्वित करने का प्रयास किया है । अभी हमारे साथी सदस्य उन योजनाओं का बखान कर रहे थे कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, आउट फॉल नाला निर्माण की योजना और हर शहर में शहरी सम्राट अशोक भवन का निर्माण ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है । अगर छोटे-छोटे शहरों में इस तरीके के बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण होता है, जिसमें लोग कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो न सिर्फ शहरी विकास को मिलता है बल्कि बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर मिलता है । बाहर से बहुत सारे लोगों को बुलाकर भी ऐसे आयोजनों में हमलोग भागीदारी दिलवा सकते हैं, सेमिनार आयोजित कर सकते हैं और शहरीकरण के जो लाभ हैं, उसको हम लोगों में प्रचारित कर सकते हैं और शहरीकरण की योजनाओं को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं । बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सात निश्चय योजना में शहर के लिये जो कुछ भी किया है वह भी निश्चित रूप से सराहणीय है । उसमें कई तरह की योजनाएं शहर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, शहर को जल-जमाव से मुक्त करने की व्यवस्था हो,

जल संचयन की व्यवस्था हो । इन सारी चीजों पर कार्य लगातार होता जा रहा है । कुछ समस्याएँ निश्चित रूप से हैं बहुत जगह छोटे-छोटे शहरों में जैसे हमारा ही शहर अगर लिया जाय बेगूसराय नगर निगम तो उसमें अभी जल-जमाव की काफी समस्या रहती है । ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से वहां पर लागू नहीं हो पायी है, कई वर्षों से कार्य लंबित है । मैं, माननीय मंत्री हैं और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तो उनसे आग्रह होगा कि बेगूसराय की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान देते हुये, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट शहर है आपका । बिहार के पूरे आर्थिक व्यवस्था में इसका योगदान रहता है । पटना के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला यह जिला ही है । इसमें अगर शहरीकरण को एक अच्छी तरीके से इनकी सारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलायेंगे तो इसको और भी अधिक बल मिलेगा । हम सब जानते हैं कि बेगूसराय में राज्य के सभी औद्योगिक संस्थान आज बेगूसराय में चाहे आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचयूआरएल है, एनटीपीसी है । अभी पेप्सी का संयंत्र लगा है, कई तरह के एथेनॉल प्लांट्स आ रहे हैं । वहां पर औद्योगिककरण काफी तेजी से बढ़ रहा है । तो वहां पर औद्योगिककरण के साथ-साथ शहरीकरण निश्चित रूप से बढ़ेगा ही और बढ़ भी रहा है । कई नगर परिषद् हैं, कई नगर निकाय हैं, पंचायत के निकाय हैं जिनको शहरीकरण किया जा रहा है । तो बेगूसराय की ओर निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि बेगूसराय जिले के शहर को कम से कम उनकी जो शहरी व्यवस्था है, उसकी जो संरचनाएं हैं उसको सुदृढ़ करें । इसके अतिरिक्त हमारे एक और साथी हैं भाई संजीव जी की भी समस्या है। इनके परबत्ता नगर पंचायत में एक छोटा सा कस्बा है, जिसका शहरीकरण लगभग है । वहां पर भी जल जमाव की काफी समस्या है । अगर इस तरीके से इस पर भी ध्यान दिया जाय तो काफी अच्छा होगा । चूंकि शहरी विकास पर काफी भाई ने योजनाओं की चर्चा कर दी है इसलिये उन योजनाओं की चर्चा मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा । मैं अपने बेगूसराय जिले की ओर और खासकर मटिहानी विधान सभा की ओर निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । मटिहानी विधान सभा का बेगूसराय जो नगर निगम है उसका 50 प्रतिशत से अधिक भाग मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। 45 वार्ड हैं, जिसमें से 23 वार्ड मटिहानी विधान सभा के हैं पूर्णरूपेण और 3 आंशिक रूप से और इन वार्डों में कई वार्ड ऐसे हैं जैसे 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 ये सारे वार्ड नगर निगम में है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वार्ड हर साल गंगा में आने वाली बाढ़ से ये वार्ड प्रभावित होते हैं और इन वार्डों की स्थिति वही होती है जो गंगा के किनारे गांव हैं उनकी स्थिति होती है और काफी भयावह स्थिति हो जाती है । मैं माननीय

मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सिंचाई मंत्री से एक समन्वय स्थापित करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक रिंग बांध को प्रस्तावित किया गया था वर्ष 2021 के बाढ़ में । उस रिंग बांध के हो जाने मात्र से लगभग 2 लाख की आबादी जो ग्रामीण आबादी है उसको तो बाढ़ से स्थायी राहत मिलेगी ही बल्कि जिन नगर निगमों की मैंने अभी चर्चा की है उनको भी बाढ़ से स्थायी रूप से निजात मिल जायेगा । तो इसमें अगर माननीय मंत्री जी समन्वय स्थापित करें सिंचाई मंत्री से तो निश्चित रूप से इस कार्य को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है । मुझे जहां तक जानकारी है इस कार्य को काफी आगे ले जाया गया है लेकिन जो समुचित होना चाहिये वह अभी तक नहीं हो पाया है । मैं आज चाह रहा था कि कृषि मंत्री हैं, उनसे भी कहूंगा क्योंकि आज मेरा एक सवाल भी था इसी पर कि जिन वार्डों की मैंने चर्चा की है उस नगर निगम का 95 प्रतिशत से अधिकांश भाग कृषि योग्य भाग है और यहां पर जब बाढ़ और आपदा के कारण जो कृषि अनुदान मिलता है, उसमें काफी अनियमितता बरती जाती है, लोगों को अनुदान नहीं मिल पाता है । तो इसके लिये मैं चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी एक ऐसा दिशा-निर्देश पदाधिकारियों को, कर्मियों को जारी करें जिससे कोई भी अनियमितता नहीं हो और धरातल पर जो लोग सच्चे लाभार्थी हैं उनको अनुदान की राशि मिले और माननीय मंत्री जी भी एक समन्वय स्थापित करें सिंचाई मंत्री से । अगर ये रिंग बांध का निर्माण हो जाता है तो इनका भी अधिकांश धन बचेगा जो अनुदान में जाता है और उसका उपयोग कहीं अन्यत्र जगहों पर भी हो सकता है तो ये मेरा आग्रह होगा । हमारे बिहार की सरकार ने जो कुछ भी किया है हर क्षेत्र में वह सराहणीय तो है ही और आज इस सदन में मैं अपनी एक वेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं । मैं पहली बार चुनकर सदस्य आया हूं, बहुत सारे सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं और मुझे हमेशा से लगा है कि जब भी सत्र शुरू होता है तो हमारे विधान सभा की जनता, पूरे बिहार के लोग इस सत्र की ओर बड़े ही आशा भरी निगाहों से देखते हैं और खास करके सत्र का जो पहला पूर्वाहन होता है वह तो निश्चित रूप से सिर्फ जनता का ही सत्र होता है । प्रश्न के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमलोग जनता के मुद्दे को सदन में लाते हैं और इस अवसर की सभी लोगों को प्रतीक्षा रहती है । लेकिन इन सारी चीजों को भाजपा के साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने जिस तरीके से इसको पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया, इससे निश्चित रूप से यह परिलक्षित होता है कि इनको जनहित में जरा सा भी विश्वास नहीं है, जनतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, जनता के हितों के लिये ये सदन में नहीं आये हैं । ये एक व्यक्ति विशेष की कठपुतली बनकर जिस तरीके

से आचरण करते हैं उससे लगता है कि इनका जनता के मुद्दों से आज कोई वास्ता नहीं है। आज कई सारे साथियों के प्रश्न रहे होंगे विगत तीन दिनों से और ये साथियों के प्रश्न नहीं होते हैं, ये प्रश्न होते हैं हमारी उस जनता का जिन्होंने हमें चुनकर यहां पर भेजा है, जिनकी आवाज उठाने के लिये हमें यहां पर भेजा है और उसी के लिये वे हमें चुनते हैं और जब यही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा इस सदन में आकर बैठना और ये तमाशा देखना सिर्फ ये बिल्कुल बेईमानी सा लगता है और हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता पूछती है कि क्या हमारे सवाल उठाये गये । उस वक्त हमलोग स्तब्ध हो जाते हैं, उस वक्त हमारी बेबसी हो जाती है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निश्चित रूप से आग्रह करूंगा और संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा नियमन निश्चित रूप से होना चाहिये कि कम से कम प्रश्नकाल बाधित करने की जो अवधारणा बनी हुई है उस पर एक कठोर से कठोर नियम लागू किया जाय ताकि सदस्य अपने प्रश्नों को यहां पर उठा सकें । वे सदस्यों के प्रश्न नहीं हैं वे बिहार की 12 करोड़ जनता के प्रश्न होते हैं, उनके हित के प्रश्न होते हैं और सिर्फ इसी के लिये हमलोग इस सदन में आते हैं और जनता के हितों की रक्षा करने के लिये आते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-15/राहुल/13.07.2023

श्री राज कुमार सिंह (क्रमशः) : आज मुझे इस बात की इस सत्र से काफी निराशा हुई । मैंने पूर्व में भी देखा पूर्व में भी विपक्ष के साथी थे यहां पर और जो आज सरकार में हैं लेकिन मैंने यह देखा कि उस समय में कभी-भी प्रश्नकाल बाधित नहीं होता था, प्रश्नकाल को उन दिनों में हम लोगों ने सुचारू रूप से चलाया तो वह दिखाता है कि आप जनता के हितों के प्रति कितने सजग हैं । यह सीखने की जरूरत थी उस वक्त जो लोग सरकार में थे उन्होंने विपक्ष से नहीं सीखा । आज वे विपक्ष में बैठे हैं उनको अपना आकलन निश्चित रूप से करना चाहिए कि किस उद्देश्य से वे यहां पर हैं । आज हमारे देश की स्थिति काफी खतरनाक दौर में है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है जो हमारे लोकतांत्रिक, संवैधानिक अधिकार हैं उनको जिस तरीके से कुचल डालने का जो एक कुचक्र चल रहा है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें एक ऐसे राज की ओर ले जा रहा है जिससे निकलने में हमें लगभग 150 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था । आज एक वैसे ही राज्य की परिकल्पना इस देश में हो रही है । आज हर चीज के नाम पर अगर हम लोग यदि

आकलन करें तो जिस तरीके से इस देश की जितनी भी संपदा है, जितने भी स्ट्रेटेजिक संस्थान हैं वे सब एक व्यक्ति के हाथ में हैं उसी तरीके से दिये जा रहे हैं जैसे ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाकर पहले आर्थिक व्यवस्था पर काबू करवाया और फिर पूरा का पूरा देश हस्तांतरित कर दिया शायद ऐसी ही एक तानाशाही व्यवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से हम सभी लोगों को आज सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस ओर ले जाये जा रहे हैं। इस पर हमें प्रतिकार करना पड़ेगा क्योंकि यदि हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम लोग जो इतने जनप्रतिनिधि हैं शायद हम चुने नहीं जायें कहीं से नियुक्त किये जायें। उसमें हम नहीं होंगे कोई एक व्यक्ति होगा जो जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा वह खानापूर्ति होगी जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में वायसराय और गवर्नर नियुक्त किया करते थे। आज यह सोचने की जरूर जरूरत है और बिहार की तमाम आवाम को हमें यह समझाने की जरूरत है कि आज केन्द्र की भाजपा सरकार किस ओर जा रही है, इस देश को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। ये सारी बातें कहने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि सत्र का लगभग अवसान होने जा रहा है और हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जायेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उससे जो बैचेनी है, जो खलबली है, इन मछलियों की खलबली यह दिखा रही है कि बहुत सारे लोग अब इधर आने के लिए आतुर हो रहे हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको उनका आने वाला भविष्य पूरा का पूरा अंधकारमय दिख रहा है। एक तरफ जनतंत्र के साथ लोग खड़े हैं, संविधान के साथ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश से संवैधानिक व्यवस्था को, हमारी परंपरा को समाप्त करने में लगे हुए हैं लेकिन यह बिहार की धरती है। बिहार की इस धरती ने पूरे विश्व को अपना पहला लोकतंत्र दिया है, जनतंत्र दिया है। बिहार से ही इस लोकतंत्र को बचाने की फिर से एक बार मुहिम शुरू हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस तरीके से पूरे राष्ट्र ने विश्वास जताया है वह आज आंख खोलने वाली बात है सभी लोगों के लिए और यही सबब है बैचेनी का भाजपा के साथियों का कि आज वे बैचेन होकर न तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस सदन में चलने दे रहे हैं। ये सदन की जगह आज बेवजह सड़क पर खड़े हैं कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। बार-बार ये कहते हैं कि दस लाख दस लाख रोजगार की बात मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दस लाख नौकरी और दस लाख रोजगार देने का वादा किया है और जिस तरीके से रोज रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं नौकरियां दी जा

रही हैं निश्चित रूप से इस वादे को पूरा किया जा रहा है और हमको लगता है यह वादा वर्ष 2025 से पहले निश्चित रूप से पूरा करके जनता के मन में एक ठोस विश्वास जताने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ हम लोगों को सजग और सचेत रहते हुए जो लोकतंत्र पर हमलावर लोग हैं, जो संविधान को समाप्त कर हर जगह एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है, एक नई शिक्षा प्रणाली आ रही है जिसमें जितने भी हमारे देश में आजतलख कार्य किये गये हैं उन सारे महान लोगों के कार्यों को बिल्कुल छोटा करके या नहीं करके दिखाना और जो लोग उन दिनों ब्रिटिश राज के साथ थे उनका महिमामंडन करना इन सारी चीजों पर देश चल रहा है तो यह जहर बोया जा रहा है इससे हमें निश्चित रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है और जो जाति, धर्म जैसे नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थ को जिसको ओपियम कहते हैं रिलिजन को । हिटलर ने भी कहा था कि इस ओपियम से रिलिजियस ओपियम से लोगों को एक तरीके से नशे में डालो और तानाशाही का पोषण करो । उसी प्रकार से केन्द्र की सरकार जिस तरीके से जाति, धर्म के नाम पर इस नशे को फैला रही है और मूलभूत जो रोजगार की समस्या है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, महंगाई की जो समस्या है इससे लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती रहती है तो इसके लिए हमें सावधान होने की जरूरत है । लोगों के बीच में जाकर हमें भी अपनी बात को रखने की आवश्यकता है, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे उनको आगाह कराने की जरूरत है कि बिहार की सरकार क्या कर रही है और केन्द्र की सरकार क्या कर रही है तो यह सब जरूरत है । आज नगर विकास विभाग की जो मांग थी उसके माध्यम से मैंने अपनी बात कही है । मुझे यह बात कहनी थी इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर भी दिया तो मैं विषयांतरित होकर अपनी बातों को कह पाया इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम को अंजाम दिया है, एक नये रास्ते पर चलने का प्रयास किया है और जिस तरीके से पूरा राष्ट्र और इस देश के सभी विपक्ष के दल हैं, एक समान विचारधारा के लोग हैं जिस तरीके से इनका साथ दे रहे हैं । अगर हम सब लोग एकजुट होकर इस मुहिम में साथ हों और अपनी-अपनी भूमिका को निभायें तो निश्चित रूप से हम इस लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे और बिहार की ये भूमि जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया वह कभी भी इस लोकतंत्र को इस देश से मरने नहीं देगी ऐसे

संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ें । मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका और बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का, गरीबों का मान और सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एवं बिहार के उप सचेतक, उप मुख्य सचेतक, अख्तरूल इस्लाम शाहीन जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूँ कि नगर विकास विभाग की मांग है और उस नगर विकास विभाग की मांग में अपने नेता के प्रति मैं कहना चाहता हूँ कि :

उम्र बेशक कम है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव की, तजुर्बे बहुत हैं, उनको मारने वालों से कह दो, बाबू तेजस्वी यादव को चाहने वाले बहुत हैं ।

महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूँ कि आज नगर विकास विभाग की मांग है और नगर विकास विभाग में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो काम हुआ है वह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है । आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नगर विकास की बात है तो नगर विकास में आज हम लोगों की सरकार ने माननीय नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में आज जो योजना की स्वीकृति मिली है जिसमें मोटर वाटर एवं आउटपुल नाला के लिए हम लोगों की सरकार और हम लोगों नगर विकास मंत्री ने 42 नगर निकायों में योजनाओं की स्वीकृति दी है जिससे पूरे बिहार के नगर निकायों को फायदा होगा और लोगों को इनकी सुविधा मिलेगी । आगे मैं कहना चाहता हूँ नगर विकास के तहत चाहे वह शवदागृह हो, चाहे वह स्टैंड की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो आज आप पूरे बिहार में देख लीजिये नगर विकास का जो काम है वह काम बोल रहा है । आज यही पटना है जिस समय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहीं नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और आज की तारीख में ये लोग हल्ला करते हैं । हम विपक्ष के साथियों से पूछना चाहते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-16/मुकुल/13.07.2023

क्रमशः

श्री रामवृक्ष सदा : इनके नगर विकास मंत्री के काल में, हम विपक्ष के साथियों से पूछना चाहते हैं कि यह पटना शहर तो क्या छोटा-छोटा शहर में पानी लगा हुआ रहता था, बस स्टैंड में पानी भरा हुआ रहता था, आदमी सही से बस नहीं मोड़ पाता था। पार्क की स्थिति दयनीय थी, किसी आदमी के घर में जब कोई मर जाता था तो उसके शव को लेकर लोग इधर से उधर भागते-फिरते थे क्योंकि उनके दाह संस्कार करने की सही व्यवस्था नहीं थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार में पार्कों की व्यवस्था सही हुई, बिहार में ड्रेनेज की व्यवस्था सही हुई, बिहार में नालों की जल-निकासी का काम किया जा रहा है और बिहार में खासकर के नगर विकास विभाग के साथ जो आवास विभाग है, आवास विभाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, आज विपक्ष के लोग कहते हैं कि बिहार सरकार के रीजन में काम नहीं हो रहा है तो मैं विपक्ष के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आज बिहार में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी-बड़ी इमारतें, अच्छे-अच्छे स्कूल। आज देख लीजिए बिहार में कितना चमकता हुआ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई0टी0आई0 कॉलेज और खासकर के हमलोगों के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जनता के हित को देखते हुए, जनता की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के सभी थानों को नया बनवाने का काम किया और उसमें आवासीय व्यवस्था भी करवाने का काम किया ताकि बिहार की जनता मालिक को सही सुरक्षा मिल सके और नये थानों में सही से काम हो सके। यह नगर विकास और आवास विभाग की उपलब्धि है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज नगर विकास की बात ही नहीं, बल्कि बिहार में जो हमारी सरकार है वह विकास की उपलब्धि में आसमान चूम रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो काम हो रहा है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपना था कि पूरे बिहार से चाहे कोई भी आदमी हो, बिहार के किसी भी कोने से हो, किसी भी जिले से हो वह 5 घंटे में पटना पहुंचे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को हमलोगों के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साकार करने का काम किया और आज 5 घंटे में लोग बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचते हैं, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है और विपक्ष के साथी कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है, बिहार सरकार में काम नहीं हो रहा है। हम विपक्ष के साथियों से पूछना चाहते हैं कि आप जब काम की बात करते हैं तो क्या

आप यह जवाब देंगे कि आपकी केन्द्र सरकार हमलोगों की सरकार की कितनी मदद कर रही है। आपकी केन्द्र सरकार हमलोगों की सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह आप जवाब नहीं देंगे, आपके पास जवाब देने का कोई तजुर्बा ही नहीं है, आप सिर्फ अफवाहों में विश्वास करते हैं, आप सिर्फ साम्प्रदायिकता में विश्वास करते हैं, आप सिर्फ सबको लड़ाने में विश्वास करते हैं, आप सिर्फ इस देश को बेचने और बर्बाद करने में विश्वास करते हैं, इसलिए आपलोग जवाब नहीं देंगे। अगर हमारी सरकार काम करती है, हमारी सरकार काम के प्रति जवाबदेह है और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के आम जनमानस के प्रति सचेत हैं कि उनका सपना साकार हो। आज मैं कहना चाहता हूँ शिक्षित बिहार, स्वस्थ बिहार, आगे चलता बिहार, आगे बढ़ता बिहार, पढ़ता बिहार, जल-जीवन-हरियाली बिहार, चमकता रोड बिहार, पांच घंटे में पटना पहुंचता बिहार यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की देन है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, चाहे चमचमाती हुई सड़कों की बात हो, चाहे नल-जल योजना की बात हो, चाहे जल-जीवन-हरियाली की बात हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके कुशल नेतृत्व में इन्होंने आदमी के जीवन में जो हरियाली लाने का काम किया, जो जल-जीवन-हरियाली की योजना चली वह बहुत लोगों के जीवन में सार्थक हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज विपक्ष के साथी, जब जल-जीवन-हरियाली में अच्छा काम होता है तो विपक्ष के साथी बोलते हैं कि जब हमारी सरकार थी उसी समय की यह योजना थी। विपक्ष के साथी से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय हमलोगों की वर्ष 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी समय जल-जीवन-हरियाली योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई थी। आज वह योजना लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आई है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जल-जीवन-हरियाली योजना नहीं आता तो इस बार गर्मी में हमलोगों के क्षेत्र में कितना जानवर मरता, उसका कोई अता-पता नहीं था। आज इन्होंने जल संचय करने का काम किया और इन्होंने मनुष्य तो मनुष्य, जानवरों की जिंदगी को बचाने और बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और लोग कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। हमको तो लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी मोदी जी का चस्मा पहन लिये हैं, उनको विकास दिखता ही नहीं है। आज ये लोग बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ चाहे वह रोजगार की बात हो, चाहे वह नौकरी की बात हो, चाहे वह विकास की बात हो, आज रोजगार के लिए मैं कहना

चाहता हूँ कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहा गया उनका रोजगार, कहा गया बोलने वाले, कहा गया भाजपा के लोग, जवाब देंगे इनके पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज बिहार में रोजगार सृजन किया जा रहा है, आज बिहार में नौकरी दी जा रही है, आज बिहार में बम्पर नौकरियाँ और भर्तियाँ निकल रही हैं और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व में जितना रोजगार और नौकरी बिहार के लोगों को मिला उतना पूरे देश में नहीं मिला यह मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि आज हमलोगों के नेता रोजगार के क्षेत्र में जो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस कदम में आज बीजेपी के लोग बार-बार रुकावट डाल रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमलोगों के शिक्षक लोग बिहार विधान सभा घेरने की बात कर रहे थे लेकिन हमलोगों की सरकार वार्ता के लिए तैयार हुई और वार्ता के लिए तैयार होने के बाद भी ये बीजेपी के लोग उनको उकसाकर आज पूरे बिहार से एक भी, अगर सरकार सर्वे करा दे तो पता चल जायेगा कि पूरे बिहार इस रैली में टीचर लोग नहीं आये हैं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता आये हैं और पूरे पटना में भर गये हैं। यह लगता है कि बीजेपी की रैली है, पूरे पटना में पोस्टर टंग गया है, टीचर की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं, इसलिए बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी क्या कर रही है, इनकी क्या चाल है, इनकी क्या मंशा है, ये क्या करना चाहती है, ये राज्य और देश को बर्बाद करना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, बीजेपी और आरएसएस का मतलब उनको समझाना चाहता हूँ, बीजेपी मतलब बीजे से बेचकर, जे से जायेंगे, आर से जरूर, एस से सरकारी, आर से राष्ट्र और एस से संपत्ति बेचकर जरूर जायेंगे, राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति, यही बीजेपी का वजूद है और यही बीजेपी का फॉर्मूला है। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आज बिहार में, चाहे वह दलित की बात हो, चाहे महादलित की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अत्यंत पिछड़ों की बात हो। आज जब पटना की सड़कों पर हमलोग घूमते हैं तो देखते हैं, एक ऐसा भी दौर था जब दलित परिवारों को रहने के लिए घर नहीं होता था, लेकिन बिहार सरकार के कुशल नेतृत्व में, श्री श्रवण बाबू मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और

माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज गरीबों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, आज गरीबों को छत का मकान दिया जा रहा है, आज गरीबों को रहने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है, जिनका मैं जीता-जागता उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जिस समय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय पटना में जिस जमीन का दाम 2 करोड़, 5 करोड़ है, जैसे राजेंद्र नगर, आशियाना, जगह-जगह पर, अच्छी जगह पर, कंकड़बाग वहां पर मूसहर के लिए, दलित के लिए कॉलोनी बनाने का काम किया और उस कॉलोनी में उनके बच्चों के लिए पढ़ने-लिखने की व्यवस्था की गयी, उस कॉलोनी में उनके खेलने की व्यवस्था की गई और उसी कॉलोनी में उनके लिए सारी चीजों की व्यवस्था की गयी ताकि गरीब लोग भी, दलित लोग भी, पिछड़ा लोग भी सरकार की योजनाओं का सुख ले सकें और सरकार की योजनाओं के सुख से वंचित न रह सकें।

क्रमशः

टर्न-17/यानपति/13.07.2023

श्री रामवृक्ष सदा (क्रमशः) : महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूँ आज चाहे रोड की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे नाले की बात हो, चाहे वह विकास से जुड़े हुए किसी भी मसले की बात हो आज हमलोगों के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपमुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो काम हुआ है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है वह बीजेपी के लिए एक सपना सा ही साबित हो रहा है और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कुछ बीजेपी के लोग बोलते हैं, मैं यह बात नहीं बोलना चाहता था, कुछ बीजेपी के लोग बोलते हैं कि जबतक हम बिहार सरकार को हटा नहीं देंगे तबतक अपना मुँह नहीं खोलेंगे। हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि यह सरकार हटनेवाली नहीं है और आप जो मुंगेरिलाल का हसीन सपना देख रहे हैं, आपका घर भी मुंगेर है और मुंगेरिलाल का जो हसीन सपना देख रहे हैं यह सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विकसित होगा, बिहार शिक्षित होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार पढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा। आगे महोदय मैं कहना चाहता हूँ आज जो है नगर विकास के माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूँ, नगर विकास की तरफ से नगर विकास की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में बहुत बड़ा

बजट होता है और मैं मांग करता हूँ कि नगर विकास में जो योजनाएं होती हैं, रोड बनते हैं उसमें विधायक लोगों को भी अनुशंसा लेनी चाहिए और उनकी अनुशंसा पर भी कुछ रोड बनना चाहिए यह मैं नगर विकास मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ । दूसरा महोदय, मैं मांग करना चाहता हूँ खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा में गरघाट एक पुल है अलौली प्रखंड के रामपुर पंचायत में बहुत दिन से जनता की मांग है । मैं आपके, सदन के माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी से और सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि गरघाट में अविलंब पुल बनाया जाय । इसके साथ ही अलौली विधान सभा के अंतर्गत खगड़िया प्रखंड के औलापुर गंगौर पंचायत में वहां पर पुल की स्वीकृति मिली हुई है लेकिन बहुत दिनों से वह लंबित पड़ा हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उसे जल्द से जल्द चालू करवाया जाय और मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि जहां-जहां सम्राट अशोक हॉल की स्वीकृति मिल गई है, जहां जमीन उपलब्ध है वहां पर उनकी स्थापना की जाय, बनाया जाय और जहां जमीन की कमी है वहां पर जमीन सर्वे कराकर पुनः वहां जो है जमीन सर्वे कराकर अशोक सम्राट हॉल निर्माण कराने का काम किया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपलोगों का आभार प्रकट करते हुए, अपने नेता को आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय बाबू तेजस्वी यादव।

अध्यक्ष: बहुत अच्छा-बहुत अच्छा । माननीय सदस्य श्री महबूब आलम साहब ।

श्री महबूब आलम: महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया महोदय, यह खामोशी छाई हुई है तो अच्छा नहीं लगता है । एक शेर है महोदय.....

अध्यक्ष: बहुत अच्छे विषय पर चर्चा आपलोग कर रहे हैं इसलिए सबलोग गंभीर हैं और विकास के प्रति सबलोग सजग हैं ।

श्री महबूब आलम: इल्म की इंतहा है खामोशी तो ये लोग हंगामा करने चले गए महोदय । शिक्षक आंदोलन के प्रति हमदर्दी दिखाने का जो ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं महोदय, बिहार की जनता जान चुकी है और शिक्षक भी जान चुके हैं हमारे रामवृक्ष सदा जी ठीक ही बोल रहे थे, कोई शिक्षक इनके आंदोलन के साथ नहीं है । यह जितने भी भाड़ा के टट्टू हैं इनके, इन्हीं को लेकर के मुश्किल से एक हजार लोगों की जमात थी, जमकर पिटाई हुई है महोदय, अगर वे लोग यहां आते तो हमलोगों को हमदर्दी दिखाने का मौका मिलता, सहानुभूति करते । लेकिन शर्म मगर इनको नहीं आती, शिक्षा में इनका क्या योगदान है । पूरे देश की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया । महोदय, ये बताएं कि जहां-जहां इनकी सरकार चलती है, एक भी शिक्षक की नियुक्ति इन्होंने की है । इनके

जो हिंदू सम्राट तथाकथित नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने वादा किया था, गुमराह किया देश की जनता को, दो करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी । आज उस वादे का क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ महोदय, कि वह वादा नहीं वह जुमलेबाजी थी, वह जुमला था । महोदय, शर्म इनको नहीं आती ये आज ई0डी0 के जरिए हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री पर जो इन्होंने फर्जी तरीके से, जो नादान थे उस केस की चार्जशीट करवाकर महोदय, हमारे उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं । महोदय, मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ श्रीमान् को, यह पोस्टर किसका पोस्टर है महोदय, यह तरीपार का पोस्टर है महोदय, यह देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके । आई0पी0सी0 के तहत, सी0आर0पी0सी0 के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय । यह सी0आर0पी0सी0 बोल रहा है महोदय और इनको तो शर्म है ही नहीं । महोदय, लेकिन यहां शर्म आई है इनको, यह जो कोर्ट में जा रहे हैं इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहनाकर लिये जा रहे हैं और इन्होंने हथकड़ी को भी रूमाल से ढक दिया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने पोस्टर दिखाया इसे सभी ने देख लिया इसलिए अब आप उसको रख दीजिए ।

श्री महबूब आलम: मैं इनका चरित्र दिखाना चाह रहा था महोदय ।

अध्यक्ष: पूरे देश ने देख लिया उसको ।

श्री महबूब आलम: शिक्षा के ये हमदर्द नहीं हैं, शिक्षा के हमदर्द हमलोग हैं महोदय । हम जो ताकत हैं यहां, भाकपा-माले की ताकत, आरजेडी की ताकत, जेडीयू की ताकत हमने ही तो शिक्षा देने की पहल की है । यकीनन कुछ विसंगतियां अगर हैं महोदय तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है, हम नेताओं से बातचीत हुई है उनकी और एक हजार क्या, बीस हजार शिक्षक कल आए थे महोदय, लेकिन शांतिपूर्ण बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने सरकार द्वारा चिन्हित धरने की जगह में उन्होंने प्रदर्शन किया और ये लोग नौटंकी करने आते हैं तो नौटंकी तो इनके सरदार कर रहे हैं महोदय । गालिब का एक शेर है :

“ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे,
ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे,
सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए ।”

महोदय, बहुत लोग तारीफ करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करते हैं कि अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे तो अटल बिहारी जी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया महोदय । अटल बिहारी जी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया

और आज इन्हीं लोगों ने ठेका प्रचार पर शिक्षा और शिक्षकों की बहाली की । सिर्फ शिक्षा को ही नहीं महोदय, इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है, नौजवानों की बहाली में भी इन्होंने सिर्फ चार साल का ठेका तय किया है महोदय । ये लोग क्या बात करेंगे । महोदय, आज एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण आया था डॉ० शकील साहब का, कर्पूरी ठाकुर की याद आती है महोदय उन्होंने कहा था कि सूरज की रौशनी पूरी जनता को ही नहीं तमाम मख्लूक को हासिल करने का अधिकार है मुफ्त में ।

(क्रमशः)

टर्न-18/अंजली/13.07.2023

श्री महबूब आलम (क्रमशः) : इसलिए शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए और आज शिक्षा की क्या हालत है, गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है । तमाम शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है । ठीक ही कहा, हम सलाम करते हैं रामवृक्ष सदा जी को । बेचकर जायेंगे जरूर । महोदय, पूरे देश को बेचकर जायेंगे । इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती है । महोदय, नई शिक्षा नीति से इस देश में जो 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे है वह महरूम हो जायेंगी । महोदय, इसलिए माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी से आग्रह करेंगे कि बिहार विधान सभा ने बहुत महत्वपूर्ण पहल, ऐतिहासिक पहल किया है, वक्त-वक्त पर देश संकट में आया है तो बिहार ने नेतृत्व दिया है । इसलिए आज शिक्षा के सवाल पर बिहार को रास्ता दिखाना होगा और बिहार विधान सभा में प्रस्ताव पारित करना होगा कि नई शिक्षा नीति हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, आप जो करते हैं करें । देश से भी खदेड़ने का रास्ता बिहार विधान सभा के अंदर से ही शुरूआत होगी । महोदय, शहर पर...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, महबूब आलम जी, नाम से ही महबूब आलम हैं । पूरी दुनिया के महबूब हैं ।

अध्यक्ष : सब के प्यारे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सब के महबूब हैं, सदन के तो महबूब हैं ही । लेकिन आज जिस मिजाज से बोल रहे हैं, मिजाज तो इनका शायराना है लेकिन अंदाज इनका कातिलाना है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं, आज उन्हें जिल्लत का एहसास हो रहा है । शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रिसिंपल सेक्रेटरी के.के. पाठक का जो कंट्राडिक्शन है, यह कंट्राडिक्शन पूरी दुनिया में जाहिर हो गई, यह नहीं होना चाहिए महोदय । आज तय होना चाहिए सुपीरियॉरिटी किसकी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की या ब्यूरोक्रेसी की, किसकी सुपीरियॉरिटी तय है यह स्थापित हो । कैबिनेट

सुपीरियर है कि ब्यूरोक्रेट सुपीरियर है महोदय । तो हमारे बोलने से क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे, हमारे आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय बोलेंगे । महोदय, जिस तरह से हुई है यह बिल्कुल ना-काबिल-ए-बर्दाश्त है । शिक्षामंत्री का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते हैं, साथ-साथ आप ब्यूरोक्रेट हैं आपको भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन अगर आपने ब्यूरोक्रेसी का रास्ता अपनाया है तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कैबिनेट के मातहत में सब्जुगेशन में रहना होगा । **This is established fact** वरना वह कहते हैं न :

“तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनको,
उनकी दिखानी ही होगी,
जो दिखाये बेमतलब की लाल आंखें,
उसको करके लाल आंखें दिखानी ही होंगी ।”

इसके लिए रास्ता तय होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय महबूब साहब, आप जिस विषय पर बहस कर रहे हैं वह नगर विकास एवं आवास विभाग है । वह तमाम गिलोटीन है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, शिक्षा भी वर्निंग इशू है । यह वर्निंग इशू है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : मैं आपसे चाहूंगा । आप पुराने माननीय सदस्य हैं और नगर विकास एवं आवास विभाग आज के बहस के लिए चुना गया है और बड़े ही कामयाब और अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में यह विभाग दिया गया है जो नौजवान भी हैं, काफी एनर्जेटिक हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, सबके प्यारे हैं इसलिए नगर विकास एवं आवास विभाग पर आप कुछ सुझाव देंगे तो इस राज्य को बहुत फायदा मिलेगा ।

श्री महबूब आलम : बहुत-बहुत शुक्रिया महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग पर मैं आ रहा हूं । महोदय, नगर विकास में जहां नगर है वहीं स्ट्रीट है । इस देश में और इस प्रदेश में The Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending, 2014 का एक एक्ट बना है और माननीय मुख्यमंत्रीजी भी 2005 में आने के साथ ही घोषण किये थे कि प्रदेश के तमाम फुटपाथ के दुकानदारों की सुरक्षा और संरक्षण का हम वादा करते हैं । इसके बावजूद भी जिस तरह से, जिस बेरहमी से स्ट्रीट वेंडर्स को उजाड़ा जा रहा है, उनकी धन-संपत्ति को लूटा जा रहा है, बगल में देखिए स्ट्रीट वेंडर, यहां न्यू मार्केट है, वहां मैं रात के दस बजे तक बैठा रहता हूं । जिस तरह से नगर की पुलिस बहशियाना हरकत करती है वह ना-काबिल-ए-बर्दाश्त है । हम

संरक्षण चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, कभी उन्होंने भी तो दुग्ध मार्केट को बचाने के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था, भरी बारिश में बैठकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, हमलोग भी कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था किये, हमने उनको साफ कहा था कि व्हाइट लाईन के पीछे बैठकर रहते हैं, यह हिंदुस्तान है महोदय, हिंदुस्तान अचानक झटके से यूरोप नहीं बनेगा महोदय, जापान नहीं बनेगा, और यूरोप नहीं बना, जापान नहीं बना इसकी जिम्मेदारी फुटपाथ के दुकानदारों पर नहीं है । इसलिए फुटपाथ के दुकानदारों को जो फुटपाथ पर स्ट्रीट वेंडर्स के किसी कोने में खड़ा होकर चलायमान अवस्था में बैठकर अपना ठेला लेते हुए दुकानदारी करते हैं, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए । महोदय, यह उजाड़ा जा रहा है । गांव में और शहरों में हजारों की संख्या में उजाड़ा जा रहा है । क्यों उजाड़ा जा रहा है ? किसने आपको इजाजत दी ? किसी को पूछना नहीं है । ब्यूरोक्रेसी का धौंस दिखाते हैं आप । कुछ अवांछित बातें हैं मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा । महोदय, इसलिए Superiority of Politics must be established । महोदय, यहां कोई कुछ नहीं है, हंगामा हो तो विधायक को बुलाइए, कोई राइट होगा तो विधायक को बुलाइए, कोई परेशानी होती है तो विधायक को बुलाइए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है, जनता की परेशानी है, उसमें विधायक को पूछने की कोई जुरत नहीं करना चाहते हैं । महोदय, यह बिल्कुल ना-काबिल-ए-बर्दाश्त है । यह महागठबंधन की सरकार है, यह गरीबों की सरकार है, यह पिछड़ों की सरकार है, यह दलितों की सरकार है और इन्हीं सरकार में, इन्हीं फुटपाथ के दुकानदारों को संरक्षण देने का सवाल करने में मुझपर एक बारसोई में और एक पटना में दो-दो मुकदमा हो चुका है, महोदय । हम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, हम गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं हैं, गिड़गिड़ाने वाले लोग अभी हैं नहीं, इनकी अंधभक्ति अचानक नहीं हुई है महोदय । यह हम, आप समझते हैं कि अंधभक्ति अचानक हुई है नहीं, इनके जो रूमानी इंकलाब की शुरूआत करने वाले जो वीर सावरकर थे, जब बाद में इनको एहसास हुआ कि हमारा हिंदुत्व का राज स्थापित तब तक नहीं होगा जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों का तलबा नहीं चाटेंगे, जब तक अंग्रेजों का वजीफा नहीं खायेंगे, वहां से हुई है महोदय । इन्होंने हिंदू राष्ट्र की अंधभक्ति में इनको जब लगा कि इंकलाबियों का दबदबा बढ़ रहा है, इंकलाबियों का रुतबा बढ़ रहा है और इंकलाबी ब्रितानी हुकूमत की सत्ता को छीनकर ये लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इन्होंने, सावरकर महोदय ने, सावरकर का नाम लिख लेने से, ये लोग तो हैं नहीं, अब क्या कहा जाय, यह शिक्षा दीक्षा की बात है, पढ़ने-लिखने की बात

है, पढ़ना-लिखना तो इनको है नहीं, इनको तो दंगा करवाना है, फसाद करवाना है । गुजरात जैसे दंगों की लहरों पर सवार होकर इसने अपना इमेज चमकाया है, महोदय । इसलिए उस वक्त ये लोग अंग्रेज की महारानी को चिट्ठी लिखा करते थे कि अगर आपके हाथ से सत्ता फिसल जाती है तो फिसल जाने से पहले आप इस देश का राजा जो नेपाल का राजा है, नेपाल के राजा को अपना सत्ता सौंप दीजिए चूंकि नेपाल एक हिंदू राजा है और हिंदू राजा हमारे भारत का राजा होगा हमें यह कबूल है लेकिन ये एक क्रांतिकारियों का राज्य बने यह कबूल नहीं है । यह अंधभक्ति है महोदय । यह डॉक्यूमेंटेड है महोदय, यह हिस्ट्री है और यह हिस्ट्री सुनने की इनकी ताकत नहीं है इसलिए भागे हुए हैं । यह मुकाबला करके भागते, अपना तथ्य पेश करते । मैं तो लगा हुआ हूं, चलिये सावरकर के वारिस ही सही, औलाद कहने से दिक्कत होती है । मैं तो अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहता हूं । मुझे खुशी होती है, छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे साथियों ने भी हमें नसीहत दिया कि महबूब आलम साहब...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बहादुर हैं इसलिए बहादुर के ही नाम लेते हैं । आपका समय अब समाप्त हो गया इसलिए अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, थोड़ा वक्त दिया जाय ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, बहुत हो गया । बहुत बोल दिये आप ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हम चाहते हैं कि शिक्षक के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाकर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्री महबूब आलम : सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है उस धमकी को वापस ले और स्टेट सरकार घोषणा करे, हमारा शिक्षक सुरक्षित है और सुरक्षा के साथ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता कुमारी ।

श्रीमती संगीता कुमारी : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब बाबू अब आप स्थान ग्रहण करें । बहुत अच्छा बोले हैं आप । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय सदस्या संगीता जी, अपना भाषण शुरू करें । नगर आवास एवं विकास विभाग का विषय है ।

श्रीमती संगीता कुमारी: बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय । नगर विकास विभाग के अनुपूरक व्यय विनियोग विधेयक के अनुदान मांग पर मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपने राज्य के विकासशील विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, माननीय सचेतक महोदय एवं माननीय माननीय मंत्री महोदय जो को कि आप सबों ने आज हमें अवसर दिया बोलने के लिए । महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां चर्चा हो रही है वह है नगर विकास और आवास विभाग । महोदय, मैं अगर नगरों की बात करूं तो एक आधारभूत संरचना जो इस देश की है उसकी बहुत बड़ी आबादी जो है वह नगरों में निवास करती है और मनुष्य की जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती है कि उसे एक अच्छा आवास मिले, पहनने को अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी शिक्षा मिले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी चीरप्रतिक्षित उनकी अभिव्यक्ति रहती है । जब हम दवाई की बात करते हैं, हम सिंचाई की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब से हमारी महागठबंधन की सरकार यहां बनी है महोदय, एक बात जरूर कहूंगी कि बिहार की जनता में आपार खुशी है और जबसे माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में प्रभार ग्रहण किया है तब से उन्होंने नगरों की जो परिदृश्य है उसको बदल कर रख दिया है । माननीय उपमुख्यमंत्री जी की मैं चर्चा करूं तो निश्चित तौर पर कहूंगी कि आप देख लीजिये कि आज अस्पतालों की जो स्थिति है वह अब कितनी बदली हुई है, डॉक्टरों पर कार्रवाई हो रही है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि देश की जनता को, बिहार की जनता जो बिहार के अस्पतालों में, जो मरीज आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो उससे हम कम्परमाईज नहीं कर सकते हैं। यह हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सोच है और आपने देखा होगा कि चाहे पी0एम0सी0एच0 का दौरा हो, बीच रात में जाकर, 12 बजे रात में जाकर औचक निरीक्षण करना, यह हमलोगों ने बिहार में पहली बार देखा है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अस्पतालों का दौरा करना इसको लेकर इस देश की जनता में, बिहार की जनता में काफी खुशी है। महोदय, नगर विकास की मैं बात करना चाहूँ, शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की बात करना चाहें तो उसमें काफी काम हो रहा है । सड़कों की अगर बात करना चाहेंगे तो महोदय, मैं मोहनियां विधान-सभा क्षेत्र से आती हूँ और मोहनिया में अभी हाल के दिनों में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई । चूँकि वहां नगर के बीच से ट्रकों की आवाजाही होती है और तीन लोग उस सड़क दुर्घटना में मारे गये हैं तो मैं चाहूंगी कि जल्द ही अगर मोहनियां में बाईपास बन जाता है तो निश्चित तौर पर जो जाम की समस्या है और दुर्घटना की संभावना जो हमेशा बनी रहती है उससे

मोहनियां की जनता को सुरक्षा मिलेगी । हमारे यहां नया नगर बना है कुदरा, जहां बहुत बड़ी आबादी रहती है लेकिन वहां बहुद्देशीय भवन नहीं हैं । हमारे यहां मोहनियां में भी नहीं है । इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे यहां अगर यह मल्टीपरपस हॉल के रूप में बन जाये तो वहां के लोगों को इससे काफी लाभ होगा। चूंकि जिस तरह से हमारा राज्य विकास कर रहा है और विकासपुरुष के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे उपमुख्यमंत्री जी हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि उसरा का जो रोड है वह मोहनियां में हैं जहां बहुत बड़ी आबादी रहती है, आज भी वहां के सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है तो हम मांग करना चाहते हैं कि उसरा में माननीय नगर विकास मंत्री जी की पहल पर कुछ काम हो लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति है वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें हम देखेंगे तो कुछ लोग अवसर की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं तो जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसके लिए नये नये अवसर तलाश रही है । जैसे स्वास्थ्य विभाग में एक लाख तीस हजार रिक्तियां भरी गयी है, कृषि विभाग में, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग में नये नये पद भरे जा रहे हैं और हमारे उपमुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो उसके लिए वे कार्य कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि नौ वर्षों से केन्द्र की सरकार जो सत्ता पर आसीन है उसने जो टारगेट दिया था उसका क्या हुआ ? वह सरकार तो हर चीज प्राईवेट कर दिया, आपने तो रोजगार का अवसर ही छिन लिया, आप तो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हर चीज प्रावेटेजेशन कर रहे हैं, सब कुछ ठीका पर दे रहे हैं तो एक तरफ से आप पिछली गली से जाकर आपकी तीसरी नजर जो होती है कि आरक्षण को खत्म करने की एक बहुत बड़ी देश में साजिश हो रही है । महोदय, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आत जो इतिहास बदलने की बात केन्द्र की सरकार कर रही है तो ये इतिहास देश की जनता भूलेगा नहीं । जब संसद भवन का आपने उद्घाटन किया तब देश की अनुसूचित जनजाति से आने वाली महिला राष्ट्रपति को आपने आमंत्रण नहीं दिया, यह इतिहास भूलेगा नहीं । इस देश की जनता भूलेगा नहीं कि दलितों का बहुत बड़ा अपमान हुआ । महोदय, इस देश में अभी जो स्थिति है, दलितों को डराकर राज करने वाली सरकार सत्ता में बैठी हुई है और आज दलित लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मैं बहुत कुछ कहूंगी, मैं महिलाओं की बात करूंगी तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो यहां की महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर सशक्त बनाया है । आज यहां की बच्चियां इतनी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती दिखती है और कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी की यह बहुत बड़ी देन है कि हम सब आज

नौकरियां कर रही है । लेकिन एक तरफ देश का वो चरित्र भी दिखता है जहां कुशती की खिलाड़ी महिलाएं धरने पर बैठती हैं और वे अपने शोषण का आरोप लगाती हैं केन्द्र की सरकार पर और कहती हैं कि बृजभूषण शर्मा को अरेस्ट करो, लेकिन केन्द्र की बैठी हुई सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है । देश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान इस देश ने कभी नहीं देखा । जब ये भारत के लिए मेडल लाने वाली महिलाएं जब सड़कों पर हों, वे महिलाएं, वे बच्चियां वे लड़कियां जब रो रही हैं तो हमारे गांव की झुग्गी-झोपड़ी में बैठी हुई महिलाओं की इज्जत कितनी सुरक्षित होगी । यह समझ जाइये, इस देश की जनता सब देख रही है । इस देश में ऐसी सत्ता बैठी हुई है जो संविधान को नहीं मानती, आज देश में जो सत्ता बैठी हुई है वह गोडसे और सावरकर की नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही है । शुक्र है और धन्य है समाजवाद के बहुत बड़े हमारे गुरु और हमारे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को । मैं तो कहूंगी कि हम बहुत लक्की हैं कि ऐसी राजनेता के क्षेत्र संरक्षण में आज है जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। जिन्होंने हमेशा समाजवाद की बात की, जिन्होंने जे0पी0, लोहिया, कर्पूरी और बाबा साहब की बात की । हम ऐसे नेता के संरक्षण में हैं और इस देश में, जिस तरह से अभी मीटिंग्स हुई हैं और इस देश में जो चट्टानी एकता देखने को मिल रही है । इससे केन्द्र की सत्ता हिल रही है और उन्हें पता है कि जो आप नीतियां लागू करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हर सभ्य को भगवाधारी बनायेंगे, जो आप चाहते हैं कि हम संविधान को तोड़ेंगे, हम संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं लेकिन जबतक इस समाजवादी पुरोधा के नेता हैं और उनके क्षेत्र संरक्षण में इस महागठबंधन की समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हमलोग हैं, तब तक इस देश में न संविधान पर कोई प्रहार होने दिया जाएगा, न आरक्षण पर कोई प्रहार होने दिया जाएगा और न बच्चियों और महिलाओं के साथ शोषण होने दिया जाएगा । यह महागठबंधन की सरकार का एक बहुत बड़ा संदेश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर कहूंगी कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, एक गरीब व्यक्ति भी कहता है कि हमारी सरकार है और एक रिक्शा चालक भी कहता है कि हम स्वतंत्र वातावरण में हैं क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी बात सुनी जाती है । हम उस ओर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की अगर हमलोग चर्चा करें तो देश की झुग्गी-झोपड़ी में बैठने वाले लोग जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब से कुर्सी संभाली है, तब से वे लोग आस की दृष्टि से देख रहे हैं और जब से सरकार बनी है बहुत चिर प्रतीक्षित हम सभी काम कर रहे हैं और एक बात जरूर कहना चाहती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या संगीता जी, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती संगीता कुमारी : महोदय, एक मिनट सर । “ उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है ।” बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, समय को देखते हुए अपना भाषण दीजिए ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर खाली है । महोदय, मैं ...

अध्यक्ष : मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप समय पर ध्यान देने वाले आदमी हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इधर पूरी की पूरी बेंच खाली है और बेंच खाली होने का कारण भी मुझे पता है । दरअसल, सदन में आज उनकी दिलचस्पी नहीं थी । उनकी पूरी की पूरी दिलचस्पी थी पूरी दुनिया को यह बताना कि बिहार के शिक्षक के असली हिमायती हम ही हैं और उसके लिए पूरी टीम निकलकर के और हमारे साथियों ने सही कहा कि कोई शिक्षक वहां नहीं था । वे भाड़े पर लाये हुए लोग थे और उनका नेतृत्व करते हुए वे चल रहे थे । उनका मंसूबा आज पूरा नहीं हुआ ।
(क्रमशः)

टर्न-20/मधुप/13.07.2023

...क्रमशः...

श्री अजय कुमार : मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देना है । यह इसलिये हम कह रहे हैं कि जिन शिक्षकों के लिए वे घड़ियाली ऑसू बहा रहे हैं, उनकी सरकार केन्द्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के प्रति उनकी नजरिया क्या है । उनकी नजरिया तो साफ दिखाई पड़ती है जब उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लाकर जो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा को चंद मुट्ठी भर हाथों में सौंपने का संकल्प लिया, हम भी कहना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति लाकर इस देश के अंदर गरीब बच्चों को जो शिक्षा देने की बात सरकार ने किया है और हमारी राज्य सरकार जो करना चाहती है, अगर उस नई शिक्षा नीति को ला दिया जाय तो हायर एजुकेशन सिर्फ नहीं बल्कि निम्न एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन तक की शिक्षा इतनी महँगी हो जायेगी कि देश के गरीब बच्चे और बिहार के गरीब बच्चे तालिम हासिल नहीं कर पायेंगे । इसीलिये वे नई शिक्षा नीति को लाना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि केन्द्र की सरकार जो कर रही है, देश के बच्चे जब पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो उनकी नीतियों को समझेंगे और जब उनकी नीतियों को समझेंगे तो उनके खिलाफ उठ खड़ा होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे । बिहार के अंदर मैं भी समझता हूँ कि सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ में निश्चित तौर पर बिहार विधान सभा में प्रस्ताव पारित करके उसको रिजेक्ट करना चाहिए कि बिहार में नई शिक्षा नीति किसी भी कीमत पर शिक्षा को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा सकता है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नगर विकास के क्षेत्र में जो काम हुये हैं निश्चित तौर पर ढेर सारे काम हुये हैं और कुछ काम करने की जरूरत है । काम करने की जो जरूरत है उसमें मैं दो-तीन प्वायंट्स सुझाव देना चाहता हूँ । शहरी नगर निकाय का चुनाव पिछली बार 2022 में हुआ है और

उसका नोटिफिकेशन उससे पहले जो एक्सटेंशन हुआ था छः महीना पहले, लेकिन आज नगर के विकास के क्षेत्र में जो होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है वह पीछे 2018 से लेकर 2019-20 और 2020-21 का, वह माँगा जा रहा है जो बिल्कुल सही नहीं है । जब वह ग्रामीण क्षेत्र में था तो आप उस समय का टैक्स कैसे माँग सकते हैं? वह नहीं माँगा जाना चाहिए । उसपर मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूँ कि वह जरूर इसको संज्ञान में लें । जब से आपने नोटिफिकेशन किया है, आप तब से टैक्स लें और इसके साथ हम अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर श्रवण बाबू भी बैठे हुये हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा कि आवास योजना चलायी जा रही है, शहर के अंदर भी गरीब रहते हैं, रिक्शा चालक, टेला चालक, भूमिहीन, उनके लिए भी सर्वे कराकर शहर के अंदर जो फुटपाथ पर रात में सोये रहते हैं उनके रहने के लिए भी आवास की व्यवस्था हम समझते हैं कि करना चाहिए । दूसरी बात है कि नगर के विकास में बहुत काम हुआ है और एक काम सबसे बड़ा काम हुआ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीन सुझाव देना चाहते थे । दो सुझाव हो गया, अभी एक सुझाव बाकी रह गया ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं नगर विकास पर ही बोल रहा हूँ, मैं इधर-उधर नहीं जा रहा हूँ। मेरा यह अनुरोध है कि जो शहर के अंदर आपने टाउन हॉल का निर्माण किया, पहले भी किया था, मेरा अपना अनुभव है, समस्तीपुर से हम आते हैं, समस्तीपुर के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक टाउन हॉल बड़ा-सा बना है लेकिन उस टाउन हॉल को निजी हाथ में सौंप दिया गया और जब निजी हाथ में सौंप दिया गया तो उसका प्रतिदिन का भाड़ा 40 हजार रूपया है । एक ग्रामीण इलाके का जो शहर होता है वहाँ आप 40 हजार रूपया उसका भाड़ा रखिएगा? कौन उसमें मीटिंग करेगा, कोई गरीबों का संगठन उसमें मीटिंग नहीं कर पायेगा, बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों के जो कई स्वयंसेवी संस्था हैं, वे उसमें जाकर मीटिंग करते हैं । इसीलिये इसपर भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे ।

शहर के अंदर जाम की परिस्थिति है, पटना में जाम की परिस्थिति कम हो गई लेकिन जो जिले के अंदर शहर हैं वहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है । समस्तीपुर का स्टेशन रोड जो है, जाम का एक ऐसा दंश झेलता है कि पूरब से लेकर पश्चिम जाने में तीन घंटा का समय बीत जाता है लेकिन लोग पहुँच नहीं पाते हैं ।

आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, जल-जमाव की समस्या जो बनी हुई है शहर के अंदर चाहे समस्तीपुर शहर हो, अभी खगड़िया के साथी बोल रहे थे, कई जिला

के साथी बोल रहे थे, शहर का विकास जरूर हुआ है लेकिन वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अभी तक ठीक नहीं किया गया है । जब तक ड्रेनेज सिस्टम जल-जमाव की समस्या को दूर करने के लिए नहीं ठीक किया जायेगा तब तक यह काम नहीं हो सकता है ।

आखिरी एक अपील करते हुये कि शिक्षक आंदोलन जो हमारे साथी सही कहे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में वे धरना दे रहे थे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार : एक सेकण्ड बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ । उन्होंने किसी पर पत्थर नहीं चलाया, उन्होंने किसी पर लाठी नहीं चलायी, उनका डेमोक्रेटिक राइट था, वे आंदोलन के लिये आये थे लेकिन इस बिहार के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वह अपना रंग दिखा रहा है, ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका कभी भी विधायिका से उपर नहीं हो सकता है और उसने तुगलकी फरमान दे दिया कि जो छुट्टी में हैं उनके उपर भी कार्रवाई की जायेगी । सबके सब छुट्टी में थे, छुट्टी लेकर आये थे, वे अवकाश लेकर आये थे इसलिये उनके उपर आज धमकाने की कोशिश आंदोलन को दबाने के लिए जो किया जा रहा है, यह सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम वार्ता करके उसका निदान करेंगे, वह कर दिया जाय ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान, समय का ख्याल रखेंगे क्योंकि सरकार का भी उत्तर होगा, सरकार को भी समय चाहिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम जिस सरकार के अंग हैं, यह हमारी सरकार कार्रवाई और सुनवाई की सरकार है । आज जो विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं और आज पूरा वाक-आऊट किये हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक आदिवासी दलित के उपर पेशाब करते हुए जो आज दिखाई दे रहा है, इनको वह नहीं सूझता है । कल एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि आप जिस सरकार में हैं, 10 लाख नौकरियों की बात की जा रही थी तो मैंने कहा कि जिस केन्द्र सरकार की बात आप कर रहे हैं उनके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने इसी बिहार के मंच से घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे । आज कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार ? 9 साल आज हो गया, कम से कम 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए ।

महोदय, मैं कुछ इस ओर इशारा करना चाहता हूँ, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कुल बजट का 17 प्रतिशत माननीय सदस्यों के अनुशांसा के आधार पर काम किया जाना था, पिछली जो चिट्ठियाँ हमलोगों को मिली थी। महोदय, अभी किसी भी नगर पंचायत एवं नगर परिषद द्वारा हमारे माननीय सदस्यों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि हमलोग उसके सदस्य हैं, बैठक में हमलोगों को बुलाया जाता है, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि तमाम नगर पंचायत और नगर परिषद में बजट के कुल 17 प्रतिशत हमारे माननीय सदस्यों को योजना दिया जाय।

महोदय, बिहार में शिक्षक वर्षों से बिना शर्त शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमलोगों ने शिक्षक आंदोलन में शिरकत करने का काम किया। ...क्रमशः...

टर्न-21/आजाद/13.07.2023

..... क्रमशः

श्री सूर्यकांत पासवान : और हमारे शिक्षक नेताओं ने भी, हमलोगों ने भी हम तमाम शिक्षकों को कहे कि आप अपने-अपने काम पर चले जाईए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम शिक्षक के नेताओं और लेफ्ट के नेताओं के साथ वार्ता करके हम आपकी समस्या का निदान करेंगे महोदय। उसके बाद आज भाजपा के लोगों ने शिक्षक आन्दोलन का जो रूप दिया है, सही मायने में हमारे साथियों ने कहा कि ये लोग भाड़े पर लोगों को लाया है। हमलोग मौजूदा विधान सभा के सदस्य हैं और आवास पर हैं। पिछले दिनों हमारे तमाम शिक्षक लोग आवास पर आये थे, उनके रहने-सहने की व्यवस्था हमलोगों ने किया था लेकिन आज हमारे क्षेत्र से महोदय एक भी शिक्षक हमलोगों के आवास पर नहीं आये हैं। महोदय, बिहार की महागठबंधन सरकार अपने वायदे के अनुसार बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध करायी जा रही है महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,...

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मुझे दो मिनट ही बोलना है, आज सदन खाली है

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूँ कि आप संक्षेपन में आईए।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, बिहार में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित है मगर महोदय सरकार ने सबसे डोमिसाईल नीति में संशोधन किया है, तब से राज्यभर के

शिक्षक, अभ्यर्थी सड़कों पर आन्दोलित हैं। महोदय, मैं सरकार से डोमिसाईल नीति में किये गये संशोधन को रद्द करने की मांग करता हूँ।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान बेगूसराय जिला के बखरी विधान सभा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। महोदय, सरकार ने वहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अनुमंडल में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण हुआ है महोदय, लेकिन अनुमंडल अस्पताल अधर में लटका हुआ है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बखरी अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल की स्थापना हो। महोदय, एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, तेघड़ा अनुमंडल के भगवानपुर प्रखंड रहसा गांव में गंगा नदी में भारी मात्रा में कटाव हो रहा है, महोदय, उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान। समय का ख्याल रखिए, एक मिनट ही आपके जिम्मे है।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, सब पर करम, मुझपे सितम, ऐसा न करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री अखतरूल ईमान : सर, आपके आदेश का पालन हमारे लिए दायित्व है। सर, नगर एवं आवास विभाग पर बात हो रही है और मैं मशविरे के तौर पर चन्द बातें सरकार से अर्ज करना चाहूँगा। इस वक्त नवगठित नगर पंचायतों की हालत अच्छी नहीं है। पंचायत में जो कीचड़ है, उससे ज्यादा नगर पंचायतों में है, उनको सुधारा जाय। अमौर की स्थिति ऐसी खराब है। किशनगंज शहर में इंसान स्कूल रोड पर है, बीच में पानी जम जाता है और वहाँ पर लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। दो बातें और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर ऐसा है महोदय कि अप्रैल में रमजान के दिनों में शहनबाज नाम का नौजवान सामान खरीदने जाता है, एस0एस0बी0 के नौजवानों ने सिकटी में उसे पीट-पीट कर मार डाला, लेकिन आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई जबकि वहाँ पर अभियुक्त बनाये गये हैं। यही मामला पिछले दिनों में जहरूद्दीन ड्राइवर के साथ छपरा में भी हुआ है। बेहतर है कि बिहार सरकार जो अमन शांति करना चाहती है, सरकार को माँब लिचिंग के खिलाफ कानून लानी चाहिए। शिक्षक नियमावली में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो जो आन्दोलन शिक्षकों का चल रहा है, उसपर रूकावट आयेगी। 1 लाख 70 हजार में वहाँ

पर अगर डोमिसाईल कायम करने की कोशिश की जाय ताकि बिहार के बेरोजगारों को मौका मिले और जो शिक्षक पहले से नियोजित हैं, उनको राज्यकर्मि का दर्जा दिया जाय । उर्दू टी0ई0टी0 का रिजल्ट अब तक नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट जारी किया जाय ताकि वे शामिल हो सकें । परसियन और अरबी को भी मौका दिया जाय ।

महोदय, हमारे यहां क्षेत्र में पुलों और सड़कों की हालत बहुत खराब है। कोचका से परसराय एक कि0मी0 सड़क है, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं । बीमार नहीं निकल पा रहे हैं, किसान नहीं निकल पा रहे हैं, महिलायें सड़क पर नहीं जा पा रही हैं, हरिया कमालपुर सड़क, जलील चौक से धर्मबाड़ी, पियाजी से खाड़ी जाने वाली सड़क का बड़ा ही बुरा हाल है । खाड़ी और रसैली पुल पर ध्यान देने की जरूरत है और रियादअली धार और बम्बा धार का काम पिछले 7 साल से रूका हुआ है । मैं याद दिला रहा हूँ सर, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ ।

महोदय, बिजली की स्थिति यह है कि वहां पर चार घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रही है और एक गांव हरियाखाल है, जहां पर बिजली का पोल आज तक नहीं गाड़ा जा सका है । इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

महोदय, अभी बाढ़ में सबसे ज्यादा कटाव मेरे क्षेत्र में है । महानन्दा, कनकई और परमान की वजह से दर्जनों घर कट गये हैं और बम्बू पाईलिंग से काम नहीं हो पा रहा है, चूँकि यहां पर जल संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं तो वहां पर परकोपाईन से काम कराया जाय ।

एक बड़ा अहम मसला है महोदय, पैक्स के चेयरमैन जो हैं, उनका कमीशन 2009-10 में तय हुआ, वही कमीशन आज भी है लेकिन आज उनको उसना चावल देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उसना चावल का मिल ही नहीं है, वे दंडित हो रहे हैं। उनका कमीशन भी नहीं बढ़ रहा है, उसना मिल जब तक नहीं हो, अरवा चावल उनको सप्लाई करने का मौका दिया जाय ।

चूँकि बिहार में बीमारों की संख्या बहुत ज्यादा है । आयुष जो चिकित्सक हैं, उनकी बहाली का भी मौका बहुत दिनों से नहीं आया है, उनको फिर से मौका दिया जाय।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैंने तो समय ज्यादा नहीं लिया, मैं तो मशविरा दिया है और कुछ कहा नहीं । मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जिन मुद्दों पर सुझाव दिया है, उसपर कार्रवाई हो । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन । आपको 20 मिनट का समय है, मतलब कि जो नगर विकास एवं आवास विभाग पर सुझाव देना चाहते हैं, उसपर दीजिए । इधर-उधर नहीं जाईयेगा, इसी पर बोलियेगा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : ठीक है सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री के द्वारा जो अनुदान मांग विधान सभा के अन्दर पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, जो देश की वर्तमान स्थिति है, उसको देखते हुए देश से सम्प्रदायिक फांसीवादी ताकतों को भगाने के लिए और देश के अन्दर गरीबों मेहनतकशों की आवाज को बुलंद करने के लिए बिहार में इस महागठबंधन का निर्माण हुआ है, जिसका नेतृत्व बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इस गठबंधन के बाहर के रूप में हमारे और पूरे बिहार के हरदिल अजीज, नौजवानों के हरदिल अजीज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस काम को कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता को इस महागठबंधन से काफी उम्मीदें हैं और बिहार की जो जनता है, वो इस उम्मीद के साथ इस गठबंधन की ओर देख रही है कि बिहार के अन्दर जो समस्याएँ हैं, खासकर के बेरोजगारी का, बिहार के विकास का निश्चित रूप से इस गठबंधन के अन्दर जो युवा नेतृत्व और युवा सोच है, उनके सामने बिहार की समस्याओं का निदान होगा । चूँकि जो केन्द्र की मौजूदा सरकार है, इसने देश के आवाम को ठगने का काम किया और आपने महोदय, अभी हमारे पहले के वक्ताओं से सुना कि किस तरह से लोगों का समर्थन लेकर के जनता की वाजिब समस्याओं का खासकर देश के अन्दर रोजगार का सवाल था, भ्रष्टाचार का सवाल था, महंगाई का सवाल है, इन मुद्दों पर केन्द्र की सरकार ने देश की जनता के साथ जो नाइन्साफी किया है, उसके चलते अभी जो महागठबंधन है, इसपर देश बिहार की जनता को काफी उम्मीद है और निश्चित रूप से हमारी यह समझदारी है कि अभी जो बिहार की वर्तमान सरकार है, अपने जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी और बिहार के अन्दर रोजगार का अवसर लोगों को प्रदान किया जायेगा । बिहार के अन्दर विकास की रफ्तार को बढ़ाया जायेगा, ऐसी समझदारी आज लोगों के बीच में है और हमारी सरकार की भी यही सोच है । इसलिए महोदय, अभी जिस विभाग पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह विभाग जो है, निश्चित रूप से बिहार के अन्दर अभी जो स्थिति है, कहा जाता है कि बिहार जो है गांवों का प्रदेश है लेकिन मौजूदा हालत में जिस तरह से गांव के लोगों का शहर की ओर पलायन हो रहा है

और जो शहरीकरण हो रहा है, उस स्थिति में शहर का विकास बिहार की सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती है। चूँकि पूरे बिहार की आबादी का 15.4 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं और उनके विकास के बिना अब बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

..... क्रमशः

टर्न-22/शंभु/13.07.23

श्री राकेश कुमार रौशन : क्रमशः....इसलिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो शहरों के विकास की योजनाएं चल रही हैं और बिहार सरकार की जो सोच है कि हम बेसिक डेवलपमेंट के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक शहरों के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है आज शहरों के अंदर जो जल जमाव की समस्या है उस जल जमाव की समस्या को दूर करना निश्चित रूप से आज सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार ने इसको अपने प्राथमिकता में जोड़ा भी है। महोदय, पूरे नगर एवं आवास विभाग में जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है उसको यदि आपलोग पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाला निर्माण बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है शहरों के अंदर में और इसके तहत स्टोर्न वाटर ड्रेनेज और आउटफोल दोनों का निर्माण किया जायेगा और इसके आधार पर जो खासकर के शहरों के अंदर जो नाले हैं उनका विकास नहीं होने के कारण जो जल जमाव की समस्या बनी रहती है उस जल जमाव की समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसी बिहार सरकार की सोच है महोदय। नागरिक सुविधाओं के लिए जो बिहार सरकार और खासकर के नगर विकास एवं आवास विभाग ने जो प्राथमिकता तय किया है उसमें प्रत्येक नगर पंचायत में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराना हम आप सभी लोग जानते हैं कि शहरों के अंदर जब तक एक बड़ा सा हॉल का निर्माण नहीं होगा तब तक हम उसको बहुद्देशीय रूप में उपयोग नहीं कर सकते, खासकर के एक जगह इकट्ठा होने के लिए और कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम के निष्पादन के लिए हर शहर के अंदर एक हॉल की आवश्यकता है और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक भवन का निर्माण सरकार के द्वारा प्रत्येक नगर पंचायत और नगर परिषदों में किया जा रहा है। महोदय, जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि शहरों के अंदर बिजली की समस्या जरूर दूर हुई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात में आवागमन में काफी कठिनाई होती है जिसके चलते लोगों को बहुत सारी

परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कहीं लूटपाट, मारपीट या ये सारी जो घटनाएं होती हैं इसको चिन्हित करने में जब तक शहरीकरण में लाइट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक इन चीजों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। महोदय, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु भारत सरकार का जो उपक्रम है इ0इ0एस0एल0 इनर्जी इफिसियेंशी सर्विस लि0 के साथ बिहार सरकार ने एम0ओ0यू0 किया है और उसका प्रतिफल दिखायी पड़ रहा है कि बड़े पैमाने पर शहरों में लाइट लगाया जा रहा है जिससे शहर के लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। महोदय, इसके अलावा शवदाह गृह का निर्माण, नगर पंचायत और नगर परिषदों के माध्यम से हो रहा है, बस स्टैंड का निर्माण भी कराया गया है और आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड का निर्माण किया गया है जिसका उदाहरण पटना का जो बस स्टैंड है। आप उसको यदि देखेंगे तो वहां सभी तरह की नागरिक सुविधा बहाल की गयी है। महोदय, कहने का मतलब है कि सरकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके नगर को किस रूप में सुसज्जित और विकास किया जा सकता है। यह हमारे माननीय मंत्री और बिहार सरकार की सोच है जो जमीन पर दिखायी दे रहा है। महोदय, इसके अलावे एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली का- यह जल जीवन और हरियाली की जो योजना है यह शहरों और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगहों पर यह योजना चल रही है और शहरी इलाकों में यह जो योजना चलायी जा रही है उसमें इस योजना के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। पहला जहां पर चापाकल गाड़ा जाता था वहां पर हमेशा जल जमाव की समस्या रहती थी और पानी का निकास नहीं होने के कारण चापाकल की सुविधा मिलने के बाद भी जनता उसका उपयोग नहीं कर पाती थी। इसलिए चापाकल के पास जो सोखता का निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जल जमाव की समस्या दूर हो रही है। इसी तरह से सार्वजनिक कुओं के बगल में भी सोखता का निर्माण हो रहा है, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार हो रहा है, सार्वजनिक तालाबों और पोखरों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। ये सारी जो सोच है यह वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके जेहन में बिहार के प्रति हमदर्दी हो, बिहार के गरीबों के प्रति, मेहनतकशों के प्रति हमदर्दी दिखाने की जिनके पास सोच रहेगी वही लोग इसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे और इसी सोच के प्रतीक के रूप में हमारे माननीय मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस काम को कर रहे हैं। इसके बाद जो स्वच्छ भारत मिशन है उस स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम चल रहा है ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से शहर की गंदगी को दूर करने की जो योजना है खासकर के जो गीले और सूखे कचरे हैं इन

दोनों कचरों को जो घरों से उठाया जा रहा है और उठाकर के उसका उपयोग खाद के निर्माण में और दूसरे वस्तुओं के निर्माण में किया जा रहा है । इससे शहर के अंदर सफाई की जो समस्या है वह सफाई की समस्या निश्चित रूप से दूर हो रही है । महोदय, इसके अलावे जो सबके लिए आवास की व्यवस्था है । इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा शहरी निकायों में जो शहर के अंदर आवास की व्यवस्था है वह जमीन के अभाव में इस काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, चूंकि शहरों के अंदर जमीन की अनुपलब्धता है और जमीन अनुपलब्ध रहने के कारण जो निर्माण होना चाहिए था वह निर्माण कार्य उस गति के आधार पर नहीं हो रहा है खासकर के स्लम बस्तियों में जहां लोगों को आवास की जरूरत है उन स्लम बस्तियों में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार ऐसी नीति बनाये कि आप जिस तरह से इंदिरा आवास योजना में जमीन क्रय करके लोगों को जमीन घर बनाने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग की जो योजना है उसी तरह से शहरी निकायों में भी लोगों को जमीन क्रय करके स्लम बस्तियों में आवास का निर्माण कराया जाय जिससे लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान हो सके । महोदय, इसके अलावे जो स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है उस स्मार्ट सिटी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहारशरीफ हमलोग का भी जिला मुख्यालय है और बहुत सारे स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत विकास का काम हुआ है । इसलिए मैं कुल मिलाकर के यह कहना चाहूंगा कि बिहार के विकास में जो योगदान है नगर विकास एवं आवास विभाग का वह एक महत्वपूर्ण योगदान है । इसके साथ-साथ इनके अंदर जो भी और जिम्मेवारी दी गयी है जिन विभागों का आप यदि उसका भी मूल्यांकन करेंगे स्वास्थ्य विभाग का, ग्रामीण कार्य विभाग का या पथ निर्माण विभाग का तो बिहार को बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है । महोदय, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जिसके आधार पर नगर विकास विभाग को और संपुष्ट किया जा सकता है और नागरिकों के प्रति और भी जिम्मेवार बनाया जा सकता है । सबसे पहली बात है कार्यपालक पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर अभाव है इस विभाग में जिसके चलते दूसरे पदाधिकारियों की सेवा ली जा रही है और वे जिस रूप में सेवा दे रहे हैं उससे नगर पंचायत या नगर परिषद् या नगर निगम का काम बाधित हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-23/पुलकित/13.07.2023

श्री राकेश कुमार रौशन (क्रमशः) : इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बी0पी0एस0सी0 में परीक्षा हो गयी है, रिजल्ट लंबित है, जल्द से जल्द कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति करके सभी नगर पंचायतों में कार्यपालक पदाधिकारी बनाया जाए । महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सफाई का काम चल रहा है वह बिहार में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से यह सफाई का काम चल रहा है । हमारे नेता वादा किये हैं जनता को दस लाख रोजगार देने का और ये जो सफाई कर्मी हैं ये गरीब परिवार से आते हैं । इनको जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां सरकार से ठेका ले रही हैं उस प्रति सफाई मजदूर को 13 से 14 हजार रूपये सरकार उसको पेमेंट कर रही है और 9 हजार रूपये पर आउटसोर्सिंग कम्पनियां सभी दैनिक मजदूरों को, सफाई मजदूरों को खटाती है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप यदि उन सफाई कर्मियों से ही काम लीजिए और उनको जिस तरह से मानदेय पर शिक्षकों की आपने नियुक्ति की है उसी तरह से सफाई कर्मियों की भी यदि मानदेय पर नियुक्ति कर दी जाए, उसी राशि में तो बड़े पैमाने पर गरीबों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी । कम से कम एक लाख लोगों को, बिहार में इस आधार पर रोजगार सृजन किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट और दे दीजिए ।

अध्यक्ष : पढ़ लीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उस पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । हमारे क्षेत्र में एक इस्लामपुर नगर परिषद् और एक इस्लामपुर नगर पंचायत है । हमारे यहां इस्लामपुर नगर परिषद् में स्टेशन से लेकर के बाजार तक जो सड़क गयी है उसकी स्थिति काफी खराब है, चलने फिरने की स्थिति भी नहीं है । गाड़ी चलना तो दूर है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का, कम से कम सड़क का निर्माण करा दिया जाए ।

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन : बरबीघा एक मोहल्ला है वहां एक रोड का निर्माण और एक सुभाष स्कूल में स्टेडियम के निर्माण का है और एकंगरसराय नगर पंचायत में सम्राट भवन नहीं बना है वहां सम्राट भवन का निर्माण कराया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, अंत में एक महत्वपूर्ण सुझाव था, अभी हमारे साथी सी0पी0आई0 के बोल रहे थे उन्होंने चर्चा की । पिछली जो सरकार थी उसमें जो नगर विकास मंत्री थे तारकिशोर बाबू उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र बंटवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि नगर परिषद् और नगर पंचायत का जो बजट बनेगा, उसमें जो योजनाएं ली जायेंगी उसमें 17 प्रतिशत योजनाओं में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर खर्च की जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस सरकार की नीति को आप भी लागू करें जिससे हमलोग भी विकास के कार्यक्रमों में सहयोगी बन सकें और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो चल रही है गांवों में उसको शहर के अंदर भी लागू किया जाए । मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा सुझाव, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जन-जन के नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं इस सदन का सदस्य बना हूँ और मैं श्रवण बाबू के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया । सबसे ज्यादा आभार के पात्र आप हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अभी बिहार में शिक्षकों को लेकर भाजपा के लोग बहुत ही उत्तेजित हैं । मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ अपने भाजपा के साथियों का कि उन्हीं के एक नेता ने कभी कहा था कि भगवान भी आयेंगे तो उन शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे । मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनको वेतनमान दिया है और आगे भी उनको देंगे । आजकल भाजपा के नेतागण घूमते-फिरते हैं कि नौ साल बेमिसाल । उनका बेमिसाल एक भी नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया पहले दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों को या जो लोग शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहते थे उनको शिक्षा दी जाती थी लेकिन ये केन्द्र सरकार ने और दूरदर्शिता पूर्ण नीति के तहत, तुगलकी फरमान के तहत उन्होंने कह दिया कि उन्हीं विश्वविद्यालयों में जहां पर ए-क्लास ग्रेड की मान्यता होगी उन्हीं को मान्यता दी जायेगी । जिसका नतीजा है कि आज बिहार ही नहीं देश के सभी जो सरकार पोषित विश्वविद्यालय हैं और जो ए-प्लस नहीं प्राप्त कर सके हैं वहां पर डिस्टेंस एजुकेशन की शिक्षा बंद हो चुकी है । उसमें कार्यरत जो शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं वे आज बिना नौकरी के हो चुके हैं, वे दर-दर ठोकर खाने के लिए बेहाल हैं और ये सिर्फ केन्द्र की जो दूरदर्शी नीति है उसका परिणाम है । मैं अब

नगर विकास विभाग की ओर आना चाहता हूँ। नगर विकास विभाग ने, आज मैं माननीय उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दरभंगा जिला के लिए, नाला के लिए अभी जो हाल में बारिश हुई थी महोदय, मैं दो दिन अपने घर से नहीं निकल पाया था लेकिन उन्होंने लगभग तीन सौ करोड़ रुपये आवंटित किया है इसके लिए मैं नगर विकास मंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ नगर विकास मंत्री को कि जैसे ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कों की जमीन नहीं है वहाँ पर अधिग्रहण करके योजना बनती है और वहाँ पर सड़क का अधिग्रहण करके निर्माण होता है।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

लेकिन नगर विकास के लिए नगर विकास क्षेत्र में ऐसी योजना नहीं है जिसके कारण मूलतः महादलित टोला जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि जहाँ पर शहरी क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में जहाँ पर सड़क नहीं, जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है, जमीन उपलब्ध नहीं है तो जमीन का अधिग्रहण करके जिस तरह से ग्रामीण कार्य विभाग करती है उसी तरह से यह करे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बेनीपुर और बहेड़ी। बेनीपुर में नगर परिषद् है और बहेड़ी हमारे विधान सभा में नगर पंचायत है। दोनों में आपने सम्राट अशोक भवन की योजना प्रारम्भ की है यह बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। आपने बहुत जगह इसका निर्माण भी किया है लेकिन यह संयोग है कि बेनीपुर विधान सभा में बेनीपुर और बहेड़ी दोनों में सम्राट अशोक भवन नहीं है। मेरा आग्रह है कि बेनीपुर और बहेड़ी दोनों जगह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि एक योजना बननी चाहिए कि जो नगर परिषद् नये बने हैं या नगर पंचायत बने हैं आप पुराने नगर निगम या नगरपालिका में आप पैसा देते हैं लेकिन इन जगहों पर जहाँ पर नया निर्माण किये हैं वहाँ पर अतिरिक्त राशि का आवंटन करें ताकि उसका समुचित ढंग से जो नया निर्माण हुआ है उसके पास राशि नहीं है। वहाँ नगर पंचायत भी नहीं रह गया और नगर परिषद् बन गया है और नगर पंचायत बन गया है इसलिए अतिरिक्त राशि राजकोष से उसे मिलनी चाहिए ताकि समुचित ढंग से वे अपना विकास कर सकें। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सवेरे-सवेरे यह कभी सपना भी नहीं देखा जा सकता था कि बिहार में और मैं अपने विधान सभा में देखता हूँ जिस तरह से कचरा उठाया जा रहा है। यह बहुत ही बेहतर व्यवस्था आपकी चल रही है जिसके कारण हमारे शहरों में भी सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गयी है। इसके लिए मैं अपने

माननीय उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं अंत में एक बात और आग्रह करना चाहता हूं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हमारे बहेड़ा पी0एच0सी0 में एक भी एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण डॉक्टर नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी बाढ़ के समय में, हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसमें अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो वहां असुविधा होगा इसलिए मेरा आग्रह है कि आप एक-दो एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की पदस्थापना कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। श्रवण बाबू को विशेष रूप से धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम।

श्री सत्यदेव राम : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास के विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला है। महोदय, मैं एक-दो सलाह के तौर पर, चूंकि बात तो हमको रखनी थी, भाषण देना था लेकिन भाषण सुनने वाले गायब हैं, इसलिए मेरा भी भाषण गायब है।

(क्रमशः)

टर्न-24/अभिनीत/13.07.2023

श्री सत्यदेव राम (क्रमशः) : महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि अभी बड़े पैमाने पर नगर पंचायत, नगर परिषद्, नगर निगम का गठन गांव को लेकर किया गया है। जिन गांवों में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा की योजनाएं, गरीब हितैषी योजनाएं चलती थीं आज नगर पंचायत में, नगर परिषद् में, नगर निगम में आने के बाद उन गरीबों को इन योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नगर पंचायतों में तो जरूरी है कि इन योजनाओं को लागू किया जाय नहीं तो गरीब-गुरबे लोग इन योजनाओं से वंचित हैं, यह हमारी एक मांग के तौर पर है। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम में सफाईकर्मी के रूप में आउट सोर्सिंग से जो मजदूर लिये जाते हैं उन मजदूरों का बड़ा शोषण होता है। सरकार के द्वारा उनको जो मजदूरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है लेकिन उन मजदूरों को नहीं मिलता है। हम समझते हैं कि इसके लिए कोई एक संपूर्ण नीती बनानी चाहिए और नहीं तो आउट सोर्सिंग के मजदूरों को खत्म करके स्थानीय मजदूरों को मान्यता देनी चाहिए। इसका ध्यान हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे।

महोदय, एक दीघा थाना है। कृपया उप मुख्यमंत्रीजी मेरी बात पर, चूंकि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं उप मुख्यमंत्रीजी ध्यान देंगे। दीघा थाना से ज्ञान निकेतन तक इसी

पटना में एक सड़क है जो लोगों को, एकदम बिल्कुल जर्जर हो गयी है और उधर जितने फ्लैट बने हैं उन लोगों का निकलना मुश्किल है, तो हम मांग करेंगे कि उसको तत्काल बनवा देना चाहिए । 20 हजार आबादी प्रभावित हो रही है जिनका घर से निकलना, बाजार आना-जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है । अब इसके बाद कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार जो प्रचार चला रही है कि हम पांच किलो राशन देते हैं । बहुत जोर से यह प्रचार चल रहा है । महोदय, मैं सदन में इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि इसकी थोड़ी सी छान-बीन हो जाय । यह सबको पता है कि यूपीए की सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून बना और प्रावधान आया कि दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल प्रति आदमी को पांच किलो अनाज दिया जायेगा, सस्ता अनाज दिया जायेगा । महोदय, कानून बन गया और उस कानून से गरीबों को अनाज मिल रहा था लेकिन आज प्रचार चल रहा है कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं । हमारा जो कानूनी अधिकार था कि एक आदमी को 18 रुपये में पांच किलो अनाज मिल जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया और फर्जी अनाज के नाम पर आप दे रहे हैं 18 रुपये । एक आदमी को तो दे रहे हैं 18 रुपये और पांच किलो अनाज का दाम मार्केट में पड़ जाता है 150 रुपये, कहां से आप अनाज दे रहे हैं ? यह फर्जी बयान है और सदन की तरफ से इसको स्पष्ट करके जाना चाहिए, अगर उनको देना है तो इसके अलावे, चूंकि यह गरीबों का कानूनी अधिकार है और यह केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार गरीबों के कानूनी अधिकार को छीन रही है, फर्जी बयानबाजी पर, हम इसको एक्स्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि अगर आपको देना है तो आप अलग से पांच किलो दीजिए और ये दो रुपये किलो, तीन रुपये किलो का चावल गरीबों को जो कानून है वह मिलते रहना चाहिए । हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इसका पूरा एक स्पष्टीकरण होना चाहिए और यह जाना चाहिए । महोदय, बहुत कष्ट के बाद यह बात कहनी पड़ रही है । हमलोग कथा और किस्सा में सुनते थे कि ये सिर पर पेशाब करता है, ये सिर पर पेशाब करता है लेकिन आज मध्य प्रदेश में सिद्धि जिला में एक आदिवासी युवक के सिर पर भाजपा के नेताओं के द्वारा पेशाब किया गया है । ये लोग सत्ता में जब आयेंगे तो दलितों और पिछड़ा आदिवासियों के सिर पर पेशाब करेंगे, इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस बात से भी गरीबों को सतर्क होना चाहिए । पूरे, जहां-जहां इनकी सत्ता है, यूपी में सत्ता है, मूँछ रखने पर दलितों को मारा जाता है । यूपी में इनके योगी का राज चल रहा है । घोड़ी पर चढ़ने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, मटका से पानी पीने पर उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है और ये लोग बात करते हैं हिन्दू की । ये लोग बात करते

हैं अच्छे सुशासन की, सब नकली है महोदय । इसलिए हमने कह दिया कि आज, हमारा भाषण खत्म हो गया, इसलिए नहीं तो आज अगर ये लोग होते तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ती और जवाब मांगते लेकिन अब हैं ही नहीं तो हम भी बोल नहीं पाते हैं । इसलिए इतनी ही बात कहकर और हमारी जो मांग रही है तीन, उन तीनों मांगों को पूरा करने, उसकी तरफ कार्रवाई करने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिजय सिंह ।

श्री बिजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में अनुदान मांग जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी द्वारा मांग की गयी है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो । खासकर नगर विकास की बात जब हम करते हैं, नगर के बिना, शहर के बिना बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 2005 में मुख्यमंत्री बने और आते ही उन्होंने 2006 में खासकर एकल पथ पर आरक्षण देने का जो काम किया है इसके बल पर पिछड़े, अति पिछड़े का बेटा, दलित-महादलित के लोग एकल पथ पर भी नगर निगमों में मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, पंचायतों में चाहे प्रमुख हो, चाहे जिला परिषद् अध्यक्ष हो बनने का काम किया है । खासकर महिलाओं के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने त्रि-स्तरीय पंचायत के साथ-साथ नगर निकायों में भी 50 परसेंट आरक्षण देने का काम किया है । पहले हमारी माताएं, बहनें जो महिलाएं होती थीं वे घर में खाना बनाने का काम किया करती थीं, बच्चे को पालने-पोसने के लिए कहा करती थीं लेकिन जब आरक्षण मिला 50 परसेंट तो उसके बल पर वह जनप्रतिनिधि बन रही हैं, वार्ड काउंसलर बन रही हैं, मेयर बन रही हैं, डिप्टी मेयर बन रही हैं, प्रमुख बन रही हैं और अपने हक-अधिकार के लिए अपने जिला में डी0एम0 से, एस0पी0 से, सी0ओ0 से, बी0डी0ओ0 से बात कर रही हैं । यह नीतीश कुमार जी के कारण सफल हो पाया है । खासकर अभी के दिनों में 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जो दोस्ती हुई और महागठबंधन के कारण जो यह चुनाव हुआ, चुनाव में भी जो हमारे विपक्ष के लोग थे, जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने भी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । वे आरक्षण किसी तरह समाप्त करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अति पिछड़े, पिछड़े को जो आरक्षण मिला हुआ है वह कैसे समाप्त हो । उन्होंने ट्रिपल टेस्ट की बात की, सरकार ने 2022 में ही ट्रिपल टेस्ट

कराकर चुनाव करवाया और अति पिछड़ा आयोग बनाया गया । ए0एन0 सिन्हा इंस्टीट्यूट से भी उसका सर्वेक्षण कराया गया लेकिन आज यह जो चुनाव हुआ और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसलर छः महीने से काम कर रहे हैं लेकिन वह अधर में लटका हुआ है । सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कोई डिजीजन आ जाये । हम आपसे कहना चाहते हैं, इस मंच से कहना चाहते हैं कि आरक्षण, जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा हैं कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है ।

हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन की सरकार को कि उन्होंने ससमय चुनाव करवाया । आने वाले चुनाव का जो भी रिजल्ट होगा सरकार अपना उचित फैसला लेगी । खासकर जब से नगर निकाय बना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय महागठबंधन के नेतृत्व में सात निश्चय पार्ट-1 में हर घर, हर गली, मुख्यमंत्री हर गली-नाली योजना का लाभ मिला । हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा जो प्राथमिकता के आधार पर वार्ड का क्रियान्वयन किया गया..।

..क्रमशः..

टर्न-25/हेमन्त/13.07.2023

श्री बिजय सिंह(क्रमशः) : और हर घर सभी जगह आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में नाला का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है । एक समय हुआ करता था कि हर घर बिजली कैसे आयेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सात निश्चय-1 में हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है । हर घर शौचालय- एक समय शौचालय का निर्माण होता नहीं था । हमारी माताएं-बहनें शाम होने का इंतजार करती थी कि किस समय शाम हो, हम शौच के लिए नाली में, गली में, झाड़ी के किनारे जायें, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर घर शौचालय देने का काम किया है । आज हमारी माताएं-बहनें किसी भी समय शौचालय जाने के लिए तैयार हैं और नगर निगम के क्षेत्रों में 12 हजार रूपया अनुदान राशि दी जा रही है । खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और डिप्टी सी0एम0 जबसे तेजस्वी यादव जी नगर विकास के मंत्री बने हैं, इनके द्वारा अभी जो सफाई की व्यवस्था की जा रही है, डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन का काम किया जा रहा है, कचरा लेने का काम किया जा रहा है । खासकर अभी बरसात के दिनों में पूरे बिहार में नगर निगमों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की जो व्यवस्था की गयी है, बरसात के दिनों में शहरी क्षेत्रों में जो

जल-जमाव होता था उससे आने वाले समय में निजात मिलेगी । लेकिन हम सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं माननीय उपमुख्यमंत्री साहब को कि आपने अभी चुनाव करवाया मेयर और डिप्टी मेयर का और मेयर ने भी पूरे क्षेत्र में जाकर वोट मांगी और डिप्टी मेयर ने भी वोट मांगी । लेकिन मेयर को तो अधिकार है, डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं है । अधिनियम 2007 में डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं दिया गया है । इसलिए हम सदन के माध्यम से भी यह चाहते हैं कि डिप्टी मेयर का भी अधिकार उसको मिले, चूंकि उसने भी अपने वाडों में जाकर वोट मांगी है । इसलिए हम चाहते हैं कि उसको अधिकार मिले । दूसरी बात हम अपने मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और हमारे नगर आयुक्त, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं । म्यूनिसिपल कमिश्नर वहां पर सफारी गाड़ी से आते हैं, लेकिन लॉ में यह पावर नहीं दी गयी है कि मेयर को गाड़ी मिले, मेयर को तेल मिले, डिप्टी मेयर को गाड़ी मिले, डिप्टी मेयर को तेल मिले । यह सब अधिनियम में नहीं दिया गया है । इसलिए हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर को गाड़ी मिले, उसके तेल की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा हो । चेरमैन को मिले और डिप्टी चेरमैन को भी मिले । नगर निगम की बात करते हैं, तो पूरे बिहार में नगर निगम का काम है टैक्सेशन, सैनिटेशन और टैक्सेशन । सैनिटेशन को भी आउटसोर्सिंग कर दिया गया और टैक्सेशन को भी आउटसोर्सिंग कर दिया गया । दोनों मूलभूत सुविधाओं को आउटसोर्सिंग कर दिया गया, तो मेयर और डिप्टी मेयर करेंगे क्या ? सिर्फ ऑफिस में बैठकर चाय पीने का काम कर रहे हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि नगर निगम का जो टैक्स का काम है, वह नगर निगम स्वतः देखे । खासकर कटिहार में टैक्स के नाम पर जो आउटसोर्सिंग किया गया है उससे लोग त्राहिमाम हैं । इसलिए हम माननीय तेजस्वी जी से चाहते हैं कि कटिहार की एक बार रिव्यू बैठक करें, वहां पर जो टैक्स वसूला जा रहा है, किस आधार पर टैक्स वसूला जा रहा है । इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहां दो नगर पंचायत, एक बरारी नगर पंचायत, एक कुरसला नगर पंचायत सृजित हुई हैं । हम चाहते हैं कि वह जो नयी नगर पंचायत बनी है, उस पंचायत में अधिक-से-अधिक फंड मिले, चूंकि पूर्व में वह नगर पंचायत में था । हमारे एक माननीय ने कहा कि उसमें पहले

इंदिरा आवास, शौचालय और अन्य लाभ मिलते थे, लेकिन नगरीय क्षेत्र में आने से उस लाभ से वंचित होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नगर निकाय के नवसृजित नगर पंचायत बने हैं, पूरे बिहार में उनको अधिक-से-अधिक बजट मिले ताकि वह अपने शहर को बना सकें। मुझे बोलने का अवसर दिया गया इसके लिए मैं सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ और माननीय नीतीश कुमार जी को और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके बल पर मैं यहां जीतकर आया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी।

श्री सतीश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के पूरक मांग के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के सचेतक और अपने नेता तेजस्वी यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग की जैसे ही चर्चा होती है, तो बिहार ने एक तस्वीर को देखा है जिस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई कि रात के दो बजे नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान में जाते हैं और जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग होते हैं उनके लिए स्थायी रैन बसेरा का निर्माण करते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, वह चैन से सो सकें इसके लिए रिक्शा को भी सुरक्षित स्टैंड, ताला लॉक करने की व्यवस्था करते हैं। यह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि एक जननेता ऐसा होता है, जो जनता की बात सोचता है, जो गरीबों की बात सोचता है। महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग पर अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव जी जब नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बने, तो इन्होंने जो मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमेन और वॉइस चेयरमेन का पहले चुनाव होता था उसमें किस तरीके का दृश्य होता था कि जो सदस्य चुने जाते थे उनको लेकर कोई देहरादून, तो कोई पूना, तो कोई कश्मीर में जाकर डेरा डाले रहते थे, लेकिन उनका डायरेक्ट वोट से चुनाव कराकर एक लोकतांत्रिक परंपरा को इन्होंने स्थापित किया। महोदय, इसके लिए हम इनको दिल से धन्यवाद देते हैं। महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग की गाड़ी जब सुबह-सुबह कचरा उठाने के लिए आती है कि “कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल” तो सब लोग अपना कचरा लेकर अपने दरवाजे पर खड़े होते हैं। ऐसी ही नगरीय व्यवस्था की

हम सब लोगों ने कल्पना की थी, जो आज हरेक घर से उनके दरवाजे से कचरा उठाकर लेकर जाने का काम होता है जिससे शहर की तस्वीरें पहले से बदली हैं । लेकिन महोदय, इसमें भी हम माननीय मंत्री महोदय से मांग करेंगे कि आज भी जो खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियां हैं उनकी तस्वीरें बहुत नहीं बदली हैं और लोगों की तस्वीरें बदली हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं बदली हैं । आज भी नालियां ढक्कनयुक्त नहीं हुई हैं, आज भी उन तक पहुंच पथ नहीं पहुंचा है, उन तक कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं जाती हैं । इसको हमको दुरुस्त करना होगा, तभी हम आम लोगों के लिए और सहज हो पायेंगे, हमारी सरकार के प्रति आम लोगों का विश्वास हमारे ऊपर और बन पायेगा ।

महोदय, बरसात से पहले नगर विकास एवं आवास मंत्री उन जल-जमाव वाले इलाकों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर कभी भाजपा के नेता हाफ पैंट पहनकर भागा करते थे । महोदय, यह हमारी सरकार की दूरदर्शिता है कि उन इलाकों में फिर से ऐसी नौबत न आये उसकी तैयारी हमारा नगर विकास एवं आवास विभाग पहले से कर रहा है । यह हमारे नेता की दूरदर्शिता है और जो पंप हाउस हैं, वह चालू अवस्था में रहें, पंप हाउस रेडी रहें । अगर एक्स्ट्रा पंप की जरूरत पड़े, तो उसको वहां पर लगायें, वैसी नौबत न लायें कि जो बिहार से एक मार्गदर्शक मंडल में नेता भेजे गये हैं, जो ऐसे ही हाफ पैंट पहनकर, फैमिली की चिंता करके और पुल बनाकर खड़ा रहना पड़े । ऐसा दृश्य बिहार में न दिखे इसकी तैयारी की जा रही है ।

महोदय, अभी भाजपा के लीडर शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे नेताओं ने 2020 शिक्षा नीति की बात की । महोदय, हम एक लाइन में शिक्षा नीति को डिफाइन करते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई है उसको हम यही कहते हैं कि-

“नयी है शिक्षा नीति और नया बना कानून

और पढ़ने वाले तीन पढ़ेंगे जाकर देहरादून कि बाकी भैंस चरायेगा ।”

महोदय, यही शिक्षा नीति है इनकी कि इनके जो मित्र हैं, उन्हीं के बच्चे सिर्फ पढ़ पायेंगे, हायर एजुकेशन में जा पायेंगे बाकि के बच्चे नहीं जा पायेंगे । यही शिक्षा नीति है, तो भाजपा को शिक्षा पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है और जब शिक्षा पर बात करने

का अधिकार नहीं है, तो शिक्षकों पर भी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षकों की क्या हालत इन्होंने बनायी है और हमारे नेता से सुबह इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर चार्जशीट हो गयी है। महोदय, चार्जशीट 2017 में भी इन पर हुई थी, लेकिन छः साल तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर से जब सरकारें बदलीं और भाजपा सत्ता से बेदखल हुई, तो फिर नये तरीके से सप्लीमेंट्री एफ0आई0आर0 लाकर चार्जशीट ये लाये। महोदय, लेकिन देश ने देखा है कि 6-6 गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां जिसमें एक 16 साल की भी बेटि है, उन्होंने उनके भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाया। उस आरोप पर कोई एफ0आई0आर0 नहीं हुई, तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब एफ0आई0आर0 दर्ज हुई जिसमें पॉस्को एक्ट लगाये गये, उसके बावजूद भी वह दो महीने तक प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उन बेटियों की बात नहीं सुनी गयी। महोदय, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण ठाकुर पर तमाम धाराएं स्टैंड करती हैं जिसमें 354 है, 354 ए है, 354 बी है जिसमें महिलाओं के शीलभंग करने का आरोप है महोदय, जिसमें महिलाओं का पीछा करने का आरोप है, महिलाओं को गलत जगह पर छूने का आरोप है। यह तमाम आरोप हैं, उन पर चार्जशीट दायर हो गयी है, लेकिन भाजपा के लोग उनसे इस्तीफा नहीं मांगेंगे।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

भाजपा के लोग इतने बेशर्म हो गये हैं कि देश की बेटियों की शीलभंग करने वाले का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन जो 11 साल और 12 साल का नौजवान जब लालू यादव जी रेलमंत्री थे और तेजस्वी यादव जी की उम्र 11-12 साल थी उस समय लैंड फॉर जॉब में यह घोटाला कर रहे थे।

(क्रमशः)

टर्न-26/धिरेन्द्र/13.07.2023

...क्रमशः...

श्री सतीश कुमार : ये देश के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं । इसी तरीके से कल-परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में किस तरीके से ई०डी० के निदेशक को तीन-तीन बार एक्सटेंशन दिया गया, यह गैर-संवैधानिक है । ऐसा शब्द इस सरकार के लिए कहा गया और गैर-संवैधानिक संस्थानों के द्वारा, इसका मतलब गैर-संवैधानिक हैं तो उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी गैर-संवैधानिक है और उस व्यक्ति के सहारे किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का पूरा प्रयास देश में चल रहा है, डराने का काम चल रहा है, ये सब लोगों ने देखा । किस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ में, अब तो प्रचारित होने लगा कि जो विपक्ष में हैं वे भ्रष्टाचारी हैं और जो भाजपा के यहाँ चले गये, वे सदाचारी हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, स्थान ग्रहण करें । सरकार का उत्तर भी होना है ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, एक मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर देंगे । नगर विकास एवं आवास विभाग अपने नगरीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निरंतर काम कर रहा है और इसी के तहत हम मखदुमपुर नगर पंचायत, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ वार्ड सरैया है जहाँ बरसात के दिनों में वह पूरा इलाका डूब जाता है क्योंकि नदी का पानी ऊपर आ जाता है और पूरा इलाका डूब जाता है, वहाँ पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उसी तरीके से हमारा सती स्थान से लेकर पलेया तक दलित और पिछड़ों की पूरी घनी आबादी है लेकिन बीच में कच्चा नाला रहने की वजह से लोग को आने-जाने और आवासन करने में तकलीफ होती है तो हम सदन के माध्यम से चाहते हैं कि मखदुमपुर की सूरत को बदले बगैर बिहार की सूरत को नहीं बदल सकते हैं ।

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री सतीश कुमार : इसलिए मखदुमपुर की भी सूरत बदलें । इन्हीं बातों के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रथम अनुपूरक पर चर्चा हुई और जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं । उनके महत्वपूर्ण सुझाव को हमलोगों ने सुना, हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने सुना है, नोट किया है और जो बेहतर कदम हो सकता है उस पर जरूर हमारी सरकार, हमारे विभाग के लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, विभाग जो है कई काम और हासिल, कई मुकामों को इस विभाग ने पाया है और कई बहुत सारी मुकामें हैं और काम है जोकि बाकी है। हम सब लोग महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, हमारा राज्य विकसित हो, इस दिशा में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, हमलोग सब को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, चाहे बैंक बेंचर ऑफ द सोसायटी हो, अंतिम पायदान पर खड़ा समाज हो, परिवार हो, सब को मुख्य धारा में लाया जाय और सब के साथ न्याय हो और सब को अधिकार मिले, ये हमारी सरकार की सोच है और इस दिशा में हमलोग काम कर रहे हैं । पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमलोग देने का काम कर रहे हैं और इस दिशा में नगर विकास में बहुत सारी योजनाएँ हैं- पेयजल निश्चय योजना, इसके तहत बहुत काम हो रहा है । नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना, जल-जीवन-हरियाली मिशन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सात निश्चय-2 योजना, नागरिक सुविधा, पट्टा रेल परियोजना, अभी कई लोग स्लम में जो लोग रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी आ रही है, सर्वे हुआ है। इसमें लगभग 48 हजार जो लोग हैं उनके लिए भी मकान की व्यवस्था कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है । हमलोगों को तो सब को देखना है, सब के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है लेकिन जितना सहयोग हमलोगों को केन्द्र से मिलनी चाहिए, वह नहीं

मिल पाती है । केन्द्र सरकार स्कीमों का नाम बदल देती है लेकिन राज्य सरकारों पर भार ज्यादा बढ़ जाता है । कई बार कई स्कीमों का नाम बदला गया, जगह का नाम बदला गया लेकिन फायदा देश के लोगों को, देश को नहीं होता है और केन्द्र में जो लोग सत्ता में हैं, शासन में हैं, पता नहीं क्यों बिहार से इतना नफरत करते हैं, बिहारियों से इतना नफरत करते हैं, क्यों सौतेला व्यवहार बिहार के प्रति किया जा रहा है । यहाँ सभी मंत्री जी लोग बैठे हैं, कोई-न-कोई डिपार्टमेंट में हैं, पूछ लीजिये कि किस प्रकार से केन्द्र की सरकार लोगों को तंग कर रही है बल्कि मेरा मानना है अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल जाता तो बिहार देश के पाँच टॉप प्रदेशों में आ जाता । यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है, हर तरह की समस्या आती है । अभी हम कुछ दिन बाहर गये हुए थे तो हमने विभाग की पहली समीक्षा की, यहाँ सारे अधिकारी बैठे हैं, विभाग के ए०सी०एस० बैठे हैं । हमने कहा पटना में अगर बारिश हो तो जल-जमाव या पूरे बिहार में कोई ऐसा शहर नहीं रहे जहाँ जल-जमाव की स्थिति हो । विभाग ने सारे नालों को साफ करवाया, जितने पम्प-सम्प थे, सब का जाँच कराया गया, सारी चीजें ठीक हैं और हम हेल्थ मिनिस्ट्री में तो जाकर छापा मारते हैं, अधिकारी भी मारते हैं । हमने नगर विकास एवं आवास विभाग में भी यह सलाह दिया कि यहाँ के जितने अधिकारी हैं कभी रात में चले जाइये और देखिये कि पम्प और सम्प काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो सच्चाई है वह पता चलेगी । बारिश हुई लेकिन उस हिसाब से बारिश नहीं हुई लेकिन जितनी भी बारिश हुई पूरे बिहार में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जो स्थिति हमलोगों ने दिल्ली या गुजरात या अन्य विकसित राज्यों में अपने आँखों से देखने का काम किया तो हमलोग हरेक परिस्थिति को लेकर अलर्ट हैं और बिहार के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधा हो, थोड़ा और चीजों को ऑर्गनाइज करने की जरूरत है, वे सारी चीजें, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की जरूरत हो, वे सारी चीजें चल रही हैं । साफ-सफाई के मामले में भी पटना का रैंक अन्य शहरों के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है । अब तो हाउस पिकिंग होती है और सारी चीजें हैं । इसका अपना अलग से भी नगर निकाय की अपनी बॉडी है, उनका अपना भी काम करने का ऑर्गनाइजेशन है, काम लोग करते हैं । महोदय, सभी लोगों की बात को हमलोग सुन रहे

थे । आज विपक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं, जानबूझकर नहीं हैं या सच में यहाँ आना नहीं चाहते थे, यह क्या बात है हम तो नहीं बता पायेंगे लेकिन उन लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हंगामा क्रिएट करना, जनता के सवाल को न उठाना, अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं और उनका एजेंडा क्या है महोदय, केवल और केवल अफवाह फैलाना, रूमर फैलाना, कुछ दिनों के लिए हम बाहर चले गए 10 दिनों के लिए और कुछ बी०जे०पी० मानसिकता के जो गोदी मीडिया हैं और कुछ इनके छिटपूटिया नेता हैं, इस प्रकार से रूमर फैलाया गया, लगा कि अब सरकार गई । बताइये, 24 को हम दिल्ली गये, महोदय, 23 को विपक्षी दलों की ऐतिहासिक बैठक हुई, कितनी बड़ी बैठक थी, हमारा तो ठीक है, हमलोग तो देश को भी लालू जी और नीतीश जी ठीक कर दिये । ये तो बिहार ने कदम उठाया है, देश के लोगों को भी जोड़ने लगे और इतने खुशी-खुशी हम बाहर गये और यहाँ आये तो न्यूज देखें कि फलना टूटेगी, जदयू टूटेगा, काँग्रेस टूटेगा, भाजपा की सरकार आयेगी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं, इतना बेचैनी, इतना डर और हो सकता है कि कुछ लोग चिंतित हों लेकिन ये खबर सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें पता था कि ये अफवाह फैलायेंगे, इसलिए अफवाह फैलायेंगे क्योंकि ये 24 से डरे हुए हैं और बिहार से डरे हुए हैं, लालू जी और नीतीश जी से डरे हुए हैं, इसलिए हमें खुशी हुई । ये डर का, आप कह सकते हैं कि लक्षण दिखा । कितना भारी डर इन लोगों के मन में है और बताइये हम पर तो कोई पहला चार्जशीट नहीं है, न अंतिम चार्जशीट है, हम बता दे रहे हैं कि अंतिम भी नहीं है, खैर इस पर ज्यादा टीका-टिप्पणी हमको नहीं करना है, हमको पता है कि हम क्या हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-27/संगीता/13.07.2023

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : मेरा प्रतिशोध और प्रतिकार किसी से नहीं बल्कि स्वयं से है इसलिए मैं यहां हूँ और हमको ये भाजपा वाले लोग साम्प्रदायिक शक्तियां जो जहर फैलाने का काम करते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेज की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने वाले लोग ये अंग्रेजों के चमचों को हमको अपने आपको साबित करने की जरूरत नहीं है । इनसे कौन

डरेगा भाई, इनसे कोई डरता है । सबसे बड़ा डरपोक लोग तो यही लोग है । अभी बैठक शुरू नहीं हुई कि क्या-क्या अफवाह फैलाने लगे, कितना बार बिहार दौरा करने लग गए इनके नेता, ये भी दौरा कर रहे हैं इनका सामान भी आ रहा है 24 के लिए, इनका सामान सबको पता है ज्यादा खुलकर बोलने की जरूरत क्या है, होशियार को ईशारा ही काफी है । हमलोग सबलोग समझते हैं तो महोदय, हमलोगों का जो गोल है देश की एकता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की भाईचारा, देश में मुद्दे की बात हो न कि मोदी की बात हो इस पर हमलोग काम कर रहे हैं और आज यहां ये लोग नहीं हैं, आप बताइए क्यों नहीं हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पर वहां कितने साल बाद ये लोग रोड पर गए होंगे, हमही लोगों के एजेंडे पर लेकिन इन लोगों से पूछो कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन देने का काम किया है सरकारी नौकरी में, ये बिहार है इसके अलावा और कौन सा राज्य है और हम सदन को निश्चित करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि ये महागठबंधन सरकार समय पर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देगी और रोजगार भी 10 लाख देगी, इसकी चिंता हमलोगों को नहीं करनी है उस दिशा में काम कर रहे हैं । इसके बाद और भी, अभी तो 3 लाख से ज्यादा निकला है इसके बाद और लाखों में पब्लिक हेल्थ कार्ड हमलोग स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं उसमें लाखों में नौकरियां निकलेंगी तो ये सारी चीजें हैं हमलोग काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इतने साल सत्ता में ये लोग रहे । आज कितना साल हो गया किसी को याद है बिहार में भाजपा के लोग सड़क पर कब आंदोलन किए होंगे, कब उतरे होंगे, केवल बकौती करते हैं ये लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने लेकिन जहां नौकरी दी जा रही है वहीं आंदोलन कर रहे हैं इनको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है, सबसे ज्यादा डीजल-पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं कि नहीं, टमाटर हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो उस समय महंगाई डायन लगती थी अब तो महबूबा और भौजाई लगती है । अजीब बात है महोदय, बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है कि नहीं इस देश में । सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर चीज प्राइवेटाइज कर

दिया जा रहा है महोदय । लोगों को रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छिना जा रहा है नौकरी भी छिनी जा रही है ये है इनकी असलियत और हम लोगों को क्या-क्या बोलते हैं भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट । अभी ये लोग आए नहीं हैं नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते, फिर भी लाए हैं तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं ये परिवारवाद की बात करते हैं, महोदय इन लोगों को पता नहीं कि हमलोग जो हैं समाजवादी लोग हैं और माननीय नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हमलोग काम कर रहे हैं, हमलोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए गए रास्ते पर जे0पी0जी0 के दिखाए गए रास्ते पर काम कर रहे हैं । हमलोग अनुयायी लोग हैं और ये लोग क्या नारा देते हैं परिवारवाद का, तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए,

“न दबाओ पांव से घास के तिनकों को अदना समझकर

उड़ कर पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है ।”

महोदय, ये लोग कुछ न कुछ तो कहते ही रहते हैं लेकिन एक बार हम विमान से सफर कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे तो एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हमको बोले कि तेजस्वी बाबू राजा का माथा और टेलीप्राम्प्टर बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, कान जो है हाथी जैसा होना चाहिए और मुंह जो है चूहे जैसा होना चाहिए लेकिन वे अपना प्रकट कर रहे थे तो कह रहे थे हमारे यहां ऐसा नहीं है राजा का खाली टेलीप्राम्प्टर ही बड़ा है और कुछ नहीं है, कान हाथी जैसा नहीं है, मुंह चूहा जैसा नहीं है दिल बड़ा नहीं है । खैर जो भी बात हो, अभी ये लोग परिवारवाद की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री खुद इल्जाम लगा रहे थे जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे । हम ज्यादा कुछ नहीं जो फैक्ट है जो रिकॉर्ड है वह समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में ही कितना परिवारवाद है । जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय । दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव राव सिंधिया के बेटे हैं महोदय कैबिनेट मंत्री, किरेन

रिजिजू पूर्व विधायक प्रोटेम स्पीकर रिनचिन खारू के बेटे हैं वे भी कैबिनेट मंत्री हैं महोदय, एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल हैं वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं, एक और कैबिनेट मंत्री धमेंद्र प्रधान मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय, एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह खुद भी विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्री के पति भी विधायक हैं महोदय । मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, भारती प्रवीण पवार पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी हैं, कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे वे विधायक हैं महोदय, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं, मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे विधायक हैं, सांसद रवि शंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं, डिप्टी सी०एम० देवेन्द्र फडणवीस के पिता गंगाधरराव फडणवीस पूर्व एम०एल०सी० रहे हैं महोदय, सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्रीय मंत्री सी०पी० ठाकुर जी महोदय, सांसद अशोक यादव उनके पिता हुकुम देव नारायण यादव, सांसद संजय जायसवाल उनके पिता मदन जायसवाल, नंबर-18 नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, नंबर-19 सांसद पंकजा मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय, रिता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं महोदय, जितेन्द्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री हैं महोदय, आपके सांसद राजवीर सिंह उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटा भी मंत्री हैं महोदय, आपके सांसद प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे सांसद हैं महोदय, सांसद पूनम महाजन प्रमोद महाजन जी की बेटी हैं महोदय, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद हैं महोदय बीजेपी से, अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे, बी० वाई० राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बी० एस० येदियुरप्पा के बेटे, जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे, लेट जिवाजीराव की बेटी वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं महोदय, सांसद दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के बेटे, महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल जो हैं वे सांसद हैं महोदय तो इस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद है ।

(क्रमशः)

टर्न-28/सुरज/13.07.2023

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन हैं बता दीजिये, श्रेयषी सिंह कौन हैं बता दीजिये, नीरज सिंह कौन हैं बता दीजिये उनकी वाइफ क्या हैं वह भी बता दीजिये, नीतीश मिश्रा जी क्या हैं वह भी बता दीजिये । वैसे तो चारा घोटाला, चारा घोटाला करते थे लेकिन वे भी आरोपी रहें, उनके बेटे को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं । महोदय, राणा रणधीर जी, स्वर्णा सिंह पुत्र वधु श्री सुनील सिंह, एक्स एम0एल0सी0 । इनके प्रतिपक्ष के जो नेता हैं विधान परिषद् में वे किसके बेटे हैं ? जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं । महोदय, इन लोगों को परिवारवाद नजर नहीं आता । लेकिन आप देखियेगा कि बी0जे0पी0 जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉउंड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वाशिंग और डाई का काम करती है । ये देश में एक तरह से लॉउंड्री का काम कर रहे हैं । द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल इन सेंस ऑफ कॉम्युनल पीपल । मतलब एक तरह से आप समझिये कि बी0जे0पी0 में चले जाइये तो जो भ्रष्ट है उसके भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है । जो क्रिमिनल है उसके क्राइम का सफाई कर देता है फिर वह क्रिमिनल नहीं रहता है और जो कॉम्युनल है जो साम्प्रदायिकता फैलाता है उसको भी मुक्त कर देता है । बी0जे0पी0 का यानी जो लॉउंड्री की कंपनी है वह केवल सफाई करता है । महोदय, हमसे इस्तीफा की मांग तो ये लोग कर ही रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अभी अजीत पवार जी कौन थे, छगन भुजबल कौन थे और प्रफुल पटेल कौन थे । कितनी बार आये और गये, केस खत्म हो गया, बंद हो गया, खुल गया । इधर आये तो केस बंद हो जाता है, उधर चले जाते हैं तो केस खुल जाता है । अब उधर चले गये हैं तो डिप्टी सी0एम0 बना दिया गया, उनको माला पहनाकर के स्वागत किया जा रहा है और हम पर आरोप लगा रहे हैं बताइये कब का आरोप है ? खैर इस पर हमको क्या बताना । देश की जनता ने देखा है वर्ष 2017 में चार्जशीट हुआ था । वर्ष 2020 का चुनाव हम अकेले लड़े, महागठबंधन के साथियों के साथ लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया । सबसे ज्यादा ताकत हमको देने का काम किया । जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो हमको किस बात की चिंता।

जनता की अदालत से कोई और अदालत बड़ा नहीं होता है । इनके करप्शन की बात की जाय तो पूछिये इनसे येदयुरप्पा कौन हैं, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेल्लारी कौन हैं, हिमंत बिस्वा सरमा कौन हैं जैसे लेते हुये पकड़े गये । शिवराज सिंह चौहान के व्यापक घोटाला का क्या हुआ, मुकुल रॉय कौन थे टी0एम0सी0 वाले फिर आये थे फिर चले गये, फिर आये फिर चले गये देखे कि नहीं आपलोग । नारायण राणे कौन थे उनके बेटे कौन हैं, सुवेंदु अधिकारी कौन हैं, छगन भुजबल, अजित पवार, पेमा खांडू, भावना गवली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरमेय, लेट जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, वाई0एस0 चौधरी, सी0एम0 रमेश, अर्जुन सिंह, हसन मुशरीफ, अजय चौटाला जब उनके साथ एलायंस मिला लिये तो जेल से बाहर निकल गये । किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है । किस हिसाब से देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आजकल मीडिया के माध्यम से ये किसी को भी ईमानदार बना देते हैं और किसी को भी भ्रष्टाचारी बना देते हैं । तो उनको हम कहना चाहते हैं :

“बहुत आसान है यू हीं इल्जाम लगा देना
मुद्दतें लग जाती है कुछ साबित करने में ।”

इनका केवल टी0आर0पी0 का ड्रामा है, केवल न्यूज मेकिंग है होना कुछ नहीं है । कुछ दिन पहले मेरा मॉल बता रहे थे, अब मॉल गायब हो गया । वर्ष 2017 में 9 हजार करोड़ बता रहे थे, अब वर्ष 2023 में 7 सौ करोड़ बता रहे हैं । अलग-अलग एजेंसियों का अलग-अलग हिसाब है, पता ही नहीं चल पाता है । तो खैर इस पर हमको चर्चा नहीं करना है । देश की जनता में यह बात स्पष्ट आ चुका है कि ये लोग क्या-क्या करते हैं । बी0जे0पी0 के जो नेता लोग हैं, जो लोग झगड़ा रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान और मूलभूत जरूरतों की विचारधारा है, उस पर कोई झगड़ा नहीं होता है लेकिन बी0जी0पी0 के तानाशाह जो लोग नेता हैं उनलोगों की विचारधारा वाली जो पार्टी है या विचारधारा वाले लोग हैं उनसे बहुत नफरत है :

“जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे
जिंदा है अभी मूलक में सच बोलने वाले ।”

महोदय, हमलोग इनकी गीदड़ भभकी से, इनके तोतों से डरने वाले नहीं हैं । देश की एकता, देश का भाईचारा, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, अगर खड़ा रहेगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में हम सब समाजवादी कम्युनिस्ट लोग एक साथ होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे । तो इनसे हमलोग एकदम नहीं डरते हैं, डरे तो वे लोग हैं जो भागे हुये लोग हैं, अभी छितराये हुये लोग हैं । आयेंगे केवल हंगामा करना है, बात को सुनना नहीं है । बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना । बिहार के विकास के लिये कुछ सोचना नहीं है । सारी चीजें राज्य सरकार अपने बलबूते कर रही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी सहयोग केन्द्र सरकार का हमलोगों को नहीं मिल पाता है । महोदय ज्यादा कुछ हम न कहते हुये एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है...

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक मिनट रूक जाइये । माननीय सदस्यगण, आज के लिये निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है । शुरू किया जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे थे कि जैसे एक अच्छे लकड़ी को बनने में 60 साल, 70 साल का जब पेड़ हो जाता है तब अच्छी लकड़ी मिलती है । लेकिन अगर उसी लकड़ी में दीमक लग जाये 7-8 सालों में उसे खोखला कर देता है । उसी हिसाब से जो हमारे देश की समृद्ध विरासत है, जो हमारे देश का इतिहास है, उसको यही भाजपा के लोग खोखला करने में लगे हैं, इतिहास को बदलने में लगे हुये हैं । 8 साल में, 9 साल में क्या हुआ इनसे जरा पूछिये 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ तो कोई जवाब नहीं । इनसे पूछिये मेक इन इंडिया का क्या हुआ तो कोई जवाब नहीं । स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी छोड़िये क्योटा का हुआ कम से कम बनारस को ही क्योटा बना देते । तो वो भी नहीं बोल रहे लेकिन यहां आ करके उल्टा-सीधा आरोप लगाना परिवारवाद, ये वाद, वो वाद । अपना हिसाब दीजिये भाई । ये लोकसभा का चुनाव है । महोदय, कार्रवाई पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि केवल विपक्षी नेताओं के साथ हो रहा है, केवल उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है और विपक्षी दलों के जो बागी हैं वही भ्रष्टाचारी हैं और वही भ्रष्टाचारी जो हैं, वही बागी हैं । लेकिन

एक बात बताइये इनका ठिकाना और इनके जो नेता हैं कौन हैं ? जितने बागी जो भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी ही बागी हैं, इनका कहां ठिकाना है । सब लोग जानते हैं कि भाजपा में ही ठिकाना है और महाभारत में जो भीष्म पितामह थे वे कौन हैं इनके ? इनके भीष्म पितामह भी एक ही हैं जो सबलोग जानते हैं । तो इसलिये हम सब लोग जान गये कि देश को किस हिसाब से बर्बाद किया जा रहा है । इतिहास को खत्म किया जा रहा है । देश की संस्कृति को खत्म किया जाता है । हमारे देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है जो डाइवर्सिटी है इस देश की, इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं । तो इसलिये हम सबलोगों का फर्ज बनता है कि एक साथ होकर लड़ाई लड़ने का काम करें । विकास केवल रोड बनाने से, पुल बनाने से नहीं होता । समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो समाज है, गरीब है उसको मुख्यधारा में लाना भी विकास होता है । समाज में अमन-चैन कायम करना भी सबलोग प्यार से रहें, प्रेम से रहें यह भी विकास है । इसलिये अगर पीस नहीं होगा तो प्रोस्पेरिटी नहीं होगी इसलिये पीस देश में अमन-चैन । लेकिन कितना ये लोग नफरत पैदा करते हैं, कितना समाज में जहर खोलने का काम करते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-29/राहुल/13.07.2023

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः): महोदय, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था :

कुछ नहीं होता किसी की भूल का मेरी कि तेरी हो,

ये कमल के फूल केवल भूल हैं ।

महोदय, देश की जनता समझ रही है कि ये लोग केवल जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं इसलिए सब लोग सजग हैं । अब इनको 2024 में आना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है । ये लोग आने वाले नहीं हैं, ये लोग कितना भी कुछ भी कर लें अब हम सब लोग सजग हो गये हैं एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी । महोदय, नगर विकास पर जैसे सैदपुर नाला है जो साढ़े पांच किलोमीटर लंबा नाला है । पटना की सर्वाधिक जल निकासी इसी नाले से होती है, नाले का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, नाला निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । मंदिरी नाले का भी निर्माण

कार्य पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 90 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है जिसके लिए निविदा आमंत्रित कर ली गयी है और कार्य को एक वर्ष के अंदर पूर्ण कराने का प्रावधान है । बाकरगंज नाले का निर्माण बुडको द्वारा कराया जा रहा है । बाकरगंज नाले को डॉक्टर वेंडिंग जोन डेवलप किया जायेगा जिसमें लगभग 27 करोड़ रुपये की लागत लगेगी, योजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जायेगा । निविदा निष्पादन की कार्रवाई बुडको द्वारा की जा रही है । आनन्दपुरी नाला अटल पथ बन जाने से ए0एन0 कॉलेज के पास अवरूद्ध हो गया जिसका इंजीनियरिंग समाधान निकालने के लिए वर्ष ऋतु के उपरांत आई0आई0टी0, दिल्ली के मार्गदर्शन में तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा । महोदय, इस हिसाब से सारी जितनी योजनाएं हैं जैसे पेयजल निश्चय योजना । इसके अंतर्गत अब तक 18 लाख 8 हजार 370 घरों में नल-जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है । इसके अंतर्गत राज्य के 121 नगर निकायों में योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं तथा 20 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है । ऐसे ही नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना में जिसके तहत मुख्यमंत्री शहरी नली-गली पक्कीकरण योजना लागू है । इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3358 वार्डों में से 3369 वार्डों में अब तक कुल 22866 योजना पूर्ण हो चुकी हैं जिससे लगभग 8 लाख 40 हजार घरों को इसका लाभ पहुंचा है । स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना । इस योजनांतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत 8 नगर निकायों में पूर्ण रूप से यह योजना कार्यान्वित है । पटना शहर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु लगभग 957.51 करोड़ रुपये एवं दरभंगा शहर में समस्या के समाधान हेतु लगभग 245.20 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है । अन्य नगर निगमों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है । इसी हिसाब से अलग-अलग योजनाएं हैं, जल-जीवन-हरियाली योजना है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना, सात निश्चय-2 है, नागरिक सुविधा पटना रेल मेट्रो तो अलग-अलग योजना इस विभाग में चल रही हैं महोदय । अब ज्यादा समय न लेकर के हम लोग चाहेंगे कि जो मांग हमने रखी है इसको पारित करें लेकिन साथ ही साथ अंत

में हम यह जरूर बोलकर के अपनी बातों को विराम देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट है, मजबूत है और जिसके लिए महागठबंधन बना है वह काम होगा और हम लोग बिहार की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा, लाभ और तरक्की के रास्ते हम लोग ले चलें यह हम सब लोगों की आकांक्षा है, उम्मीदें हैं और अंत में हम जरूर कहेंगे कि Do not live half a life and do not die half a death. If you choose silence then be silent, when you speak, do so until you die. If you accept, then express it bluntly. Do not mask it. बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।
Thank You !

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5959,57,62,000/- (पाँच हजार नौ सौ उनसठ करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त

- मांग संख्या-01, कृषि विभाग के संबंध में 383,18,77,000/- (तीन सौ तिरासी करोड़ अठारह लाख सतहत्तर हजार) रुपये,
- मांग संख्या-02, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 137,71,99,000/- (एक सौ सैंतीस करोड़ इकहत्तर लाख निन्यानवे हजार) रुपये,
- मांग संख्या-03, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 794,38,57,000/- (सात सौ चौरानवे करोड़ अड़तीस लाख सत्तावन हजार) रुपये
- मांग संख्या-04, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 360,13,55,000 /- (तीन सौ साठ करोड़ तेरह लाख पचपन हजार) रुपये
- मांग संख्या-07, निगरानी विभाग के संबंध में 1,50,00,000 /- (एक करोड़ पचास लाख) रुपये
- मांग संख्या-09, सहकारिता विभाग के संबंध में 95,26,000 /- (पंचानवे लाख छब्बीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-10, ऊर्जा विभाग के संबंध में 4036,00,02,000/- (चार हजार छत्तीस करोड़ दो हजार) रुपये
- मांग संख्या-11, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 36,00,000/- (छत्तीस लाख) रुपये
- मांग संख्या-12, वित्त विभाग के संबंध में 10196,85,86,000/- (दस हजार एक सौ छियान्वे करोड़ पचासी लाख छियासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-16, पंचायती राज विभाग के संबंध में 2144,82,53,000/- (दो हजार एक सौ चौवालीस करोड़ बयासी लाख तिरेपन हजार) रुपये
- मांग संख्या-17, वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 12,25,00,000/- (बारह करोड़ पच्चीस लाख) रुपये
- मांग संख्या-18, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 402,66,95,000/- (चार सौ दो करोड़ छियासठ लाख पंचानवे हजार) रुपये
- मांग संख्या-19, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 36,05,58,000/- (छत्तीस करोड़ पांच लाख अठ्ठावन हजार) रुपये

(क्रमशः)

टर्न-30/मुकुल/13.07.2023

- मांग संख्या-20, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1123,65,35,000/-
(एक हजार एक सौ तेईस करोड़ पैसठ लाख पैतीस हजार) रुपये,
- मांग संख्या-21, शिक्षा विभाग के संबंध में 8259,52,04,000/-
(आठ हजार दो सौ उनसठ करोड़ बावन लाख चार हजार) रुपये,
- मांग संख्या-22, गृह विभाग के संबंध में 783,94,51,000/-
(सात सौ तेरासी करोड़ चौरानवे लाख इक्यावन हजार) रुपये,
- मांग संख्या-23, उद्योग विभाग के संबंध में 420,91,00,000/-
(चार सौ बीस करोड़ इक्यानवे लाख) रुपये,
- मांग संख्या-25, सूचना प्रवैधिकी विभाग के संबंध में 136,50,00,000/-
(एक सौ छत्तीस करोड़ पचास लाख) रुपये,
- मांग संख्या-26, श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 5,24,18,000/-
(पांच करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार) रुपये,
- मांग संख्या-27, विधि विभाग के संबंध में 6,15,35,000/-
(छः करोड़ पन्द्रह लाख पैतीस हजार) रुपये,
- मांग संख्या-31, संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 18,00,000/-
(अठारह लाख) रुपये,
- मांग संख्या-32, विधान मंडल के संबंध में 19,22,92,000/-
(उन्नीस करोड़ बाईस लाख बानवे हजार) रुपये,
- मांग संख्या-33, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 15,31,14,000/-
(पंद्रह करोड़ इक्तीस लाख चौदह हजार) रुपये,
- मांग संख्या-35, योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 319,00,10,000/-
(तीन सौ उन्नीस करोड़ दस हजार) रुपये,
- मांग संख्या-36, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 50,00,01,000/-
(पचास करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-37, ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 2400,07,00,000/-

(दो हजार चार सौ करोड़ सात लाख) रुपये

मांग संख्या-38, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 3,70,01,000/-

(तीन करोड़ सत्तर लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या-39, आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 352,50,00,000/-

(तीन सौ बावन करोड़ पचास लाख) रुपये

मांग संख्या-40, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 224,06,70,000/-

(दो सौ चौबीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-41, पथ निर्माण विभाग के संबंध में 2000,00,00,000/-

(दो हजार करोड़) रुपये,

मांग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 1236,73,00,000/-

(एक हजार दो सौ छत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये

मांग संख्या-43, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में

72,37,47,000/-

(बहत्तर करोड़ सैंतीस लाख सैंतालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-44, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में

1,28,37,000/-

(एक करोड़ अठ्ठाइस लाख सैंतीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-45, गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 18,00,000/-

(अठारह लाख) रुपये,

मांग संख्या-46, पर्यटन विभाग के संबंध में 16,32,000/-

(सोलह लाख बत्तीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-47, परिवहन विभाग के संबंध में 7,36,64,000/-

(सात करोड़ छत्तीस लाख चौसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या-49, जल संसाधन विभाग के संबंध में 305,55,01,000/-

(तीन सौ पांच करोड़ पचपन लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या-50, लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 25,29,70,000/-
(पचीस करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या-51, समाज कल्याण विभाग के संबंध में 1497,54,90,000/-
(एक हजार चार सौ सतानवे करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार) रुपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने की
अनुमति दी जाय ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने की
अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।”

महोदय, मैं सदन से इसे स्वीकृत करने के लिए इसलिए अपील करता हूँ कि अभी तुरन्त सदन ने देखा है कि इसी सदन के द्वारा जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग की मांग को रखा, उसे सदन ने स्वीकृत किया और फिर आपने मुखबंध यानी गिलोटिन के माध्यम से सभी मांगें जो सरकार की तरफ से पेश की गई थीं उनको आपने पास कराया । यों ही हमने सदन जिस दिन प्रारंभ हुआ था 10 जुलाई को उसी दिन लगभग 43 हजार 744 करोड़ से अधिक रुपये की राशि अनुपूरक मांग सदन में रखी थी और यह परम्परा है एक विभाग उसको लीड करता है और बाकी सब गिलोटिन के माध्यम से आपने करवा दिया । मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उप मुख्यमंत्री महोदय का जिन्होंने नगर विकास विभाग की मांग पेश करते हुए जब अपनी सरकार की तरफ से बातें रखीं तो नगर विकास विभाग की उपलब्धियों और क्रियाकलापों की तो इन्होंने चर्चा की ही इसके साथ-साथ इस सूबे और मुल्क के सियासत की भी एक तस्वीर पेश की, अच्छी तस्वीर पेश की, जो सच्ची तस्वीर पेश की इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ ।

क्रमशः

टर्न-31/यानपति/13.07.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, अनुपूरक मांग हम क्यों लाते हैं इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यह आवश्यक इसलिए है कि इसका जब आप देखेंगे कि हमने किस-किस मद में क्या राशि मांगी है तो आप इसके महत्व और उपयोगिता का जरूर

सही आकलन कर पाएंगे । सबसे पहले तो महोदय, जो हमारा पूंजीगत व्यय होता है आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडीचर होता है उसके लिए हमलोगों ने इसमें करीब 87 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । उसके बाद आप जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि राज्य के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का होता है और आपदा पीड़ित को मदद करने के लिए जो बिहार आकस्मिकता निधि है, जो कंटिजेंसी फंड है उसका जो कॉर्पस ऐक्ट के माध्यम से है महोदय वह मात्र साढ़े 3 सौ करोड़ का है । लेकिन आवश्यकता लगातार बढ़ते जाती है और हमारा दुर्भाग्य होता है कि कुछ आपदाएं भी ज्यादा होती हैं बिहार में, बिजली भी गिरती है, बाढ़ भी आती है, सांप भी काटता है सब तरह की आपदा यहां आती है तो मुख्यमंत्री जी का जो ऐलान है कि हम आपदा पीड़ित को सबसे पहले देखेंगे उसके लिए लगभग साढ़े 96 सौ करोड़ रुपया का हमलोगों ने अतिरिक्त प्रावधान करके उसके विनियोजन का इसमें रखा है । तीसरी बात महोदय जो आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने बिजली दर कितनी बढ़ा दी और मुख्यमंत्री जी और हमलोगों की सरकार का निर्णय है कि हम अपने गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर न सिर्फ बिजली मुहैया कराएंगे बल्कि हर गरीब की झोपड़ी में हम बिजली का बल्ब जलाएंगे यह हमारा कमिटमेंट है बिहार की जनता से और जब केंद्र सरकार ने बिजली दरें बढ़ा दीं लेकिन हमलोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला लिया कि भले ही केंद्र सरकार बिजली की दर बढ़ाती है लेकिन हम अपने उपभोक्ताओं को, खासतौर से हमारे जो ग्रामीण इलाके के गरीब उपभोक्ता हैं उनको हम इस बढ़ी हुई दर का बोझ और दबाव महसूस नहीं होने देंगे, हम वह पैसा सरकार की तरफ से दे देंगे और महोदय इसके लिए हमने इसमें 4036 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, उसको जो हम अनुदान देते हैं । वह हमलोगों की मांग है महोदय, लेकिन उपमुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहां मांग सुननेवाला कौन है । हमलोग तो वर्षों से मांग रहे हैं और महोदय, हम मांगते ऐसे नहीं हैं, हम अपनी बोनाफाइड और विश्वसनीयता साबित करके मांगते हैं । हम कोई ऐसा नहीं है कि जब पूरे मुल्क में विकास दर का मामला हो या उपलब्धियों का मामला हो तो बिहार सरकार ऊपर के दो-तीन राज्यों में इसका आकलन होता है । अपनी विश्वसनीयता साबित

करके हम विशेष दर्जा मांगते हैं । कोई पैसा आप दीजिए, चूंकि हम पैसे का हमेशा सदुपयोग करते हैं महोदय इसलिए हमलोगों ने और हमलोग तो मांगते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बिजेन्द्र बाबू कह रहे हैं, इनकी शुरू से मांग रही है कि वन नेशन वन टेरिफ तो यह बिजली के दर में भी समझिए कि भेदभाव होता है और जो बता रहे थे उपमुख्यमंत्री जी बिहार को सताया और दबाया जाता है यह हमेशा से इस केंद्र सरकार की नियति रही है लेकिन महोदय हम बिहारवासियों के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ ताकत होती है, कुछ आत्मबल होता है कि चाहे वह कितना भी दबा लें हम इनके सामने न झुकनेवाले हैं, न पीठ दिखानेवाले हैं हम इनके सामने खड़े होकर सारी परिस्थिति का मुकाबला करेंगे और अंतिम बात महोदय, वैसे तो सारा ब्रेकअप है, बहुत सारे आंकड़े हैं सब पढ़ने में काफी वक्त लगेगा लेकिन अंतिम बात तो आज की घटनाओं से जुड़ी हुई है । जो ये लोग शिक्षक से फरेबी हमदर्दी दिखाकर सड़क पर आए थे, मैं उनकी कुछ बात बताना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक हमारे हैं उनको भी सही स्थिति समझनी चाहिए कि इनको तनख्वाह जो मिलता है जो महीना का हमलोग जुलाई महीने में हैं और हमलोगों ने जून तक का तनख्वाह दे दिया है लेकिन उसके पीछे स्थिति क्या है कि इनलोगों को 60 परसेंट जो 3 लाख हमारे शिक्षक हैं जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो उनको पैसा देना है 60 प्रतिशत वह समझिए कि आजतक यह पूरे माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिए, यह सब कोई रेगुलर टीचर थे नहीं, यह सब लोग तो अलग-अलग तरीके से समझिए एक तरह से कंट्रेक्टुअल और कहां-कहां क्या थे लेकिन सबलोगों को टीचर बनाकर, रेगुलर टीचर बनाकर, वेतनमान देकर पहले तो नियत वेतन पर थे, वेतनमान देकर हमलोगों की सरकार ने इनको प्रतिष्ठित किया है लेकिन हम सिर्फ केंद्र सरकार की बात कह रहे हैं जितना भेदभाव और इन शिक्षकों के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करती है और इनको अगर कोई मदद करने का उपाय करता है तो सिर्फ और सिर्फ हमलोगों की सरकार करती है, यह हम सिर्फ बताना चाहते हैं और यह कोई मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं । तो हम यह कह रहे हैं महोदय कि अभी समझ लीजिए लगभग 1260 करोड़ रुपया प्रति महीने शिक्षकों को तनख्वाह में देना पड़ता है और जो दूसरी बात है उसपर भी मैं आऊंगा कि 1260 करोड़

रुपया महीना लगभग शिक्षकों के वेतन पर जाता है इसमें से 570 करोड़ रुपया केंद्र को प्रतिवर्ष जो अटल जी के समय का कमिटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं। हमारे महबूब जी क्यों परेशान होते हैं अटल जी का नाम लेने से और कोई नेता कोई अच्छा काम करे चाहे किसी दल का हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अटल जी ने जो अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री जी उसी की चर्चा करते हैं और अटल जी के समय में जो उन्होंने प्रावधान बनाए, जो प्रक्रिया तय की उसके तहत जो पैसे मिलने चाहिए वह अभी तक कभी नहीं समय पर आते हैं और सबसे तो विचित्र बात अभी का समझ लीजिए। महोदय, तो बता देते हैं विस्तार से कि शुरू में यू0पी0ए0 की सरकार में शुरू हुआ, फिर एन0डी0ए0 की सरकार में जब तक अटल जी रहे तब तक शत प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान जो नाम था उसका पैसा केंद्र सरकार देती थी हमलोग शिक्षकों को देते थे लेकिन यह सरकार जब से आयी है वह सौ परसेंट जो देती थी इसको पहले 90/10 किया, फिर 75/25 किया और आज आकर 60/40 मतलब वह घटाते जा रहे हैं और 60 परसेंट में भी बता दें कि उस समय अटल जी की सरकार और यू0पी0ए0 की सरकार में यह जो शिक्षा का अधिकार कानून बना था उसके आधार पर शिक्षकों की संख्या, छात्रों के अनुपात में तय होती थी, 40 इनटू 1, मतलब 40 छात्र पर एक शिक्षक दिये जाते थे और उनको पैसा दिया जाता था 22 हजार और अब धीरे-धीरे घटाते-घटाते इस केंद्र सरकार की नियति देखिये और इनका इरादा देखिये कि 2021-22 से, 2020-21 से इन्होंने तय कर दिया है कि जो हम पैसा दे रहे हैं आज अगले साल उसमें से 50/50 अब हो गया है जो अगले साल पांच परसेंट उसमें से लगातार, महोदय, ऐसा कहीं आज तक यह तानाशाही नियम सुने हैं कि आज जो हम पैसा दे रहे हैं 5 प्रतिशत हर साल घटाते जायेंगे यह तो शिक्षकों को समझना चाहिए कि उनके लिए जो केंद्र सरकार का योगदान है इन्होंने ब्लैकट फैसला कर लिया है कि हम हर साल 5 प्रतिशत घटाते जायेंगे और महोदय, दुखद यह है कि जो ये नया वित्तीय वर्ष है अप्रैल से लेकर अब जुलाई आ गया, समझिये तीन महीने से जिन शिक्षकों की हमदर्दी में ये सड़क पर दिखाने गये हैं उनके लिए अभी तक एक पैसा नहीं केंद्र सरकार का केंद्रांश है वह एक पैसा नहीं आया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि, बताना चाहते हैं कि उन शिक्षकों का पैसा, तनख्वाह

समय पर मिलता रहे इसलिए हमने इस अनुपूरक मांग में 6223 करोड़ रुपया सिर्फ शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार से हमलोगों ने उसको देने का फैसला किया है तो यह तो हमारी नीयत है और उनकी नीयत देखिये । अभी तक नये वित्तीय वर्ष के साढ़े तीन महीने से अधिक बीत गये एक पैसा नहीं शिक्षकों के वेतन मद में आया है तो यह इनका शिक्षकों के प्रति रूख है लेकिन आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए सड़क पर जाकर ये शिक्षकों को आगे खड़ा करके उपद्रव फैलाना चाहते हैं महोदय ।

(व्यवधान)

उन्हीं के लिए कर रहे हैं । शिक्षकों का नाम लेकर ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं । महोदय, इसलिए हमने बता दिया कि इसमें जो आवश्यक खर्च हैं, जो सरकार को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, जो हमने मूल बजट में उपबंध किये थे उससे अलग इस राशि की आवश्यकता है जो आपने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी, नगर विकास एवं आवास विभाग ने मांग रखी थी उसके साथ बाकी मांगों को भी पारित कर दिया है तो अब हमको विनियोग का भी अधिकार जो हम आपसे मांग रहे हैं यह सदन स्वीकृति दे दे जिससे कि हम उस राशि को निकालकर आवश्यक काम कर सकेंगे यही हमारी अपील है सदन से ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 जुलाई, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-109 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक, शुक्रवार, दिनांक-14 जुलाई, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।